

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण (एच.ई.आई.ए.), जलौसगढ़ की 148वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण (एच.ई.आई.ए.), जलौसगढ़ की 148वीं बैठक दिनांक 23/08/2023 को समयान्त 12:00 बजे की दैनिकीय दस्त, अग्रे राज् राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण, जलौसगढ़ की अध्यक्षता में, संयुक्त बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण,
2. श्री आर.पी. शिखरी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया। तदुपरांत एजेन्डायार पर्यावरण निम्नानुसार निर्णय लिया गया।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-1 राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण, जलौसगढ़ की 148वीं बैठक दिनांक 28/04/2023 की कार्यवाही विवरण का अनुमीदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण, जलौसगढ़ की 148वीं बैठक दिनांक 28/04/2023 की आयोजित की गई थी। प्रधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमीदन किया गया।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-2 राज्य स्तरीय विशेषज्ञ सुनवाईयन समिति, जलौसगढ़ की 488वीं एवं 489वीं बैठक क्रमांक दिनांक 28/03/2023 एवं 29/03/2023 की अनुमोदा से अन्तार पर गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों में निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स सुहेला साईन स्टोन ब्लॉकी प्रोजेक्ट (प्री- की दिग्गिज जैन्ड, घाम-सुईला, लहरील-सिमगा, जिला-बलीघाबाजार-भाटाबावा (सचिवालय का नमती क्रमांक 2098) ऑनसाईन आवेदन - एनएआईए/ सीजी / एमआईएन/ 78422/ 2022, दिनांक 03/07/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में खनिजी होने से ज्ञातन दिनांक 16/07/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खचित जानकारी आज दिनांक तक अध्यात है। परियोजना प्रस्तावक पर आवेदित प्रकरण में ऑनसाईन ऑटी टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 को जारी होने काया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संचालित कृत पत्थर (गौण खनिज) खदान है। घाम-सुईला, लहरील-सिमगा, जिला-बलीघाबाजार-भाटाबावा, स्थित खनात क्रमांक 98, 100, 101 एवं 102/2, कुल क्षेत्रफल-0.77 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-4,889.38 टन प्रतिवर्ष है।



प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकल्प पर प्रतिकल्प की दिनांक 03/03/2023 को संलग्न 449वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नस्ली का अवलोकन किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नोट किया गया कि जारी जॉइंट टी.ओ.आर. प्रकल्प में अतिरिक्त टी.ओ.आर. की शर्त अधिलेखित करने बाबत समिति के समझ विचार किया जाना आवश्यक है।

प्रतिकल्प द्वारा विचार किशोरी उपरोक्त सर्वसम्मति से उपरोक्त शर्तों के परिच्छेद में परीक्षण उपरोक्त नियमानुसार कार्यवाही करने जाने हेतु प्रकल्प को एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समझ प्रस्तुत करने जाने का निर्णय लिया गया है।

तदनुसार परीचीकता प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा अनुमोदित हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 449वीं बैठक दिनांक 28/03/2023

अनुमोदित हेतु की दिल्ली जैन, जेम्सहाईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

- i. पूर्व में कुल मात्रा खदान खसरा क्रमांक 88, 100, 101 एवं 102/2, कुल क्षेत्रफल-0.77 हेक्टेयर, क्षमता-4,899.38 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण प्रभावता निर्धारण प्रक्रियामें, जिला-बलीदासजाट-भाटापडा द्वारा दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 13/02/2022 तक वैध थी। परीचीकता प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"GA. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 13/02/2023 तक वैध थी।

- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के बालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परीचीकता प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का बालन अधिलेखन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

iii. निर्धारित शर्तानुसार पूजादेवन नहीं किया गया है।

iv. कार्यलय कन्सेक्टर (अग्निज साख), जिला-बलीदासजाट-भाटापडा के ज्ञापन क्रमांक 418/स.नि./2022 बलीदासजाट, दिनांक 18/07/2022 द्वारा जारी



अपार पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये उल्लंघन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उल्लंघन (टन)
2017-18	8,795
2018-19	3,150
2019-20	4,665
2020-21	4,665
2021-22	निराक

दिनांक 01/04/2022 से आज दिनांक तक किये गये उल्लंघन की वास्तविक मात्रा की जानकारी समित्व विभाग से उपलब्ध करवाकर प्रस्तुत किया जना आवश्यक है।

समिति द्वारा यह पाया गया है कि वर्ष 2017-18 में परियोजना इलायक द्वारा जारी नवीकरणीय सौलुति में उल्लेखित उल्लंघन मात्रा से अधिक उल्लंघन कार्य किया गया है, जो कि उल्लंघन की श्रेणी में आता है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि भारत सरकार, पर्यायण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिका मन्त्रीयम दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Moreover, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यायण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिका मन्त्रीयम दिनांक 07/07/2022 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों हेतु सौमयई अधि प्रसिजर (BCP) जारी की गई है, जिसके अनुसार:-

- i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
 - a) Damage Assessment
 - b) Remedial Plan and
 - c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/Union Territory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.
- ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).
- iii. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIAEMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

उपरोक्त सिन्गुली के अपार पत्र जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत सुईला का दिनांक 08/10/2004 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना - जमीन प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वार्टी कलेक्टर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम संवालय (खनि प्रयासन), जिला-बलौदाबाजार-भाटाघाट के ग्राम क्रमांक 801/खनि./सीन-1/2018 बलौदाबाजार, दिनांक 29/08/2018 द्वारा अनुमोदित है।
4. 800 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बलौदाबाजार-भाटाघाट के ग्राम क्रमांक 418/खनि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 18/07/2022 अनुसार अर्पणित खदान से 800 मीटर की भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 5.385 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संतवचार् - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बलौदाबाजार-भाटाघाट के ग्राम क्रमांक 418/खनि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 18/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, कुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एरीकट बॉक्स एवं जल संपूर्ण आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. लीज का विवरण - प्रस्तुतकरण के दौरान परीचीतना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में लीज की विस्तृत किंग टाकुर के नाम पर थी। लीज का वसूलात्म दिनांक 21/12/2008 को की विलीय जैन के नाम पर किया गया। समिति का मत है कि लीज संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षणविभागी, रायपुर वनसंरक्षण, जिला-रायपुर के ग्राम क्रमांक/वा.वि./व./2044 रायपुर, दिनांक 28/10/2004 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र की वार्षिक दूरी का परीक्षण क्वार्टी एवं वनसंरक्षणविभागी से अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवासीय ग्राम-सुईला 800 मीटर, स्कूल ग्राम-सुईला 800 एवं अस्पताल भाटाघाट 11 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 21.8 कि.मी. एवं राजमार्ग 11 कि.मी. दूर है। तालाब 1.25 कि.मी. दूर है।
11. पर्यावरण/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परीचीतना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय स्तूपन नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित सिटिकली प्रोटेक्टड एरिया, पर्यावरण/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।



12. खनन संभंदा एवं खनन का विवरण — विनोदीयितकाल दिवस 1,52,368 टन, माईनिंगल दिवस 51,273 टन एवं रिक्वायर्ड दिवस 68,148 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (परखनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,846.39 वर्गमीटर है। जोखन कालट सेमी मेकीसपुड विधि से परखनन किया जाता है। परखनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। लीज क्षेत्र में प्रत्येक मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 308.74 घनमीटर है। क्षेत्र की चौड़ाई 1.5 मीटर एवं मोटाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में अज्ञात स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक इनर के डिजाइन एवं कंट्रोल स्थापित किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रम किया जाता है। सर्वेक्षण प्रस्तावित परखनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित परखनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित परखनन (टन)
प्रथम	3,668.18	षष्ठम	4,685.33
द्वितीय	4,685.03	सप्तम	4,685.02
तृतीय	4,685.09	अष्टम	4,685.13
चतुर्थ	4,685.22	नवम	4,685.05
पंचम	4,684.89	दशम	4,685.38

13. जल आपूर्ति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति क्षेत्रीय के माध्यम से की जाती है। इस कार्य में न्यूनतम शारदा 4000 क्यूमीटर से अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. वृक्षारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 500 नम वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में परखनन — लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,846.39 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 1,080.76 वर्गमीटर क्षेत्र 0.5 मीटर की गहराई तक, 1,182.03 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक एवं 582.60 वर्गमीटर क्षेत्र 7 मीटर की गहराई तक परखनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित जमीन पत्र में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में परखनन किया जाना पर्यावरणीय खोज की शर्तों का उल्लंघन है। आत परियोजना प्रस्तावक को विस्तृत नियमानुसार कार्यात्मक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
16. पर्यावरणीय है कि मात्रा शरदा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिकल्पना संशोधन, नई दिल्ली द्वारा नोन जोड माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक 118-19 के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

एक मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. समिति को संज्ञान में यह तथ्य आया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय ब्लॉक/एअर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटाघाट से जारी प्रमाण पत्रों (300 मीटर, 200 मीटर, विस्तार पत्रों में किये गये उल्लंघनों) में खसरा क्रमांक 97, 98, 99, 100, 101 एवं 102/2 का उल्लेख है, जबकि लीज दस्तावेज, माइनिंग प्लान, पूर्ण जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में खसरा क्रमांक 99, 100, 101 एवं 102/2 का उल्लेख किया गया है। अतः उक्त के संकेत में खनिज विभाग से स्पष्टीकरण मांगा जाना आवश्यक है।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/08/2016 को जारी खसरी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार जियोलॉजिकल रिजर्व 1,57,388 टन, माइनिंग रिजर्व 51,273 टन एवं रिकवरीबल रिजर्व 88,148 टन है। समिति का मत है कि अद्यतन स्थिति में रिजर्व (जियोलॉजिकल रिजर्व, माइनिंग रिजर्व एवं रिकवरीबल रिजर्व) की गणना कर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरंत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. माइनिंग लीज क्षेत्र के बाहरी ओर 7.5 मीटर चौड़े सेप्टी जॉन के कुछ भाग में किये गये उल्लंघन के कारण इस क्षेत्र को उपयुक्त जगहों (Responsible Mineral Areas) के संकेत में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माइनिंग विद्यालयों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक जगहों तथा इलाकों आदि के लिये समुचित जगहों को खिनाचित करने संबंधी संघालय, संघालनलय, भीमिडी तथा खनिकर्मा, इंदारपी मण्ड, तथा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (प्रतीभापद) को लेख किया जाए।
2. अधिविधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा घट्टी में अंधेरा उल्लंघन किया जाना पाने जाने पर परियोजना प्रस्तावक को विरुद्ध निम्नानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संघालय, संघालनलय, भीमिडी तथा खनिकर्मा को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु प्रतीभापद पर्यावरण संरक्षण मंडल, तथा रायपुर अटल नगर को वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का चलन प्रतिवेदन के संकेत में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भाटा सरकल, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंडल, तथा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय ब्लॉक/एअर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटाघाट से जारी प्रमाण पत्रों (300 मीटर, 200 मीटर, विस्तार पत्रों में किये गये उल्लंघनों) में खसरा क्रमांक 97, 98, 99, 100, 101 एवं 102/2 का उल्लेख है, जबकि लीज दस्तावेज, माइनिंग प्लान, पूर्ण जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में खसरा क्रमांक 99, 100, 101 एवं 102/2 का उल्लेख किया गया है। अतः उक्त के संकेत में स्पष्टीकरण मांगा जाने हेतु कार्यालय ब्लॉक/एअर (खनिज शाखा), जिला-बलीदाबाजार-भाटाघाट को पत्र लेख किया जाए।
5. परिवेश फीटल पर अधिविधित प्रकरण में ऑनलाइन जीटी टी.ओ.आर. दिनांक 08/11/2022 को जारी हो गया है। परियोजना प्रस्तावक को जारी जीटी टी.ओ.आर. में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरंत सर्वसम्मति से निम्नानुसार अधिविधित टी.ओ.आर. तहत निर्धारित किये जाने की अनुज्ञा की गई-



- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- iv. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.
- v. Project proponent shall submit extended lease deed copy at the time of EIA submission.
- vi. Project proponent shall submit the current status of geological, mineable & recoverable reserve.
- vii. Project proponent shall submit the latest NOC from DFO forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- viii. Project proponent shall submit the land documents (B-1) with consent letter from land owners for uses of land.
- ix. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
- x. Project Proponent shall submit an undertaking that top soil would be stocked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- xi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- xii. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.
- xiii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xiv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xvii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xviii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per



- xxxi. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.
- xxxii. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

प्रतिक्रिया द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिक्रिया की दिनांक 22/08/2023 को कंपनी (एनटी) बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा नतीजा का अवलोकन किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा समिति की अनुशंसा को मंजूर करने के लिए ऑनलाइन जारी ऑपी टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2023 में उपरोक्तानुसार अतिरिक्त शर्तों के अंतर्गत टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि-

- (1) (i) माईन सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े रोफ्टी जॉन के कुछ भाग में किन्हीं गद्दे उत्खनन के कारण हुए क्षेत्र को उपचारित करना (Remedial Measures) की संस्था में तथा सीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग डिपार्टमेंटों के कारण उत्पन्न प्रदूषण निवारण हेतु आवश्यक उपचारों तथा सुधारोंमा अदि के लिये समुचित उपचारों बाबत संघालक, संघालनालय, भीमिडी तथा खनिजम, इटावली मन्, नया रावपुर अटल नगर, जिला - रावपुर (झरडीमगड) को पत्र लिख किया जाए।
- (ii) प्रतिक्रिया 7.5 मीटर चौड़े सीज पट्टी में अतिरिक्त उत्खनन किया जाना पारने पर परीचीजना इत्याक के विरुद्ध निचलानुसार आवश्यक कार्यवाही किने जाने हेतु संघालक, संघालनालय, भीमिडी तथा खनिजम को पत्र लिख किया जाए।
- (iii) माईन सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े रोफ्टी जॉन के कुछ भाग में किन्हीं गद्दे उत्खनन के पर्यावरण को अति होने के कारण उत्खनन पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रावपुर अटल नगर को निचलानुसार आवश्यक कार्यवाही किने जाने हेतु पत्र लिख किया जाए।
- (2) पूर्ण में जारी पर्यावरणीय समिति का सालन प्रतिक्रिया एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंडल, नया रावपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लिख किया जाए।
- (3) उत्खनन की संस्था में स्पटीकरण मंगाये जाने हेतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज संस्था), जिला-झरडीमगड-नाटापरा को पत्र लिख किया जाए।

परिचीजना इत्याक को टर्न ऑफ रेकॉर्डिंग (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संघालक, संघालनालय, भीमिडी तथा खनिजम, इटावली मन्, नया रावपुर अटल नगर एवं झरडीमगड पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रावपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंडल, नया रावपुर अटल नगर व कार्यालय कलेक्टर (खनिज संस्था), जिला-झरडीमगड-नाटापरा को पत्र लिख किया जाए।



2. मेसर्स नारीजरीद लार्ड्स स्टोन सॉलिंग प्रोजेक्ट (प्रै.- श्री विवेक अग्रवाल), ग्राम-नारीजरीद, तहसील-सिनगा, जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा (सर्वेक्षण का नक्का क्रमांक 2088)

ऑनलाइन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एनआईए/ सीडी/ एफआईएन/79824/2022, दिनांक 04/07/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परिवेक्षण प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में कमिटी होने से आपन दिनांक 18/07/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी अध्याप्त है। परिवेक्षण पोर्टल के आवेदित प्रकरण में ऑनलाइन ऑटो टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 को जारी होना था।

प्रस्ताव का विवरण - यह अनाम विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्ण से संबन्धित पूरा पल्लर (पीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नारीजरीद, तहसील-सिनगा, जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा निम्न खतरा क्रमांक 84, 85/1, 85/2, 86/2, 87, 81/1, 81/2, 81/3, 81/4 एवं 88, कुल क्षेत्रफल- 2.888 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-80,813.75 टन प्रतिवर्ष है।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रधिकरण की दिनांक 03/03/2023 को सम्पन्न 480वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा नक्का का अवालोकाण किया गया। प्रधिकरण द्वारा नोट किया गया कि जारी ऑटो टी.ओ.आर. प्रकरण में अतिरिक्त टी.ओ.आर. की सभी अधिसूचित करने संबंधी समिति के समक्ष विचार किया जाना आवश्यक है।

प्रधिकरण द्वारा विचार किर्वा उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से उपरोक्त नक्कों के परिधि में परीक्षण उपरोक्त नियमानुसार करवायी किये जाने हेतु प्रकरण को एनआईएसी, बलीदाबाजार के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है। समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार सभी ऑफ रेकॉर्ड (टी.ओ.आर.) (लोक सुन्वाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

अनुसार परिवेक्षण प्रस्तावक को एनआईएसी, बलीदाबाजार के ज्ञान दिनांक 23/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 480वीं बैठक दिनांक 28/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विवेक अग्रवाल, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्का प्रस्तुत जानकारी का अवालोकाण एवं परीक्षण करने का निम्न लिखित कार्य मई:-

1. पूर्ण से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्ण से श्री नंदकिशोर अग्रवाल को पूरा पल्लर खदान खतरा क्रमांक 80, 81/1, 81/2, 81/3 एवं 81/4 कुल क्षेत्रफल-0.821 हेक्टेयर, क्षमता-11,025.88 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिळा स्तरीय पर्यावरण बलापहत निर्धारण प्रधिकरण, जिला-बलीदाबाजार-भाटापारा द्वारा दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 6 वर्ष की अवधि तक अर्थात् दिनांक 13/02/2023 तक वैध थी।

- पूर्ण से श्री कर्णज रावुन को पूरा पल्लर खदान चार्ट ऑफ खतरा क्रमांक 84, 85/1, 85/2 एवं 86/2, कुल क्षेत्रफल-0.878 हेक्टेयर, क्षमता-2,884.87 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिळा स्तरीय पर्यावरण बलापहत

निर्धारण प्रक्रियामें, जिला-बलीदाबाजार-मटापारा द्वारा दिनांक 14/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक अवधि दिनांक 13/02/2022 तक वैध थी।

- iii. पूर्व में श्री अमित कुमार अग्रवाल की पुत्रा कथर खदान खनन क्रमांक 08, कुल क्षेत्रफल-1.121 हेक्टेयर, समतल-20.228 एन प्रीवर्स हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला-बलीदाबाजार-मटापारा द्वारा दिनांक 27/08/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 10/01/2017 से 5 वर्ष की अवधि तक अवधि दिनांक 09/01/2022 तक वैध थी।

परिप्रेक्ष्य प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"3A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृतियों की वैधता में 1 वर्ष की वृद्धि की गई थी।

- iv. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के जारी के पालन में की गई कार्यवाही की जागरूकता एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परिप्रेक्ष्य प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिक्रिया प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- v. निर्धारित शर्तानुसार कृषासेवन नहीं किया गया है।
- vi. कार्यालय कलेक्टर (सूचित्र शाखा) जिला-बलीदाबाजार-मटापारा, के दायरे क्रमांक 301/स.लि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 07/07/2022 द्वारा जारी दायरे पत्र अनुसार जिला जर्नी में विवेक गढ़े उखलन की जागरूकता गिनतानुसार है-

1. श्री नंदकिशोर अग्रवाल की स्वीकृत पुत्रा कथर उखलनखट्टा

वर्ष	उखलन (एन)
2017-18	7,885
2018-19	11,660
2019-20	13,415
2020-21	12,140
2021-22	8,000

2. श्री विवेक अद्ययाज को स्वीकृत पूरा मूल्य उत्खनियच्छटा

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017-18	निरंक
2018-19	
2019-20	
2020-21	3,000
2021-22	निरंक

समिति का मत है कि श्री वनीज लखुर के नाम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 14/02/2017 का इस्तेमाल श्री विवेक अद्ययाज के नाम से किये जाने वाले पर्यावरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. श्री अक्षित अद्ययाज को स्वीकृत पूरा मूल्य उत्खनियच्छटा

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017-18	4,360
2018-19	17,115
2019-20	7,385
2020-21	13,965
2021-22	12,610

दिनांक 01/04/2022 से आज दिनांक तक किये गये उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित बनाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा यह पाया गया है कि वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में श्री नंदकिशन अद्ययाज द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित उत्खनन मात्रा से अधिक उत्खनन कार्य किया गया है, जो कि उत्खनन की श्रेणी में आता है। साथ ही समिति का यह भी मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिकृत केबिनेटन दिनांक 28/01/2022 के अनुसार "The interim order passed by the Madras High Court appears to be misconceived. However, this Court is not hearing an appeal from that interim order. The interim stay passed by the Madras High Court can have no application to operation of the Standard Operating Procedure to projects in territories beyond the territorial jurisdiction of Madras High Court. Moreover, final decision may have been taken in accordance with the Orders/Rules prevailing prior to 7th July, 2021" का उल्लेख है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिकृत केबिनेटन दिनांक 07/02/2022 से अनुसार उत्खनन के प्रकल्पों हेतु सीएचई ऑफ पर्सिडन (SOA) जारी की गई है, जिसके अनुसार:-

- i. Such cases of violation shall be subject to appropriate
 - a) Damage Assessment
 - b) Remedial Plan and
 - c) Community Augmentation Plan by the Central level Sectoral Expert Appraisal Committees or State/Union Territory level Expert Appraisal Committees, as the case may be.
- ii. The Competent Authority shall issue directions to the project proponent, under section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 on case to case basis mandating payment of such amount (as may be

determined based on Polluters Pay principle) and undertaking activities relating to Remedial Plan and Community Augmentation Plan (to restore environmental damage caused including its social aspects).

- ii. Penalty provisions for violation cases and applications: Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.

परमिट्टा विन्दुओं के अन्तर्गत पर्यावरण/समाजिक प्रभावों का विश्लेषण (आवश्यक है)।

2. ग्राम पर्यावरण का अन्वयित प्रमाण पत्र – एलखनन के गांव में आवेदित सभी कार्यों का पर्यावरण का अन्वयित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. एलखनन योजना – कारी सर्वेक्षण प्लान एलांग किए गए नदीजल संचयन प्लान विथ इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (रा.प्र.) संचालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्न, नया रावपुर अटल नगर के पु. प्रमाण सं. 1342/खनि02/न.प्र.अनुसूचन/न.क्र.08/2021(1) तथा रावपुर, दिनांक 23/05/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कर्वालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बलीदाबाजार-महाप्रात के प्रमाण क्रमांक 883/ख.सि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 05/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान (3 खदानों का सम्मेलन) से 500 मीटर की भीतर अवस्थित 20 खदानें, संयुक्त 82.383 हेक्टर होना बताया गया है। समिति का मत है कि उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि तीनों खदानों का सम्मेलन (amalgamation) के कारण उक्त एक खदान मानकर जिसमें संयुक्त विद्यमान खदान के सीज सीज से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया जाना आवश्यक है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कर्वालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बलीदाबाजार-महाप्रात के प्रमाण क्रमांक 883/ख.सि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 05/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, एनईकट, बंध एवं जल संपूर्ण अदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. सीज का विवरण – संचालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्न, नया रावपुर अटल नगर के प्रमाण क्रमांक 1334/खनि02/रा.प्र.सम्मेलन/न.क्र.03/2021 नया रावपुर, दिनांक 11/04/2022 द्वारा जारी सीजों का सम्मेलन (amalgamation) की विवेक कुमार अटवाल के नाम पर किया गया। सम्मिलित (amalgamated) सीज सीज की वैधता दिनांक 26/07/2028 तक है। सीजों का सम्मेलन (amalgamation) विवरण निम्नानुसार है-

क्र.	पर्यवेक्षक का नाम	खदान क्रमांक	स्वीकृत क्षेत्र (हेक्टर)	अवधि
1.	श्री विवेक कुमार अटवाल	84, 85/1, 85/2, 86/2	0.978	दिनांक 27/07/2028 से 26/07/2038 तक
2.	श्री नंदकिशोर अटवाल	80, 81/1, 81/2, 81/3	0.831	दिनांक 15/01/2028 से 14/01/2038 तक

		81/4		
3.	श्री अकिला अडवाल	86	1.521	दिनांक 10/03/2017 से 09/03/2017 तक
4.	सम्मिलित क्षेत्र	83	0.08	श्री नन्दकिशोर अडवाल
5.	निधन 37 (8) की अनुप्राप्त	84	0.04	सांसादीय भूमि
		85/2	0.03	श्री अकिला अडवाल
6.	सामग्रीजनक परचाल कुल क्षेत्र			2.688

पूर्व में लीज श्री नवीन उपाध्याय के नाम पर श्री जिसका हस्ताक्षर दिनांक 22/10/2018 को श्री विवेक अडवाल के नाम पर किया गया।

7. भू-स्वामित्व – भूमि संबंधी जानकारी/दस्तावेज (बी-1, बी-2) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र – लीज क्षेत्र में निकटात्मक वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी का पालना करने हेतु वनसम्बन्धित अधिकारी से अद्यतन अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटात्मक आबादी वाम-समीपत 1.5 कि.मी. स्कूल वाम-समीपत 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल सुहेला 2 कि.मी की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 36 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18 कि.मी. दूर है।
11. परिस्थितिहीन/जैवविकिरात संवेदनशील क्षेत्र – परिवर्धना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में आंतराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अन्वयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिण्डी नॉन्पुटेड एरिया, परिस्थितिहीन संवेदनशील क्षेत्र का घोषित जैवविकिरात क्षेत्र निश्चय नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. क्षयन क्षमता एवं खनन कर विवरण – जिघोलीजिकल सिजर्व 17,82,480 टन, माईनेबल सिजर्व 7,23,545 टन एवं रिक्-डरेबल सिजर्व 8,87,367 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खननन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8,780 वर्गमीटर है। खोपन वाल्ट सीपी मेकैनाईज्ड सिधि से खननन किया जाता है। खननन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है तथा कुल मात्रा 8,885 घनमीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खननन की संभावित आयु 14.3 वर्ष है। जेक हीमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल करारिटेन किया जाता है। लीज क्षेत्र में खनन स्थापित है, जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गमीटर है। खननन में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिद्धकाय किया जाता है। वर्षवार अनाधिकृत खननन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित खननन(टन)
प्रथम	50,913.75
द्वितीय	50,913.75
तृतीय	47,812.50
चतुर्थ	50,913.26
पंचम	50,992.50

टी.डी.आर. में संशुद्धि द्वारा विवाद विवाद उपरोक्त संशुद्धि में निम्नानुसार
संशुद्धि/टी.डी.आर. को संशुद्धि विधे जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
- iv. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.
- v. Project proponent shall submit the NOC from Gram Panchayat with mentioning all khasta numbers of mining lease.
- vi. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines, three mines are amalgamated as one mine and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.
- vii. Project proponent shall submit the latest NOC from DFO forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- viii. Project proponent shall submit the land documents (B-1 & P-2) with consent letter from land owners for uses of land.
- ix. Project proponent shall submit the top soil management plan & over burden plan & incorporate the details in the EIA report.
- x. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- xi. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- xii. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.
- xiii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xiv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvi. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xvii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.



- xviii. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xix. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xx. Project proponent shall complete plantation of previous EC in 7.5 meter safety zone area of 05 feet height and submit a photographs along with the EIA report.
- xxi. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xxii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xxiii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- xxiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.
- xxv. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation.
- xxvi. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA report by accredited consultants.
- xxvii. The project proponent shall submit penalty provisions plan as per the MoEF&CC office memorandum:- Where operation have commenced without EC: 1% of the total project cost incurred up to the date of filing of application along with EIA/EMP report PLUS 0.25% of the total turnover during the period of violation.
- xxviii. The project proponent shall submit turnover details certified by Chartered Accountant during the period of violation.
- xxix. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No-114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and

3. मेसर्स आनाबोनी लाईन स्टीन क्वारी मर्चण्डिस (प्री-बी मगवती प्रसाद वर्मा), घास-आनाबोनी, तहसील-सिमला, जिला-बलौदाबाजार-भाटाघाट (सविद्यालय का पत्ती क्रमांक 2100)

ऑनलाइन आवेदन - उपरोक्त मसल - एराडाईर / सीसी / एमआईएन / 78538/2022, दिनांक 04/07/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन में त्रुटिपूर्ण होने के कारण दिनांक 15/07/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा पेशित जानकारी अशुद्ध है। परिशोधन फॉर्म के अतिरिक्त प्रकरण में ऑनलाइन जीटी टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 को जारी होना बाध गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्ण से संबंधित कुल कच्चा (गोल खनिज) खदान है। खदान घास-आनाबोनी, तहसील-सिमला, जिला-बलौदाबाजार-भाटाघाट निम्न प्लॉट अंक असादा क्रमांक 289, कुल क्षेत्रफल-1.323 हेक्टेयर में है। खदान की अतिरिक्त उपखनन क्षमता-31,289 टन प्रतिवर्ष है।

प्रतिक्रिया द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण या प्रतिक्रिया की दिनांक 03/03/2023 को संलग्न 140वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा पत्ती का अवलोकन किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा नोट किया गया कि जारी जीटी टी.ओ.आर. प्रकरण में अतिरिक्त टी.ओ.आर. की शर्त अधिरेखित करने बाधक समिति के समक्ष विचार किया जाना आवश्यक है।

प्रतिक्रिया द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यवाही को उपरोक्त पत्ती के परिधि में परीक्षण उपरोक्त नियमानुसार कार्यवाही करने वाले हेतु प्रकरण को एराडाईर, सीसी/एमआईएन के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है। समिति की अनुमति से स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार जारी अर्थ लेखने (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त परिशोधना प्रस्तावक को एराडाईर, सीसी/एमआईएन के कारण दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 28/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्री मगवती प्रसाद वर्मा, एराडाईर उपस्थित हुए। समिति द्वारा जारी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्ण में जारी पत्तीकारीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्ण में श्री बलौदाबाजार की कुल कच्चा खदान प्लॉट अंक असादा क्रमांक 289, कुल क्षेत्रफल-1.323 हेक्टेयर, क्षमता-31,289 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला कारीब पर्यावरण संरक्षण विभाग प्रतिक्रिया, जिला-बलौदाबाजार-भाटाघाट द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 15/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अर्थात् दिनांक 14/03/2022 तक वैध थी। परिशोधना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार-

"6A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered

for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

पर्यावरण अधिनियम के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की विषय जारी दिनांक से दिनांक 14/03/2023 तक वैध होगी।

- a. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि पर्यावरण प्रभावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन क्रियार्थक प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- b. निर्दिष्ट शर्तानुसार कृतोपलब्ध नहीं किया गया है।
- c. कार्यलय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बलौदाबाजार-नाटयात के डायन क्रमांक 1188/सिनि-8/2022 बलौदाबाजार, दिनांक 20/12/2022 द्वारा विषय वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)
2017-18	4,000
2018-19	1,760
2019-20	410
2020-21	30
2021-22	400

दिनांक 01/04/2022 से आज दिनांक तक किये गये उत्खनन की वार्षिक मात्र की जानकारी खनिज विभाग से प्राप्तित कराकर प्रस्तुत किया जाय आवश्यक है।

2. काम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में काम पंचायत अनापत्ती का दिनांक 21/03/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि उत्खनन के संबंध में काम पंचायत का अद्यतन अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही क्रमांक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. उत्खनन योजना - खनिज क्षेत्र क्वार्टी माइनिंग प्लान एलाय किंग माईन सर्वेयर प्लान किंग इन्फ्रामरिस्ट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.), संचालनमाल, भीमिडी तथा खनिकर्मी, तथा रायपुर अटल नगर के डायन क्र. 1896/सिनि 02/रा.पर.अनुमोदन/प.क्र.08/2021(2) तथा रायपुर, दिनांक 07/04/2022 द्वारा अनुमोदित है। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के सामने में जाय कि प्रस्तुत अनुमोदित क्वार्टी प्लान में कुल लीज क्षेत्र रकबा 1,376 हेक्टर का उल्लेख है, जबकि ऑनलाईन आवेदन में कुल लीज क्षेत्र रकबा 1,373 हेक्टर का उल्लेख किया गया है। पर्यावरण के संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यलय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बलौदाबाजार-नाटयात के डायन क्रमांक 213/ख.सि./2022 बलौदाबाजार, दिनांक 02/06/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 82.814 हेक्टर होना बताया गया है।

जिसमें केवल विधानसभियन खदान को सीज सीमा से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों को 500 मीटर की भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ईआईए नोटिफिकेशन, 2008 (गंगा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर एक समय बनाया जाएगा, जब एक सीज की परिधियों को बीच दूरी एक क्लस्टर शामिल क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिधि से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु इकोनॉमिक्स मिन्टल क्षेत्र में विधानसभियन खदान को सीज सीमा से 500 मीटर की भीतर जाने वाले सभी खदानों को शामिल करने हेतु उक्त इस प्रमाण शामिल खदानों को सीज सीमा से 500 मीटर की भीतर जाने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वही तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।

5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाओं के संबंध में जानकारी कार्यालय कोलेक्टर (समिचि बाख्त) द्वारा प्रेषित कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. सीज का विवरण - पूर्व में सीज की बांँत चक्रवाही के नाम पर की। सीज की 10 वर्षी अवधि दिनांक 28/04/2008 से 28/04/2018 तक की अवधि हेतु जारी की गई थी। तथापि सीज की 20 वर्षी अवधि 28/04/2018 से 28/04/2038 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है। सीज का हस्तांतरण दिनांक 08/02/2022 को श्री भगवती प्रसाद वर्मा के नाम पर किया गया।
7. नू-सामिल - नूनि संबंधी जानकारी/दस्तावेज (बी-1, पी-2) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रती प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनसंरक्षणविभागी, रायपुर उपमंडल, जिला-रायपुर को प्रमाण अनांक/मा.वि./रा./1348, रायपुर दिनांक 28/08/2007 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि सीज क्षेत्र से निकलता वन क्षेत्र की दूरी का उल्लेख करते हुए वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी राम-देवारी 600 मीटर, कुल राम-जरीद 1.4 कि.मी. एवं अन्ततम राम-गुंडा 4.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। जमुनिया नदी 4 कि.मी. दूर है।
11. परिसिध्तिबीध/पैरिसिध्तिगत संवेदनशील क्षेत्र - परिसिध्तिगत प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, परिसिध्तिबीध संवेदनशील क्षेत्र या घोषित पैरिसिध्तिगत क्षेत्र निम्न नहीं होना परिशिध्ति किया है।
12. खनन संघटा एवं खनन का विवरण - जिपेनॉमिक्स निजर्व 3,47,682 टन, माइनेयल रिजर्व 2,12,687 टन एवं निकलहेबल निजर्व 2,02,338 टन है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खनन के लिए परिशिध्तिगत क्षेत्र) का क्षेत्रफल

3,255 वर्गमीटर है। अधोलिखित सभी मैकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। अपनी गिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। बेस की लंबाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 7.03 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खतरा स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जीक ईयर से डिपॉजिट एवं कंट्रोल स्थापित किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का चिक्काया किया जाता है। वर्षाजल प्रस्तावित उत्खनन का चिक्काया निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	31,000
द्वितीय	31,000
तृतीय	31,290
चतुर्थ	31,000
पंचम	27,000

13. जल आपूर्ति – परिशोधना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10.32 कर्ममीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति हेतु सर्वोत्तम एवं संभवित विभाग से अनुमति प्राप्त पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की गट्टी में 500 का वृक्षारोपण किया जाएगा।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा गट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा गट्टी का कुल क्षेत्रफल 3,255 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 180 वर्गमीटर क्षेत्र 3.5 मीटर की गहराई तक 345 वर्गमीटर क्षेत्र 3 मीटर की गहराई तक उत्खनित है जिसका उल्लेख अनुमोदित क्वारी प्लान में किया गया है। प्रतिशोधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा गट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उत्तरांश है। अतः परिशोधना प्रस्तावक को निम्न निम्नानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।
16. पर्यावरणीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माइनिंग प्रोड्यूसर हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्तें क्रमांक 513-11 के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार नई लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े गट्टी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. प्रस्तुतीकरण के दौरान परिशोधना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अधोलिखित शर्तों में चार्ट ऑफ़ खसरा क्रमांक 208 एवं लीज क्षेत्रफल 1,378 हेक्टेयर के खदान पर कुट्टियात चार्ट ऑफ़ खसरा क्रमांक 280 एवं लीज क्षेत्रफल 1,373 हेक्टेयर का उल्लेख हो गया है। उल्लेख का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु

ऑनलाईन आवेदन के दौरान संभावनी पूर्वीक समस्त भूमि संबंधी दस्तावेज के साथ आवेदन किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त कार्यसमिति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. माईन सीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सेफ्टी जेन के क्लर माग में किये गये उल्लंघन के कारण इस क्षेत्र को उपयुक्त उपयो (Beneficial Measures) के संबंध में लक्ष्य सीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग विन्यासनामों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपयो तथा नुसारोपन आदि के लिये समुचित उपयो को विद्यमान बनाने बाबत संघालक, संघालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्न, इटावरी भवन, नया राधपुर अटल नगर, जिला - राधपुर (प्रतीनामदा) को लेख किया जाए।
2. प्रतिक्रियित 7.5 मीटर चौड़ी सीज घट्टी में अक्षय उल्लंघन किया जाना घने जाने पर परिवोजन प्रसालक के विरुद्ध निम्नानुसार विद्यमान कार्यसमिती किये जाने हेतु संघालक, संघालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्न को एवं परिवरण को अति घट्टवाने हेतु प्रतीनामदा परिवरण संघालन संघालन नवल, नया राधपुर अटल नगर को विद्यमान कार्यसमिती किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. पूर्ण में जारी परिवरणनीय वसीकृति का फालन प्रतिकरण के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय परिवरण, एवं एवं जलवायु परिवर्तन संघालन, भारत सरकार, राधपुर को पत्र लेख किया जाए।
4. परिवरण पोर्टल पर आवेदित प्रकल्प में ऑनलाईन जीटी टी.जी.आर दिनांक 02/11/2022 को जारी हो गया है। परिवोजन प्रसालक को जारी जीटी टी. जी.आर. में समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त कार्यसमिति से निम्नानुसार अतिरिक्त टी.जी.आर. सर्त निर्धारित किये जाने की अनुमति की गई-

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC, Raipur.
- iv. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.
- v. Project proponent shall submit the latest NDC from Gram Panchayat (with proceedings and meeting date) for mining.
- vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- vii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.
- viii. Project proponent shall submit certificate regarding important structure (bridge, anicut, temple, dam, canal etc.) within 200 meter radius from the mine, from the Mining Officer of Mining Department.

- ix. Project proponent shall submit the latest NOC from DFO forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- x. Project proponent shall submit the land documents (B-1 & P-2) with consent letter from land owners for uses of land.
- xi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- xii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- xiii. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.
- xiv. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xviii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xix. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate into the EIA report the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xx. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xxi. Project proponent shall complete plantation of previous EC in 7.5 meter safety zone area of 05 feet height and submit a photographs along with the EIA report.
- xxii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit

half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.

- xxii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xxiii. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.
- xxiv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकल्प की दिनांक 20/05/2023 को संयुक्त 140वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा मशीन का अवलोकन किया गया। प्रतिकल्प द्वारा समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए ऑनलाईन जारी जॉईंट टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 में उपरोक्तानुसार अधिनियम शर्तों के अर्धीन टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय लिया गया।

सब टी यह भी निर्णय लिया गया कि—

- (1) (i) माईन लीड क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े रोपटी जॉन के कुछ भाग में किये गये उखानन के कारण इस क्षेत्र को उपचार्य उपचार्य (Remedial Measures) के संघर्ष में तथा लीड क्षेत्र के अंदर माईनिंग विभागाधारों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचार्य तथा क्लोरेशन आदि के लिये समुचित उपचार्य क्वार्टर, संघालनलय, भूमिहीन तथा खनिकर्न, इंडास्ट्री भवन, नया रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लिख किया जाए।
- (ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अधिक उखानन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक को विरुद्ध निषेधानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालनलय, भूमिहीन तथा खनिकर्न को पत्र लिख किया जाए।
- (iii) माईन लीड क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े रोपटी जॉन के कुछ भाग में किये गये उखानन से पर्यावरण को क्षति होने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को निषेधानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लिख किया जाए।
- (2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से कराये जाने हेतु पत्र लिख किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को जॉईंट अधिनियम (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। सब टी संघालक, संघालनलय, भूमिहीन तथा खनिकर्न, इंडास्ट्री भवन, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लिख किया जाए।

4. मेरवां रानीजरीद लाईन स्टोन क्वारी माईन प्रोजेक्ट (श्री- श्री अमित कुमार जखनवी, श्री-टीबू लाईन स्टोन क्वारी, ग्राम-रानीजरीद, तहसील-विमना, जिला-बलीदासगढ़-बादायण (सचिवालय का नसीब क्रमांक 1787)

ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एसआईएन/ 66878/ 2021, दिनांक 03/09/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अनिष्ट होने से ज्ञान दिनांक 13/09/2021 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सचित जानकारी दिनांक 27/09/2022 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रोजेक्ट को आवेदित प्रकल्प में ऑनलाईन जीटो टी.ओ.आर दिनांक 17/10/2022 को जारी होना पड़ा गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व में संचालित कुना पत्थर (वीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-रानीजरीद, तहसील-विमना, जिला-बलीदासगढ़-बादायण स्थित खदान क्रमांक 81, कुल क्षेत्रफल-1.092 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित राजस्व दरमा-14,732.83 टन प्रतिवर्ष है।

प्रतिक्रमण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकल्प पर प्रतिक्रमण की दिनांक 09/03/2023 को संपन्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा नसीब का अवलोकन किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा नोट किया गया कि जारी जीटो टी.ओ.आर प्रकल्प में अतिरिक्त टी.ओ.आर की शर्त अतिरिक्त करने कायदा समिति को सन्तुष्ट किया जाना आवश्यक है।

प्रतिक्रमण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से उपरोक्त टर्म्स को परिष्कार में परीक्षण उपरोक्त निष्पत्तिसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकल्प को एस.ई.ए.सी, प्रतीमागढ़ को सन्तुष्ट प्रस्तुत किये जाने का निर्णय किया गया है। समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरन्स (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय किया गया।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, प्रतीमागढ़ को ज्ञान दिनांक 09/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 18/11/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा ठामसव सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा सचित जानकारी एवं अनुमति पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी। परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी, प्रतीमागढ़ को ज्ञान दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 28/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री किरणचंद जखनवी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसीब प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

1. पूर्व में कुल चार बार खदान चार्ट ऑफ खदान क्रमांक 81, कुल उत्पादन-1,080 टन/दिन, क्षमता-14,817.52 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण प्रशासन विभाग, जिला-बलीदासजल-भाटापरा, दिनांक 10/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष अवधि दिनांक 09/01/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी।

परिशीलना प्रभावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"GA, Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 09/01/2023 तक वैध होगी।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परिशीलना प्रभावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नए मुंबई में पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन परिशीलना द्वारा कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. निर्धारित शर्तानुसार निरीक्षण नहीं किया गया है।

4. कार्यालय कोऑर्डिनेटर (खनिज शोध) जिला-बलीदासजल-भाटापरा, की क्षमता क्रमांक 598/डी 3-3/म.ज. 31/2005 बलीदासजल, दिनांक 27/03/2023 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्पादन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2017-18	7,500
2018-19	6,500
2019-20	5,500
2020-21	2,500
2021-22	6,500
2022-23 (जानवरी 2023)	5,080

समिति का मत है कि पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 09/01/2023 तक की अवधि उपरोक्त पाठ अनुसार 2022 से जनवरी 2023 में 5,080 टन का उत्पादन किया जाना बताया गया है। अतः इस संबंध में कार्यालय कोऑर्डिनेटर (खनिज शोध) से दिनांक 09/01/2023 के पत्राचार सिद्ध गये उत्पादन/उत्पादन की जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

5. घास पंजापत का अनधिकृत प्रयोग पत्र - उत्पादन के संबंध में घास पंजापत एनीकरीड का दिनांक 09/04/2001 का अनुमति प्रमाण पत्र 10 वर्ष हेतु जारी किया गया था। समिति का मत है कि उत्पादन के संबंध में घास पंजापत का

अवदान अनार्षीत प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. **उत्खनन योजना** – जारी पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो उप संघालक (शुद्धि प्रशासन) जिला-बलीदाबाजार-भारतगढ़ के द्वारा क्रमांक 2489/स.ति./वीन-1/2016 बलीदाबाजार, दिनांक 03/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय बल्लेवटार (शुद्धि सहाय) जिला-बलीदाबाजार-भारतगढ़, के द्वारा क्रमांक 149/स.ति./2021 बलीदाबाजार, दिनांक 17/08/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 32 खदानें, क्षेत्रफल 64-137 हेक्टरों में घोषित किया गया है। जिसमें संघल विद्यालयीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। इस प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) में परिभाषित बल्लेवटार अनुसार "कोई बल्लेवटार उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिमिटर के बीच पूरी तम संपूर्ण खनिज क्षेत्र में अन्य खदानों के परिमिटर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् बल्लेवटार हेतु होमोडिफिकेशन नियम क्षेत्र में विद्यालयीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (बल्लेवटार में खदानों को नहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** – कार्यालय बल्लेवटार (शुद्धि सहाय) जिला-बलीदाबाजार-भारतगढ़, के द्वारा क्रमांक 149/स.ति./2021 बलीदाबाजार, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, नदी, राष्ट्रीय राजमार्ग, एरिक्टर बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. **लीज का विवरण** – लीज श्री अनिल कुमार जसवानी के नाम पर है। लीज बीड 15 वर्ष अर्थात् दिनांक 03/10/2021 से 02/10/2031 तक की अवधि हेतु पेश की। तत्पश्चात् लीज बीड 15 वर्ष अर्थात् दिनांक 03/10/2018 से 02/10/2031 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. **गु-स्वामित्व** – गुमि संख्या जानकारी/दस्तावेज (पी-1, पी-2) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** – वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनार्षीत प्रमाण पत्र** – कार्यालय वनसम्पन्न अधिकारी, रावपुर सामान्य वन मण्डल, रावपुर के द्वारा दिनांक 11/08/2021 से जारी अनार्षीत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से निकलता वन क्षेत्र की दूरी का परीक्षण करते हुए वन विभाग का अवदान अनार्षीत प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

किया जाना आवश्यक है। उक्त के संबंध में समिति का मत है कि लीज की दक्षिण भाग में 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में 22 मीटर की गहराई तक के क्षेत्र को ग्रीन बेल्टिंग क्षेत्र में शामिल करना हुये निर्णय की पूर्ण मर्यादा कर संबंधित अनुसंधित माइनिंग प्लान अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।

16. पर्यावरणीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे बोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय हर्त जारी की गई है। हर्त क्रमांक 13(1) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक हर्त के अनुसार माइन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सीपटी ज़ोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. माइन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सीपटी ज़ोन के कुछ भाग में किये गये वृक्षारोपण के कारण इस क्षेत्र के उपजायी जगहों (Arable Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माइनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक जगहों तथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित जगहों को क्रियान्वित करने बाबत संचालक, संचालनलय, सीमिकरी तथा खनिकर्मा हेतुवर्ती प्लान तथा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
2. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अधिक वृक्षारोपण किया जाना चर्चे जाने पर परियोजना प्रस्तावक को विरुद्ध निम्नानुसार वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनलय, सीमिकरी तथा खनिकर्मा को एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु पर्याप्त पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का बालन प्रतिवेदन के संबंध में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।
4. परियोजना फोर्टल पर आवेदित प्रकरण में ऑनलाइन ऑटो टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 को जारी हो गया है। परियोजना प्रस्तावक को जारी ऑटो टी. ओ.आर. में समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार अतिरिक्त टी.ओ.आर. हर्त निर्धारित किये जाने की अनुमति की गई:-
 - i. Project Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

- iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&OC Raipur.
- iv. Project proponent shall submit production detail from 09/01/2022 to till date from the mining department.
- v. Project proponent shall submit the latest NOC from Gram Panchayat (with proceedings and meeting date) for mining.
- vi. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.
- vii. Project proponent shall submit revised mining plan and incorporate the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- viii. Project proponent shall submit the latest NOC from DFO forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- ix. Project proponent shall submit the land documents (B-1 & P-2) with consent letter from land owners for uses of land.
- x. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- xi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- xii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- xiii. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.
- xiv. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- xv. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
- xvi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xvii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- xviii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xix. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from

mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.

- xx. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xxi. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xxii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xxiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.
- xxiv. Project proponent shall complete the fencing all along the boundary and submit photographs in the EIA report.

प्रतिकूलन द्वारा बीछल में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकूलन की दिनांक 22/05/2023 को संलग्न 149वीं बीछल में विचार किया गया। प्रतिकूलन द्वारा कमी का अंशोक्षण किया गया। प्रतिकूलन द्वारा समिति की अनुमति को स्वीकार करती हुये ऑनलाईन जारी ऑटो टी.ओ.आर. दिनांक 09/11/2022 में उपरोक्तानुसार अधिरिक्त शर्तों को अंशोक्षण जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि-

- (1) (i) नाईन सीज क्षेत्र को चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उपखनन से कालम इस क्षेत्र को उपयुक्त उपयुक्त (Remedial Measures) को संस्था में तथा सीज क्षेत्र के अंदर मरुईनिंग कियेकलादी के कारण उपखनन प्रदूषण निर्माण हेतु आवश्यक उपयुक्त तथा कृशालेयता आदि को किये समुचित उपयुक्त बाबात संघालक, संघालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्म, इंडास्ट्री भवन, नया रावपुर अटल नगर, जिला – रावपुर (अलीबागढ़) को यह लिख किया जाए।
- (ii) अधिरिक्त 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अधिक उपखनन किया जाना पाये जाने पर परिलोकना प्रतायक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालनालय, भीमिडी तथा खनिकर्म को यह लेख किया जाए।
- (iii) नाईन सीज क्षेत्र को चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उपखनन से पर्यावरण को अति होने के कारण उल्टीकालन पर्यावरण संस्था में नया रावपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु यह लेख किया जाए।



(2) पूर्व में जारी सर्वोपयोगी स्वीकृति का प्रारम्भ प्रविष्टिगत एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंजूर जाने हेतु काब लेखा किया जाए।

परिचोदना प्रस्तावक को टर्न ऑफ रेवेन्यू (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संचालक, संचालनालय, भूमिहीन तथा स्वामिन्, इलाहाबादी कानून, नया रायपुर अटल नगर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेखा किया जाए।

5. मेराली राष्ट्रीय स्टाईमस्टोन क्वारी माईन (जी- सीमटी आनटी क्वारी, ग्राम-राजीवपुर, तहसील-विन्ना, जिला-बलीदाकाजार-माटापारा (अधिकार का नक्का क्रमांक 1918)

ऑनलाइन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एमआईए/ सीजी/ एमआईएन/11310/2022, दिनांक 20/01/2022 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परिचोदना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत आवेदन में त्रुटि होने से प्रारम्भ दिनांक 28/01/2022 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। परिचोदना प्रस्तावक द्वारा पंक्ति जानकारी दिनांक 28/08/2022 को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई। पंक्ति पोर्टल के आवेदित प्रकरण में ऑनलाइन ऑटी टी.ओ.आर. दिनांक 08/09/2022 को जारी होना पक्का गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह समस्त विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संघटित पूरा पत्थर (पीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-राजीवपुर, तहसील-विन्ना, जिला-बलीदाकाजार-माटापारा, खाना क्रमांक-807, 808, 809/1, 809/2, 809/3, 809/4, 810/1 एवं 810/2, कुल क्षेत्रफल-1.219 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-28,428 टन प्रतिवर्ष है।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रधिकरण की दिनांक 09/09/2022 को संचाल 140वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा जारी का अंशोक्तन किया गया। प्रधिकरण द्वारा नोट किया गया कि जारी ऑटी टी.ओ.आर. प्रकरण में अतिरिक्त टी.ओ.आर. की जारी अधिवेदित करने बाबत समिति को सन्का विचार किया जाना आवश्यक है।

प्रधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से उपरोक्त क्वारी के परिच्छेद में परीक्षण उपरोक्त नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण को एल.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के सन्का प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है। समिति की अनुमति को स्वीकृत करने हेतु सन्काअनुसार टर्न ऑफ रेवेन्यू (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

उपानुसार परिचोदना प्रस्तावक को एल.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ को प्रारम्भ दिनांक 14/09/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 434वीं बैठक दिनांक 20/09/2022

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परिचोदना प्रस्तावक को पत्र दिनांक 20/09/2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि आवेदित प्रकरण हेतु ऑनलाइन

ऑटो टी.ओ.आर. (Auto ToR) जारी हो गया है। साथ ही क्लरकर में जाने वाली अन्य सूचनाओं के लिए वेबसाईन डाटा अपडेटेशन का कार्य दिनांक 01/03/2022 से 31/03/2023 के मध्य किया गया है। उक्त के संबंध में दिनांक 14/03/2022 को सूचना भी दी गई थी। परियोजना प्रसाधक द्वारा ऑनलाईन जारी ऑटो टी.ओ. आर. (Auto ToR) को मान्य करते हुए ई.आई.ए. रिपोर्ट जमा किये जाने की अनुमति हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा नोट किया गया कि ऑनलाईन में ऑटो टी.ओ.आर. जारी हो चुका है, वृत्ति समिति द्वारा प्रकरण पर प्रस्तुतीकरण हेतु विचार नहीं किया गया है। अतः समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अपलोडिंग एवं परीक्षण कर तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रसाधक को पूर्व में जारी गई वरिष्ठ जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रसाधक को एच.ई.ए.सी, फलीवागढ़ के द्वारा दिनांक 09/01/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 445वीं बैठक दिनांक 11/01/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रसाधक को पत्र दिनांक 11/01/2023 द्वारा सूचना दी गयी है कि अद्यतित कार्य कार्यों से समिति को समस्त बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आगोजित बैठक में समय इदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रसाधक को पूर्व में जारी गई वरिष्ठ जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रसाधक को एच.ई.ए.सी, फलीवागढ़ के द्वारा दिनांक 23/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 450वीं बैठक दिनांक 28/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राहुल शर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अपलोडिंग एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

1. पूर्व में कुल पंचार सूचान संख्या क्रमांक 807, 808, 809/1, 809/2, 809/3, 809/4, 810/1 एवं 810/2, कुल क्षेत्रफल-1219 हेक्टर, समता 9.81942 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला सरीस पर्यावरण संरक्षण निदेशन अधिकरण, जिला-बलीराजपुर-बाटागढ़ द्वारा दिनांक 07/01/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 05 वर्ष अवधि दिनांक 08/01/2022 तक की अवधि हेतु वैध थी।

परियोजना प्रसाधक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार—

"SA, Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior

वर्ष	प्रस्तावित उत्पादन (टन)
प्रथम	34,000
द्वितीय	36,825
तृतीय	39,425
चतुर्थ	37,975
पंचम	27,300

- जल आपूर्ति - परिवर्धना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3.54 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति हेतु संबंधित विभाग से अनुरोधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- कुआरेशन कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की गहरी में 500 मीटर कुआरेशन किया जाएगा।
- खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा गहरी में उत्पादन - लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा गहरी का कुल क्षेत्रफल 4,480 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 100 वर्गमीटर क्षेत्र 7 मीटर की गहरी एक उत्पादित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित माईनिंग प्लान में है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा गहरी में उत्पादन किया जाना पर्यावरणीय स्थैर्यता की सही का उत्पादन है। अतः परिवर्धना प्रस्तावक को विरह्य नियमानुसार कैथनिक कार्रवाही किया जाना आवश्यक है।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीचे लीज माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय सर्त जारी की गई है। सही क्रमांक 51811 के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक सर्त के अनुसार माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सीमा गहरी में कुआरेशन किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति के निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

- माईनिंग लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सीमा गहरी क्षेत्र के कुल भाग में किये गये उत्पादन के कारण इस क्षेत्र के उपर्युक्त उपर्युक्त (Sensitized Mesurement) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपर्युक्त तथा कुआरेशन आदि के लिये समुचित उपर्युक्त को क्रियान्वित बनाने बाबत संचालक, संचालनालय, भीमिडी तथा खनिजन, इटावा की भवन, नया रावपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) को लेख किया जाए।
- प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा गहरी में अधिक उत्पादन किया जाना पाये जाने पर परिवर्धना प्रस्तावक को विरह्य नियमानुसार कैथनिक कार्रवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिडी तथा खनिजन की एवं कार्रवायों को सति

पट्टामने हेतु पत्तीसगड पर्यावरण संरक्षण संकलन संकलन, नवा रायपुर अटल नगर को केन्द्रीय कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन इतिवेदन के संघ में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संघालय, नवा रायपुर अटल नगर को वन लेख किया जाए।
4. परिवेश पोर्टल वन आवेदित इकाय में ऑनलाईन ऑपी टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 को जारी हो गया है। परियोजना इकायक को जारी ऑपी टी. ओ.आर. में समिति द्वारा विचार विमर्श करवाते सर्वसम्मति से निम्ननुसार अधिष्ठा टी.ओ.आर. को निर्धारित किये जाने की अनुमति की गई-
 - i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattingarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
 - ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
 - iii. Project proponent shall submit compliance report of previous environment clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Raipur.
 - iv. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.
 - v. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.
 - vi. Project proponent shall submit the top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
 - vii. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
 - viii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
 - ix. Project proponent shall submit the details of water source and NOC for usage of water from competent authority.
 - x. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
 - xi. Project proponent shall submit a Cumulative Environment Impact Assessment Study (Air, Water, Noise, Soil, Traffic etc) of the Industries located in the nearby area and Ecology of the buffer zone of study area and shall incorporate the same in the EIA report.
 - xii. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
 - xiii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

- xiv. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- xv. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall incorporate the mined out area and remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xvi. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xvii. Project proponent shall undertake plantation within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xix. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्रदूषण द्वारा रोक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रदूषण को दिनांक 22/08/2023 को संयंत्र 148वीं रोक में विचार किया गया। प्रदूषण द्वारा नली का अवलोकन किया गया। प्रदूषण द्वारा समिति को अनुसंधान को स्वीकार करने हेतु ऑनलाईन जारी ऑडी टी.ओ.आर. दिनांक 07/11/2022 में उपरोक्तानुसार अधिसूचना जारी की जायेगी टी.ओ.आर. जारी करने का निर्णय किया गया।

साथ ही यह भी निर्णय किया गया कि:-

- (1) (i) साईन सीज क्षेत्र के घाटी क्षेत्र 7.5 मीटर चौड़े घाटी क्षेत्र के कुछ भाग में कड़े रकें रखने के कारण इस क्षेत्र के उपजाऊ जमीनें (Ruralized Moorland) के संरक्षण में तथा सीज क्षेत्र के अंदर साईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचारों तथा कृषिप्रणाली आदि के लिये स्तुभित उपचारों यथा संरक्षण, संरक्षण, भूमिहीन तथा खनिज, इंधन, नया उपकरण अद्यतन, जिला – रायपुर (अलीसम) को पत्र लिखा जाये।
- (ii) प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में कड़े रखने के कारण उत्पन्न प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक उपचारों यथा संरक्षण, संरक्षण, भूमिहीन तथा खनिज को पत्र भेजा जाये।



(अ) साईन सील बोर्ड को जारी और 7.5 मीटर चौड़े रोपटी ज़ोन को कुछ भाग में किये गये उपखनन से पर्यावरण को हानि होने के कारण उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को निषेधानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

(2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय सटीकता का पत्रन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परिचालना प्रस्तावक को टर्म ऑफ रेफरेंस (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संघालय, संघालयालय, भूमिहीन तथा खनिकर्त, इन्डियन नेशनल नया रायपुर अटल नगर एवं उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यलय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

8. केसरई अडोली बलंग स्टोन साईन (नो- बी रोडन रेवांचन), ग्राम-अडोली, तहसील व जिला-बलानगढ़ (सविद्यालय का जारी क्रमांक 1583)

ऑनसाईन आवेदन - पूर्व में प्रोपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 81416/2021, दिनांक 03/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रोपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/40898/ 2023, दिनांक 08/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय सटीकता प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित खरीद पत्र (गोल खनिज) खदान है। खदान ग्राम-अडोली, तहसील व जिला-बलानगढ़ स्थित खसरा क्रमांक 125/1, 125/2, 127, 128/1, 128/2, 131, 132 एवं 148/2, कुल क्षेत्रफल-1.84 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित राखण क्षमता-10,944 टन (4,580 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.आई.ए.सी. उत्तीर्णगढ़ के द्वारा क्रमांक 851, दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रस्ताव 'बी' खेदेगरी का होने के कारण नया सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2018 में प्रस्तावित स्टैन्डर्ड टर्म ऑफ रेफरेंस (टी.ओ.आर.) नंबर ई.आई.ए./ई.ए.पी. रिपोर्ट नंबर डोजेक्ट/एस्टीमिटेड रिजल्टरिज इन्फार्मेटिव क्लीयरेंस अफर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित भेजी 1(ए) का स्टैन्डर्ड टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) हेतु किया गया है।

उपरोक्त परिषेचना प्रस्तावक को एस.आई.ए.सी. उत्तीर्णगढ़ के द्वारा दिनांक 23/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 48वीं बैठक दिनांक 28/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु बी रोडन रेवांचन, प्रोपराइटर एवं पर्यावरण सल्लाहकार के रूप में मेसर्स कॉन्सीक्रेन्स रिजर्स इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुश्री अंजली प्रधाने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नली, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-



1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इन्फो ई.आई.ए रिपोर्ट में सभी एसीटीए एन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन लिमिटेड, नौरा, उत्तराखण्ड द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स एसीटीए एन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन लिमिटेड, नौरा, उत्तराखण्ड द्वारा अपरिहार्य कारणों से अपेक्षित प्रकल्प की पर्यावरणीय स्थिति प्रति हेतु आगामी कार्यवाही की जाती रहने में असमर्थता व्यक्त की गई। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स डी.बी.जे.एस. रिसर्च इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन लिमिटेड, नौरा, उत्तराखण्ड को नियुक्त किया गया। जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को सूचना दी गई। तदनुसार मेसर्स डी.बी.जे.एस. रिसर्च इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन लिमिटेड द्वारा इन्फो ई.आई.ए रिपोर्ट का विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) का फाइनल ई.आई.ए रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थिति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्थिति जारी नहीं की गई है।
3. धान संघारत का अनुमति प्रदान पत्र - प्रकल्पन के संबंध में धान संघारत आगामी का दिनांक 17/02/2021 का अनुमति प्रदान पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. प्रकल्प योजना - जारी प्लान इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वार्टी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (स.स.) संघालनलय, भीमिडी तथा खनिकर्म, नया रावपुर अटल नगर के द्वारा वू. अ. 105/खनि 02/पा.प्र.अनुमोदन/न.अ.02/2019(2) नया रावपुर, दिनांक 08/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्बोलेय कलेक्टर (खनिज साठा), जिला-महासमुंद के द्वारा क्रमांक 825/क/खनि/न.अ.73/2019 महासमुंद, दिनांक 08/05/2022 के अनुसार अपेक्षित खदान में 500 मीटर की सीमा अस्थिर 28 खदानें, क्षेत्रफल 21.98 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्बोलेय कलेक्टर (खनिज साठा), जिला-महासमुंद के द्वारा क्रमांक 285/क/खनि/न.अ./2021 महासमुंद, दिनांक 18/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान में 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे बरिन बरिज, मठ, अस्पताल, स्कूल, पुज, बांध एवं एनीकर आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.डी.आई. संबंधी विवरण - एल.डी.आई. की रीजन देवंगन के नाम पर है, जो कार्बोलेय कलेक्टर (खनिज साठा), जिला-महासमुंद के द्वारा क्रमांक 1085/क/खनि पट्टा/खनि/न.अ.73/2019 महासमुंद, दिनांक 25/11/2020 द्वारा जारी की गई। जिसकी वैधता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। तदनुसार संघालनलय, भीमिडी तथा खनिकर्म, नया रावपुर अटल नगर के वू. द्वारा क्रमांक 10/खनि 02/पा.प्र.-अनुमोदन/न.अ. 50/2019(2) नया रावपुर, दिनांक 01/01/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार एल. डी.आई. में 1 वर्ष की वैधता वृद्धि कि गई थी। तदनुसार एल.डी.आई. की वैधता वृद्धि संबंधी न्यायालय, संघालक भीमिडी तथा खनिकर्म, नया रावपुर अटल नगर के पुरस्कार प्रकरण क्रमांक 82/2022 द्वारा जारी वारंट जारी दिनांक 18/02/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के

साथी जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर सिट्टी को मरुने एकाधिक कर निरीक्षण किया गया है।

- vi. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ₂, एसओ₃ का मानक लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	20	46	60
PM ₁₀	58	75	100
SO ₂	7	20	80
NO ₂	15	37	80

- vii. अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	48.4	62.3	75
Night L _{eq}	38.4	49.8	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। मॉनिटरिंग कार्य तथा अतिरिक्त मॉनिटरिंग कार्य के परिणाम तुलनात्मक रूप से समान पाये गये।

- viii. पी.सी.यू. की गणना- गली बाइपास / मल्टीएलवेल ईन्टी बाइपास को समर्थित करने हेतु ट्रेकिंग अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 405.80 पी.सी.यू. अतिरिक्त एवं की./मी. अनुपात (ATC 1980) 0.213 है। प्रस्तावित परिवर्तन के कारण 80 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। उपरोक्त कुल 485.80 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं की./मी. अनुपात (ATC 1980) 0.260 होगी। विस्तार के कारण भी टी-मटेरियल/रोडवर्क के परिवर्तन हेतु सबसे कम की लोड लेवल समतल निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।
- ix. जी.एल.सी. की गणना - जी.एल.सी. की गणना प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान क्षेत्र में पी.एम_{2.5} का अधिकतम अनुमेयित जी.एल.सी. 79.78 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ तथा पी.एम₁₀ का अधिकतम अनुमेयित जी.एल.सी. 47.27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ होगी। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।
18. लोक सुनवाई दिनांक 05/08/2022 अन्तर्गत 12-80 बजे स्थान - ग्राम पंचायत मरु, ग्राम-अधोली, तहसील एवं जिला-ग्वालियर में सम्पन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज तैयार करके, पालीकमंड पर्यावरण संरक्षण मंडल, मरा बाघपुर अटल मरु, जिला-बाघपुर के पत्र दिनांक 19/08/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।
19. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विचार प्रस्तुत किये गये हैं-
- किजी जमीन में जो खदान संचालित कर रहे हैं, वह जिला भी वेस्ट मटेरियल है वह अपने जगह में रखें, वहाँ भी वेस्टेज सामग्रीय भूमि में न करें।
 - खदान को चारों ओर तार बने की आवश्यकता है। तार घेरा नहीं होने के कारण गहरी अदि निर रहे हैं। लोहे के तार द्वारा घेरा बनाया जाए जिससे धमीनी एवं जानवरों को दुर्घटना से बचाया जा सके।

क. काम के सभी चरण में बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिसमें बड़ी मछलियाँ जाली सज्जद गिर जाती हैं, तेज गन्धार राहियों के कारण कई दुर्घटनाएँ होती हैं।

लोक बुलावाई के दौरान उठाने गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रत्यावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का क्या निम्नानुसार है:-

1. काम के दौरान उठाने वाले बड़े गड्ढों का निराकरण अनुसंधित उपाययन योजना के अनुसार ही किया जायेगा, इनमें खदान क्षेत्र की बाहर किसी भी सार्वजनिक स्थल के इर्द गिर्द या सामंजस्य स्थल में काम नहीं किया जायेगा।
2. खदान का सीमांकन कन्सल्टेंट, पार्टी और पॉलिम करवाकर ही उपाययन किया जायेगा, काम संभवता द्वारा जो निर्णय किया जायेगा, उसका पूर्णतः पालन किया जायेगा।
3. सड़क में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्रसिद्धित बाड़न बालकों को लगाया जायेगा एवं बाड़न बालकों को सतत दिशा निर्देश दिये जायेंगे। पत्थरों का परिवहन लकड़ीलिन से बुरकर, परिवहन के सभी नियमों का पालन कर्त्ती हुए किया जायेगा। निम्नानुसार परिसीमा में ही परिवहन किया जायेगा।

20. कन्सल्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान – परियोजना प्रत्यावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल कर्त्ती हुए कन्सल्टर में कुल 4 खदानें शामिल हैं। जो कन्सल्टर में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (अपर्य)	द्वितीय (अपर्य)	तृतीय (अपर्य)	चतुर्थ (अपर्य)	पंचम (अपर्य)
प्रथम निर्माण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टीय मार्ग से प्राप्त हुए सामंजस्य के निर्माण हेतु जल सिंचकण्ड, पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 500 मीटर	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000
पट्टीय मार्ग (कुल लम्बाई 500 मीटर) के दोरी तारक (334 मम) कुशासेपण हेतु	3,070	300	300	300	300
दोरी तारक (334 मम) कुशासेपण हेतु	83,880	80,320	80,320	80,320	80,320
खान्ड हेतु	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350
सिंचकण्ड हेतु	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000

			Plantation at Village Pond with fencing	0.891
			Total	0.891

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत लागवह के क्षेत्रफल अनुसार कुल 20 नग पीछी को रोपण किया जा सकता है, परंतु इन में लागवह के किन्तारे 20 नग पीछी उचित है। शेष 50 नग पीछी को रोपण क्लस्टर में शामिल कुल 4 छावनी को द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 17 नग पीछी को पुनारोपण (4 पीछी से 5 पीछी ऊपर) की पीछे - आम, जलुन एवं कटहल) के लिए रशि 2,550 रुपये, सिंचाई के लिए रशि 5,000 रुपये, खाद के लिए रशि 650 रुपये, फॉसिल तथा खाद-खाद आदि के लिए रशि 9,500 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल रशि 17,900 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल रशि 51,200 रुपये हेतु परावृत्त खर्च का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उद्योगीय स्थान (खसरा क्रमांक 1823, क्षेत्रफल 0.42 हेक्टेयर) के लंबे में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
23. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यकरण हेतु आम संघघात का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
24. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 32,834 घनमीटर है। इसमें से 1,838 घनमीटर ऊपरी मिट्टी की सीमा पर 7.5 मीटर चौड़ाई (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में विलक्षण पुनारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा, व शेष 30,996 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर खद की भूमि (खसरा क्रमांक 1713, 1714, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722 एवं 1723, रकबा 0.64 हेक्टेयर) में मंडरित वन संरक्षित रखा जाएगा।
25. कार्यलय कार्यकरण अधिष्ठाता जल संसाधन संभाग महाराष्ट्र, जिला-महाराष्ट्र के ज्ञान दिनांक 07/10/2022 द्वारा जारी अनुरोध प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित भूमि महानदी से लगभग 300 मीटर एवं खोखार नाला 300 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो की स्वतः निर्देशन एवं प्रायः संशोधन के अनुसार कार्य भी प्रभावित नहीं हुआ है" का उल्लेख है।
26. ऊपरी मिट्टी को सर्वप्रथम लीज क्षेत्र के अंदर रोपटी जोन में 1 मीटर की चौड़ाई तक मंडरित करने तथा शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर मंडरित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुसरोपण न करने, विखनन न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःरोपण हेतु किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना को दिन-दिन स्वतः से सुविधित करत चलाने होगा, उन स्थलों पर नियमित जल सिंचन की व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सचन पुनारोपण किये जाने एवं रोपित पीछी का सलवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. अतीसमय आदर्श पुनरोपण नीति के तहत स्वतंत्र लेनी को संयोजित किये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल CONCESSION (Minerals Concession Rules) के तहत बाउण्ड्री विस्तार द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. किसी भी प्रकार का दूषित जल का अथवा प्राकृतिक जल नदी, तालाब, नदी, खाड़ा में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रकरण का प्रकरण लंबित नहीं है।
34. लोक सुनवाई के दौरान जो भी आवेदन, मुद्दाय या मुद्दे उठाये गये हैं, उनके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब एवं जानकारी के अनुसार निराकरण करने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. राष्ट्रीय पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुपालन के लिए पर्यावरण के माईजललाईन के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किये जाने एवं समिति के दिशा-निर्देश तथा नियमों में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण का निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. आवेदित खदान को शामिल कर क्लस्टर में कुल 4 खदानें हैं। क्लस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता लेकर कर नहीं में प्रदर्शित कर्ता हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान को तहत किये जाने वाले कार्य हेतु अनुबंध क्लस्टर जानकारी प्रस्तुत की गई है।
37. क्लस्टर में जाने वाले खदान के लिए लेकर कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु खदान का अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुन-परीक्षा कर प्रस्तुत किया गया है।
38. सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं बुझारोपण कार्य के सीकरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-धायक समिति (जोयन्ट/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या भारतीयमण्ड पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं बुझारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित वि-धायक समिति से सार्वजनिक कराया जाना आवश्यक है।
39. माननीय एन.डी.टी., डिप्टी कमिश्नर एवं नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च वाक्येय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(अतिरिक्त एनवायरनमेंट नं. 188 जीए 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को जारी आदेश में कुछ संशोधन किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP to be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. सर्वोच्च कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट), जिला-महासमुद्र के द्वारा दिनांक 028/08/2019/सुप्री/स.जी.73/2019 महासमुद्र, दिनांक 09/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 21.68 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (घाम-अधोली) का क्षेत्रफल 1.64 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-अधोली) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 23.32 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थित/संबंधित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान की-1 श्रेणी की शर्तों पर है।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार क्लस्टर में जाने वाले खदानों की जांच/समिति की कार्यवाही से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु क्लस्टर में जाने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुए, क्लस्टर हेतु अंतिम इन्फ्लोअरेंस स्टेटमेंट प्लान तैयार किया जाने तथा नियमित करने हेतु संघातक, संघातनात्मक, भौतिकी तथा सामाजिक, ह्रासनीय धन, नया संपत्ति अंतर, जिला - रायपुर (जिलासमूह) के स्तर से समुचित कार्यवाही किया जाने हेतु लेख किया जाय।
3. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यकरण हेतु घाम संघात का समिति पर एन.ई.आई.ए.ए. जिलासमूह में अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अंतर्गत पर्यावरणीय स्थिति की सर्वोच्च अनुमति की जाती है।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स अधोली फ्लैट स्टीन माइंस (प्रा. - की रोकथाम रोकथाम) को घाम-अधोली, तहसील व जिला-महासमुद्र के समस्त क्रमांक 126/1, 126/2, 127, 128/1, 128/2, 131, 132 एवं 148/2 में स्थित सभी खदान (गोला खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.64 हेक्टेयर, क्षमता-10,000 टन (4,000 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु सर्वोच्च पर्यावरणीय स्थिति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्रतिकारण द्वारा क्लस्टर में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकारण की दिनांक 22/08/2023 को संपन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकारण द्वारा सभी को अवगत किया गया। प्रतिकारण द्वारा नोट किया गया कि पर्यावरण प्रशासन द्वारा दिनांक 09/05/2023 के पत्र के सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यकरण हेतु घाम संघात अधोली का समिति पर घाम कर प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिकारण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदक - मेसर्स अधोली फ्लैट स्टीन माइंस (प्रा. - की रोकथाम रोकथाम) को

पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों को अंतिम निर्धारित किया गया शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किया जाने की स्थिति में विधिक कार्यवाही की जाएगी।

परिचोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

7. मेसर्स अर्धोत्ती फ्लेम स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट (प्री.- अर्धोत्ती कुमार चंदाकर, राम-अर्धोत्ती, तहसील व जिला-महासमुंद्र (सचिवालय का नस्ली क्रमांक 1881)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 81478/2021, दिनांक-04/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/416801/ 2023, दिनांक-08/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की लिए आईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट अनुमति की गई है।

खदान का विवरण - यह प्रस्तावित कर्ली खदान (पीन खनिज) खदान है। खदान राम-अर्धोत्ती, तहसील व जिला-महासमुंद्र, खसरा क्रमांक 838, 838 एवं 888, कुल क्षेत्रफल-3.88 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-4.104 टन प्रतिदिन है।

पूर्व में एस.आई.ए.सी. अर्धोत्तीगढ़ के खानन क्रमांक 838, दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रस्ताव 'बी' श्रेणी का होने से खानन मात्र सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2018 में प्रस्तावित स्टैम्पड एम्स ऑफ डिफेंस (टी.ओ.आर.) और ई.आई.ए./ई.एम.सी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिकॉर्डिंग इन्फार्मेट इन्फार्मेशन अफर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में जारी केली 1(ए) का स्टैम्पड टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) हेतु किया गया है।

तदनुसार परिचोजना प्रस्तावक को एस.आई.ए.सी. अर्धोत्तीगढ़ के खानन दिनांक 28/03/2023 द्वारा अनुमोदन हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(30) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 28/03/2023 :

अनुमोदन हेतु श्री देविन्द्र चंदाकर, अधिवृत्त प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सहायक को सच में मेसर्स अर्धोत्तीगढ़ सिंगल इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नोरखा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुधी अर्धोत्ती खदान उपस्थित हुए। समिति द्वारा सही, अनुमति जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. अनुमोदन के दौरान परिचोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स मेसर्स एसीटीए एनवायर्मेंटल इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नोरखा, उत्तरप्रदेश द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स एसीटीए एनवायर्मेंटल इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नोरखा, उत्तरप्रदेश द्वारा उपस्थित कालों से आवेदित प्रस्ताव की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रप्त हेतु अर्धोत्ती खदानों को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की गई। तदनुसार परिचोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स अर्धोत्तीगढ़ सिंगल इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नोरखा, उत्तरप्रदेश को निर्दिष्ट किया गया। जिसके संदर्भ में परिचोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को सूचना दी गई। तदनुसार मेसर्स अर्धोत्तीगढ़ सिंगल इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर आईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का अनुमोदन किया गया।



2. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. धान संशोधन का अनामति प्रमाण पत्र — उपरोक्त के संबंध में धान संशोधन अखंडी का दिनांक 17/02/2021 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. वास्तव्य योजना — जारी प्लान, इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान एमड जारी करीबन प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (एडए) संचालनलय, भीमिडी तथा खनिज नया रायपुर अटल नगर के प्लान क्र. 220/खनि 02/वास्त.अनुमोदन/न.क्र.02/2018(र) का रायपुर, दिनांक 06/02/2021 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज संचाल), जिला-महासमुद्र के द्वारा क्रमांक 224/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुद्र, दिनांक 09/05/2022 के अनुसार आवेदित खदान को 500 मीटर की सीमा आवेदित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.15 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनिज संचाल), जिला-महासमुद्र के द्वारा क्रमांक 224/क/खनि/न.क्र./2021 महासमुद्र, दिनांक 18/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एक खदान को 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मस्जिद, कचरा, स्कूल, पुस्तकालय एवं एनोकेट आदि प्रतीक्षित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — भूमि एवं एल.ओ.आई. की अंतिम नुसार प्रमाण के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज संचाल), जिला-महासमुद्र के द्वारा क्रमांक 1894/क/खनि पट्टा/खनि/न.क्र.80/2019 महासमुद्र, दिनांक 28/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी शिफा जारी दिनांक 11/11/2020 की अवधि तक थी। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की शिफा वृद्धि संचालनलय, भीमिडी तथा खनिज नया रायपुर अटल नगर के प्लान क्र. 02/खनि 02/सच-अनुमोदन/न.क्र.80/2018(र) का रायपुर, दिनांक 01/01/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी शिफा 5 वर्ष (अर्थात् दिनांक 31/12/2022) की अवधि हेतु वैध थी। उपरोक्त एल.ओ.आई. की शिफा वृद्धि का संचालन संचालक भीमिडी तथा खनिज नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 87/2022 द्वारा जारी पत्रित आदेश दिनांक 16/02/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के अभाव में पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, यह निर्दिष्ट किया जाता है कि प्रतीक्षित सीमा खनिज नियम, 2018 के नियम 42(3) संघु के तहत एक प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं वास्तव्य पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला महासमुद्र को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. धन विभाग का अनामति प्रमाण पत्र — कार्यालय वनसंरक्षण अधिकारी, वनसंरक्षण, जिला-महासमुद्र के द्वारा क्रमांक/वा.वि./201 महासमुद्र, दिनांक 08/01/2022 से जारी अनामति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र की

सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है तथा आवेदित क्षेत्र वन्यजीवी अभयारण्य से 84 कि.मी. दूरी पर है।

10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवेदी घास-आवोली 1.1 कि.मी., नकुल घास-आवोली 1.4 कि.मी. एवं अमरनाथ बेलनाभ्या 8.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 42 कि.मी. एवं राजमार्ग 168 कि.मी. दूर है। महानदी 1.8 कि.मी., जालम 800 मीटर, सीतानी नाला 2.3 कि.मी. एवं नहर 780 मीटर दूर है।
11. परिसिध्दतिहीन/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिसि में आंतरराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, परिसिध्दतिहीन संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होने प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण – जिपसॉरिजिनल रिजर्व 5,52,980 टन, माईनबल रिजर्व 3,30,881 टन एवं निकलबल रिजर्व 3,14,147 टन है लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8.738 वर्गमीटर है। खनन कार्ट मैनुअल विधि से खनन किया जाएगा। खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में अपनी पिट्टी की गहराई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 88,683 घनमीटर है। बेंच की गहराई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की स्थापित आयु 75 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खनन स्थापित नहीं है। स्टीन कार्ट का उपयोग किया जाएगा। परिवार प्रस्तावित खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित खनन (टन)
प्रथम	4,104	षष्ठम	4,035.8
द्वितीय	4,035.8	सप्तम	3,967.2
तृतीय	4,069.8	अष्टम	4,001.4
चतुर्थ	4,104	नवम	4,069.8
पंचम	4,001.4	दशम	4,104

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरोवेल के माध्यम से किया जाएगा। इस बाबत सेंट्रल प्रायमरी वीटर अथॉरिटी का अनुरोध प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,740 वन वृक्षारोपण किया जाएगा। वस्तुतः प्रस्ताव अनुसार पौधों के लिए राशि 17,400 रुपये, बेंच निकल बॉयिंग व पौधों के रख-रखाव के लिए राशि 1,47,275 रुपये, व्यय के लिए राशि 44,328 रुपये एवं सिंचाई आदि के लिए राशि 80,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,89,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 7,44,000 रुपये आगामी चार वर्ष हेतु पर्यवेक्षण व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विलेपन :-



- i. जल एवं वायु अति गुणवत्ता संवर्धी जाणकारी – वॉनितरिंग कार्य 2 वार्ष 2022 से 15 जून 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. वॉनितरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का साम्थन लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	28.00	44.00	60
PM ₁₀	55.00	73.00	100
SO ₂	7.00	20.00	80
NO ₂	15.00	37.00	80

- iii. परिवेशीय जल से अतिसादा जल पत्रों की गुणवत्ता- ईआईए के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट, अमोनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का साम्थन लेवल भारतीय मानक से कम है।
- iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	43.8	63.1	75
Night L _{eq}	35.3	48.9	70

जो जल शोध के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. जल वॉनितरिंग कार्य के अतिरिक्त वॉनितरिंग कार्य 01 अक्टूबर 2022 से 16 नवम्बर 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- vi. अतिरिक्त वॉनितरिंग कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का साम्थन लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	29.00	45.00	60
PM ₁₀	56.00	74.00	100
SO ₂	8.00	21.00	80
NO ₂	16.00	38.00	80

- vii. अतिरिक्त वॉनितरिंग कार्य के परिणामों अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	44.8	64.1	75
Night L _{eq}	36.3	49.9	70

जो उच्च क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

16. पी.सी.यू. की गणना- भारी वाहनों / मल्टीएक्सल हेवी वाहनों को सम्बंधित करते हुए ट्रेफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 450 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं की/सी अनुपात (AVC Ratio) 0.21 है। प्रस्तावित परिवहन व्यवस्था 18 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 468 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं की/सी अनुपात (AVC Ratio) 0.229 होगी। विस्तार के उपरांत भी सी-मेट्रिक्स/प्रोजेक्ट्स के परिष्कार हेतु सड़क मार्ग की लोड बर्निंग क्षमता निर्धारित मानक (Jury Good) के भीतर है।

16. पी.एल.सी. की गणना - पी.एल.सी. की गणना प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में पी.एल.सी. का अधिकतम क्यूमेसिटिव पी.एल.सी. 17.75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ तथा पी.एल.सी. का अधिकतम क्यूमेसिटिव पी.एल.सी. 42.17 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ होगी। जो उच्च क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

17. लोक सुनवाई दिनांक 08/09/2022 अर्थात् 3:00 बजे स्थान - राम संघवल भवन, राम-अडोली, ताहसील एवं जिला-महासमुंद्र में संपन्न हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावित व्यवस्था संबंधित अतीशय प्रभावित संस्थाएं मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 19/09/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

18. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दा/विषय प्रस्तुत किये गये हैं:-

a. गांव में खदान की वजह से किसानों के खेतों में पानी भर जाता है। पानी की निचाली के लिए उचित व्यवस्था की जाये।

b. मिट्टी जमीन में जो खदान संघालित कर रहे है, वह जितना भी खेत मेट्रिक्स है वह अपने जनह में रखें, कहीं भी वेस्टेज हाससीय भूमि में न डालें।

c. सीमांकन कार्य नहीं किया गया है। माइनिंग विभागों को तहत सीमांकन कार्य उपरांत खदान संघालित की जाए।

d. बाधमिकता के आधार पर संबंधित राम के बेरोजगार कुटुंबों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परिवहन प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

a. जल भरव को रोकने के लिए बड निर्माण कराये हुए सारलैण्ड वाली का निर्माण प्रस्ताव दिया गया।

b. खनन के दौरान उत्पन्न होने वाले वाइन रिजेक्ट्स का निस्कारण अनुमोदित उत्पन्न योजना के अनुसार ही किया जायेगा, इन्हीं खदान क्षेत्र की बाहर किसी भी सामुदायिक स्थल के इर्द गिर्द या सामुदायिक स्थल में डाल नहीं किया जा जायेगा।

c. खदान का विविध सीमांकन करा कर घाते क्षेत्र से बेसिंग करके अनुमोदित उत्पन्न योजना के अनुसार ही खनन कार्य किया जाएगा।

14. राजस्व नीति के अनुसार योग्यता तथा अनुभव के आधार पर स्थानीय श्रमिकों को प्रथम तथा अग्रथम क्रम से राजस्व प्रदान किया जाएगा। निम्नानुसार मजदूरों को मजदूरी व अन्य भत्ते दिये जायेंगे।

15. कलक्टर हेतु जीवन इन्शुरेन्समेंटल बेंचमार्क प्लान – परिवर्जन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि अपेक्षित खर्च को समिल कर कलक्टर में कुल 3 खर्चों हैं। जिसमें से 2 खर्चों को पूर्व से पर्याप्ततः पूर्ण किया जा चुका है। 300 कलक्टर को जीवन इन्शुरेन्समेंटल बेंचमार्क प्लान में परिवर्जन प्रस्तावक की सहभागिता को लागू निम्न कार्य प्रस्तावित है –

विवरण		कुल (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रमुख निर्माण हेतु परिवहन को वीरम सड़की/पट्टा मार्ग से चलाने का खर्च उलटाने के निर्माण हेतु जोर सिविल, पट्टा मार्ग की कुल लम्बाई 7.10 मीटर		90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
पट्टा मार्ग की दोनों सड़क (274 मीटर) का निर्माण हेतु	प्लाटिंग (90 मीटर का जीवन पर) हेतु रशि	4,740	730	730	730	730
	टी-पाई एवं पीपी के रख-रखाव हेतु रशि	97,830	9,840	9,840	9,840	9,840
	खर्च हेतु रशि	24,430	24,430	24,430	24,430	24,430
	निर्माणाधीन हेतु रशि	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
इन्शुरेन्समेंटल बेंचमार्क हेतु रशि		80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
सड़की / पट्टा मार्ग के रख-रखाव हेतु रशि		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
दैनिक चैक-अप हेतु रशि		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
कुल रशि = 14,02,000		3,22,000	2,70,000	2,70,000	2,70,000	2,70,000

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परिवर्जन प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environmental Responsibility) हेतु समितियों के समक्ष विस्तार से कार्य प्रस्तुत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund

		Rupees)		Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities at Village-Achholi	
50.13	2%	1.01	Plantation at Village Pond with fencing	1.32
			Total	1.32

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के क्षेत्रफल अनुसार कुल 50 नए पीछे को रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में तालाब के किनारे 10 नए पीछे लीवित हैं। कृषासेपम हेतु (जाम, जामुन एवं कटहल) प्रस्तुत अंशतः अनुसार 40 नए पीछे को लिए लक्षि 8,000 रुपये, पीसिंग के लिए लक्षि 8,000 रुपये, खाद के लिए लक्षि 2,000 रुपये, सिंचाई तथा रक्षा-रक्षण आदि के लिए लक्षि 22,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल लक्षि 30,000 रुपये तथा आगामी वर्ष में कुल लक्षि 24,000 रुपये हेतु परतकवार नियम का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा पञ्जाबीय स्थान (खसरा क्रमांक 432 क्षेत्रफल 1.14 हेक्टेयर) के लक्षे में जनकारी प्रस्तुत की गई है।
22. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यक्रम हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
23. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 88,883 घनमीटर है। इसमें से 3,864 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को सीमा बढ़ती 7.5 मीटर मोटाई (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में सीलाकर कृषासेपम के लिए उपयुक्त किया जाएगा, व लक्ष 83,819 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र की बाहर सहमति प्राप्त भूमि (जु-स्थानी सीमाही विवेकी बाई, खसरा क्रमांक 805, 5, 8 एवं 7, कुल लक्ष 2.88 हेक्टेयर) में भंडारित कर संरक्षित रखा जाएगा।
24. ऊपरी मिट्टी को संरक्षित रखे जाने हेतु, विज्ञान न करने हेतु एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःस्थाप हेतु किये जाने बाबत तथा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. माईनिंग लीज क्षेत्र की अंदर स्थित कृषासेपम किये जाने एवं रोपित पीछे का सर्वेक्षण रिपोर्ट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत तथा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परिवर्तन प्रस्तावक द्वारा विनयन जनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बायलडी रिलीफ द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत तथा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परिवर्तन के जिन-जिन स्थलों से पर्युजिटिव इन्स्ट प्रस्तावित होगा, उन स्थलों पर नियमित जल सिककाव की व्यवस्था किये जाने बाबत तथा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. उत्तरीयय्य अर्थात् पुनर्वास पीछे के तहत स्थानीय लोगों को रोपण दिने जाने हेतु तथा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कब्जा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कब्जा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 824(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई चलसंधन का प्रकरण लंबित नहीं है।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रचल प्रकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं डिबे जाने एवं इसके संग्रहण डिबे जाने बाबत कब्जा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण डिबे जाने बाबत कब्जा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
33. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के माईबलाईस के अनुसार क्लेक्टर में इम्प्लीमेंट सभी असेटबो के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन डिबे जाने एवं समिति के विद्या-निर्देश तथा निगरानी में पर्यावरण प्रबंधन योजना का निर्धारित कार्य पूर्ण डिबे जाने बाबत कब्जा पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
34. असेटबो खदान को सम्बन्धित कर क्लेक्टर में कुल 3 खदानें हैं, जिनमें से 2 खदानें को पूर्ण से पर्यावरणीय सौकरुति प्राप्त है। अतः क्लेक्टर क्लेक्टर हेतु सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता रीकार कर लाने में प्रदर्शित करते हुए जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान के तहत डिबे जाने वाले कार्य हेतु अनुबन्ध क्लेक्टर जानकारी प्रस्तुत की गई है।
35. क्लेक्टर में जाने वाले खदान के लिए रीकार सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान हेतु खदान का अक्षांत एवं रेखांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुए पुनर्निर्देश कर प्रस्तुत किया गया है।
36. सी.ई.आर., सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान, सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, रकबा के रक-रकान एवं कुआरोगन कार्य के मॉनिटरिंग एवं परीक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (जोसाईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि एवं डिप्टी प्रस्तावक या प्रतीक्षण पर्यावरण संरक्षण मन्त्रालय के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान, सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, रकबा के रक-रकान एवं कुआरोगन का कार्य पूर्ण डिबे जाने के उपरान्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से संधारित कराया जाना आवश्यक है।
37. सनरीय एन.जी.टी., डिमिशन डीय, नई दिल्ली द्वारा सर्वोद पर्यावरण विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अपिजनस एडिक्शन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को करित आदेश में मुख्य रूप से निम्ननुसार निर्देशित किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यलय बल्लेसर (खनिज गण्ड), जिला-महासमुद्र के ज्ञापन क्रमांक 634/क/खनि/गण्ड/2021 महासमुद्र, दिनांक 08/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 800 मीटर के भीतर अवस्थित 2 खदानें, क्षेत्रफल 2.15 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (घाम-अछोली) का रकबा 1.84 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-अछोली) की मिलाकर कुल रकबा 5.99 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 800 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. पी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार बल्लेसर में खाने वाली खदानों की सखनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों की संकलन हेतु बल्लेसर में खाने वाले समस्त खदानों को शामिल करती हुई, बल्लेसर हेतु कॉम्प्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संवालय, संवालयनालय, भूमिहीन तथा खनिजन, इटावती मयन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (अतीनागढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यकाल हेतु घाम पंचायत का सखनन पर एच.आई.आई.ए. प्रतीकण्ड में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुमोदित की जाती है।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स अछोली पलेग स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट (प्री- अचोक कुमार बंदाकण्ड) को घाम-अछोली, तहसील व जिला-महासमुद्र के खनन क्रमांक 630, 635 एवं 688 में निम्न परती पट्टा (पीन खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1.84 हेक्टेयर, क्षमता-4,104 टन प्रतिवर्ष हेतु शर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिद् जाने की अनुमोदित की गई।

प्रतिक्रमा द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिक्रमा की दिनांक 22/08/2023 को संयुक्त 146वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा नतीजा का अवलोकन किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 15/08/2023 के समय से सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यकाल हेतु घाम पंचायत अछोली का सखनन पर प्राप्त का प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिक्रमा द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुमोदित की स्वीकार करती हुई आवेदक - मेसर्स अछोली पलेग स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट (प्री- अचोक कुमार बंदाकण्ड) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय किया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विविध कार्यवाही की जायेगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. मेसर्स अजोती क्लैंग स्टोन माईन (प्री- बी रिसेलर संदाकार), धान-अजोती, तहसील व जिला-महाराष्ट्र (सचिवालय का नसीब क्रमांक 1883)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजित नम्बर - एमआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 61480/2021, दिनांक 04/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजित नम्बर - एमआईए/ सीजी/ एमआईएन/418508/2023, दिनांक 09/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित कहीं पत्थर (सींग खनिज) खदान है। खदान धान-अजोती, तहसील व जिला-महाराष्ट्र स्थित प्लॉट ऑफ़ खसरा क्रमांक 1170, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित एलएनए क्रमांक-5.130 एन (2.137.5 एनपीएन) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एम.ई.ए.सी. प्रतीकण्ड के द्वारा क्रमांक 841, दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' कैटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रस्तावित स्टैम्पर्ड टर्नर ऑफ़ रिजर्वेशन (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.ए.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एनटीसीटीए रिजर्वेशन इन्वायर्समेंट क्लीयरेंस अफ्टर ई.आई.ए. नॉटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेमी 1(ए) का स्टैम्पर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एम.ई.ए.सी. प्रतीकण्ड के द्वारा दिनांक 23/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 28/03/2023 :

प्रस्तुतीकरण हेतु बी रिसेलर संदाकार प्रोजेक्ट/एनटीसीटीए एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स कॉन्सीक्रेन्स रिजर्व इन्फ्रिया प्रॉपर्टि लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुधी अजोती प्रधाने उपस्थित हुए समिति द्वारा नसीब, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने का निम्न स्थिति आई गई-

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राम्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट मेसर्स मेसर्स एसीटीए एनवायरमेंटल इन्फ्रिया प्रॉपर्टि लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स एसीटीए एनवायरमेंटल इन्फ्रिया प्रॉपर्टि लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा अनिष्टार्थ कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु अनाभी कार्यवाही को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की गई। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स कॉन्सीक्रेन्स रिजर्व इन्फ्रिया प्रॉपर्टि लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को सूचना दी गई। तत्परचाहू मेसर्स कॉन्सीक्रेन्स रिजर्व इन्फ्रिया प्रॉपर्टि लिमिटेड द्वारा ड्राम्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट का मिलेवन एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. धान संघात का अपावति प्रमाण पत्र - एलएनए के संकेत में धान संघात अजोती का दिनांक 12/05/2018 का अपावति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4. **ऊँचावनन योजना** - जहाँगी प्लान इन्फ्लारमेट मैनेजमेंट प्लान एवम् जहाँगी वनीकरण प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (क.स.) संघालयालय, भीमिडी तथा छानिकर्ने नया रायपुर अटल नगर के ज्ञानन नु. ज्ञ. 783/छानि 02/न.प.स.अनुसूचन/न.स.02/2019(3) नया रायपुर, दिनांक 08/02/2021 द्वारा अनुसूचित है।
5. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (छानि सचवा), जिला-महासमुंद के ज्ञानन क्रमांक 823/क/छानि/न.स./2021 महासमुंद, दिनांक 09/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की मीटर आवेदित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.82 हेक्टर हैं।
6. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्यालय कलेक्टर (छानि सचवा), जिला-महासमुंद के ज्ञानन क्रमांक 288/क/छानि/न.स./2021 महासमुंद, दिनांक 18/02/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर भवन, नया, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध एवं एनईएड आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. **भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण** - भूमि एवं एल.ओ.आई. की विशेषता खंडाकर के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (छानि सचवा), जिला-महासमुंद के ज्ञानन क्रमांक 1687/क/उपछानि पेट्टा/छानि/न.स.88/2019 महासमुंद, दिनांक 28/11/2020 द्वारा जारी की गई, जिसकी मिलात जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक थी। उपर्युक्त संघालयालय, भीमिडी तथा छानिकर्ने, नया रायपुर अटल नगर के नु. ज्ञानन क्रमांक 09/छानि 02/उप.अनुसूचन/न.स. 80/2017(4) नया रायपुर, दिनांक 04/01/2022 द्वारा जारी पत्र अनुसार एल. ओ.आई. में 1 वर्ष की मिलात कृति कि नहीं थी। उपर्युक्त एल.ओ.आई. की मिलात कृति बाबा नयासाल, संघालक भीमिडी तथा छानिकर्ने, नया रायपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 83/2022 द्वारा जारी सारित आवेदित दिनांक 18/02/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, यह निर्दिष्ट किया जाता है कि प्रतीकगत गैल छानिज निवम, 2018 के निवम 42(3) परन्तु के तहत उक्त प्रकरण में परीक्षण स्वीकृति प्रदा होने परानत ऊँचावनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अनिवार्य समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला महासमुंद को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।
8. **डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. **वन विभाग का अनाधिकृत प्रमाण पत्र** - कार्यालय वनमहासमुंद, सचवा वनमहासमुंद, जिला-महासमुंद के ज्ञानन क्रमांक/मा.वि./8094 महासमुंद, दिनांक 17/12/2018 से जारी अनाधिकृत प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. दूर है।
10. **नहरवर्ण संरचनाओं की दूरी** - निकटतम आवासीय घाम-आवासी 88 मीटर, स्कूल घाम-आवासी 880 मीटर एवं अस्पताल क्षेत्रसेका 8.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.8 कि.मी. एवं राजमार्ग 17.8 कि.मी. दूर है। महापदी 3 कि.मी., तालाब 280 मीटर, भीमिडी नाला 780 मीटर एवं नहर 380 मीटर दूर है।
11. **परिस्थितिहीन/पैदाविधता संवेदनशील क्षेत्र** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 18 कि.मी. की परिधि में आंतराज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राजमार्ग, अन्वयारण, केंद्रीय



प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्राइकली वॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र निम्न नहीं होना प्रतिबंधित किया है।

12. खनन खंपरा एवं खनन का निष्पन्न – विद्यमान/विद्यमान निजई 1,44,500 टन, साईनेबल निजई 52,171 टन एवं लिक्विडेशन निजई 46,582 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,070 वर्गमीटर है। खनन कास्ट में मुख्य विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल गाद 17,790 घनमीटर है। बेस की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। स्टीन कटर का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रास किया जाएगा। वर्षावन प्रस्तावित उत्खनन का निष्पन्न निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	4,924.80	पंचम	5,081.80
द्वितीय	5,081.80	छठम	4,924.80
तृतीय	4,993.20	अष्टम	4,788.00
चतुर्थ	4,856.40	नवम	5,027.40
दशम	5,130.00	दशम	4,788.00

13. जल आपूर्ति – परिवहन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति क्षेत्र के मध्यम से की जाएगी। इस बाबत संपूर्ण घातक बीटर अवैरिटी का अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 813 वन वृक्षारोपण प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीसी के लिए राशि 8,943 रुपये, बेस सिंक पेंसिल व पीसी के रक-रखाव के लिए राशि 1,03,732 रुपये, खाद के लिए राशि 20,325 रुपये एवं सिंचाई आदि के लिए राशि 82,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 2,23,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रक-रखाव हेतु कुल राशि 8,48,000 रुपये अगामी पांच वर्षों हेतु घटकगत रूप का निष्पन्न प्रस्तुत किया गया है।
15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

16. ईअर्बाईए रिपोर्ट का विश्लेषण –

1. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – निम्नलिखित कार्य 9 मार्च 2021 से 18 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतराल 10 स्थानों पर पारिस्थिकीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 16 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के लहने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
2. निम्नलिखित परिणामों के अनुसार पीएम, एकाई, एनओ, का मान्य स्तर-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	18	44	60

PM ₁₀	55	74	100
SO ₂	7	20	80
NO ₂	15	37	80

- iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता— ईआईए के Chapter-3 Description of environment में दलित नदी केबल अनुसार क्लोरोफिल, नाइट्रेट्स, माग्न, कार्बोनेट्स, आयनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का मान्यता लेवल भारतीय मानक से कम है।

- iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर—

Equivalent Noise level	Noise level - dB (A)		CPCB Standard dB (A)
	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	
Day L _{eq}	48.5	62.5	75
Night L _{eq}	38.5	49.5	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. एकत्र निम्नलिखित कार्य के संचालन हेतु अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य 01 अक्टूबर 2022 से 13 नवम्बर 2022 के बीच किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर दू-जल गुणवत्ता मापन, 12 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

- vi. अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂ का मान्यता लेवल—

Criteria Pollutants	Concentration level (µg/m ³) of criteria pollutants		
	Minimum (µg/m ³)	Maximum (µg/m ³)	CPCB Standard (µg/m ³)
PM ₁₀	20	48	60
PM _{2.5}	58	75	100
SO ₂	7	20	80
NO ₂	15	37	80

- vii. अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य के परिणामों अनुसार परिवेशीय ध्वनि स्तर—

Equivalent Noise level	Noise level - dB (A)		CPCB Standard dB (A)
	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	
Day L _{eq}	48.4	62.3	75
Night L _{eq}	38.4	49.8	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। निम्नलिखित कार्य तथा अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य के परिणाम तुलनात्मक रूप से समान पाये गये।

- viii. पी.सी.यू की गणना— सभी बड़ों / मस्टीकृतक हेवी बहनों को सम्बन्धित कर्ता हुए दृष्टिक अवयव रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 408.80 पी.सी.यू प्रतिदिन एवं की/ली अनुपात (MPC ratio) 0.213 है। सम्बन्धित परियोजना उपरंत 80 पी.सी.यू की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 488.80 पी.सी.यू प्रतिदिन एवं की/ली अनुपात (MPC ratio) 0.266 होगी। जिसका उपांत पी सी-नॉर्मिजल/सेक्टर के परिधान हेतु उक्त मान की जोर औरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Very Good) के भीतर है।

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)	
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़क/पट्टी बर्न से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पट्टी बर्न की कुल लम्बाई 500 मीटर	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000	
पट्टी बर्न के दोनों तरफ (334 मम) कुसारीयन हेतु	कुसारीयन (50 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	3,670	330	330	330	330
	टी-नाई एवं पीपी के साथ-साथ हेतु राशि	63,990	60,320	60,320	60,320	60,320
	खार हेतु राशि	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350
	सिंचाई हेतु राशि	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर सेनिटरीज हेतु राशि	1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000	
सड़क / पट्टी बर्न के संचालन हेतु राशि	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
होम्य वेज-अप हेतु राशि	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
कुल राशि = 26,87,000	5,47,000	5,10,000	5,10,000	5,10,000	5,10,000	

कोमल इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में परिवर्तन प्रस्तावों की सम्पत्ति निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़क/पट्टी बर्न से उत्पन्न धूल उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव, पट्टी बर्न (लम्बाई 118 मीटर)	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500
पट्टी बर्न (लम्बाई 118 मीटर) में 78 मम कुसारीयन (50 प्रतिशत जीवन दर) के साथ	43,200	34,600	34,600	34,600	34,600

कृषारोपण, ट्री-गार्ड, खाद सिंचाई एवं खाद-रक्षाएं आदि) हेतु राशि					
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु राशि	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
सड़कों / पट्टीय मार्गों को संभालना हेतु राशि	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
इत्यादि कार्य-कार्य हेतु राशि	8,300	8,300	8,300	8,300	8,300
कुल राशि = 8,01,800	1,27,200	1,18,600	1,18,600	1,18,600	1,18,600

20. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति की रायों के विस्तार से कार्य प्रकृत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
18.01	2%	0.32	Following activities at Village-Achholi	
			Plantation at Village Pond with fencing	0.426
			Total	0.426

21. सी.ई.आर. के अंतर्गत लागतों की क्षेत्रफल अनुसार कुल 70 नए पीछे की रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में लागतों के विचारों 20 नए पीछे उचित है। क्षेत्र 50 नए पीछे को रोपण क्लस्टर में शामिल कुल 4 खेतों के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। जिससे लागत परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 12 नए पीछे को कृषारोपण (4 पीछे से 5 पीछे खेतों के पीछे - जंग, जंगल एवं कटार) के लिए राशि 1,800 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 2,500 रुपये, खाद के लिए राशि 800 रुपये, सींचिंग तथा खाद-रक्षाएं आदि के लिए राशि 4,800 रुपये, इन प्रकार कार्य करने में कुल राशि 12,800 रुपये तथा खेतों 4 वर्षों में कुल राशि 38,800 रुपये हेतु पर्याप्त राशि का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित स्थान (जिसका क्रमांक 1823, क्षेत्रफल 0.42 हेक्टेयर) के राशियों में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

22. सी.ई.आर. के लागत प्रस्तावित कार्यकरण हेतु राशि प्रस्तावक का समर्थन पर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

23. सींच क्षेत्र में जमीन मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 17,790 घनमीटर है। इसमें से 2,443 घनमीटर जमीन मिट्टी को सींच क्षेत्र 7.5 मीटर मोटाई (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में सींचकर कृषारोपण के लिए उपयुक्त किया जाएगा व क्षेत्र 15,348 घनमीटर जमीन मिट्टी को सींच क्षेत्र के अंदर उत्खनन प्राप्त अनुसार रखा जाएगा। राशि ही जमीन मिट्टी को सींच क्षेत्र के

- बाहर खन की भूमि (खाना क्रमांक 1170/1, कुल रकबा 4.99 हेक्टेयर में से 1.99 हेक्टेयर) में भंडारित कर संशोधित रखा जाएगा।
24. उपरी मिट्टी को सर्वप्रथम लीज क्षेत्र के अंदर सीपटी जोन में 5 मीटर की ऊंचाई तक संचयित करने तथा क्षेत्र उपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संशोधित नहीं जाने हेतु, मिट्टी का दुस्ययोग न करने, विखर न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भरण हेतु किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 25. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पशुचरित्रिक कस्त उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल शिथलाव की व्यवस्था किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 26. नद्विनित लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षरोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का संवर्धन/सुरा राट (Survival rate) का प्रतिगत सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 27. प्रत्तीसमय अवधि पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री विलर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 29. किनी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संचरण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण दंड के अंतर्गत किनी भी न्यायालय में दायित नहीं है।
 31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 89-अ(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई चालन/पत्र का प्रकरण दायित नहीं है।
 32. लोक सुनवाई के दौरान जो भी आपत्ति, सुझाव या मुद्दे उठाये गये हैं उसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब एवं जनसुनी के अनुसार निराकरण करने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 33. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण की गाईडलाइंस के अनुसार कलक्टर में सम्मिलित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किये जाने एवं समिति के दिशा-निर्देश तथा निगरानी में पर्यावरण प्रबंधन योजना का निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने बाबत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
 34. आवेदित खदान को शामिल कर कलक्टर में कुल 4 खदानें हैं। कलक्टर हेतु सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता लेकर कर नहीं में दायित कल्टे हुए जगह/पट्टी प्रस्तुत किया गया है। सत्य ही दायित



इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान को लागू किये जाने वाले कार्य हेतु अनुबंध बनाकर जानकारी प्रस्तुत की गई है।

25. कलक्टर में जाने वाले खदान के लिए टीचर कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु खदान का अक्षांश एवं देशांतर जचित नहीं में दर्शाये हुये पुनर्विहित कर प्रस्तुत किया गया है।
26. सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिचोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुआरोपन कार्य के भीमिडरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु, डि-प्लीट समिति (ओपरटिव/प्रतिनिधि, ग्राम संघदाता के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या क्राफ्टिंगमंडू पर्यवेक्षण संकलन मंडल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिचोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं कुआरोपन कर कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित डि-प्लीट समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
27. माननीय एन.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट वेध, नई दिल्ली द्वारा सर्वेड सम्बंधित विस्तृत भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 जीन 29-08 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पठित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha, falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha, EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार दिवसों उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. कार्यलय कलेक्टर (अभिज संघ), जिला-महासमुद्र के ग्राम कलक 823/क/घरि/म.स./2021 महासमुद्र, दिनांक 08/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.82 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घाम-अर्जोली) का सक्का 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घाम-अर्जोली) को मिलाकर कुल सक्का 33.82 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान की-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (सका संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलक्टर में जाने वाली खदानों की आवश्यक परिधि/घरि से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की संरक्षण हेतु कलक्टर में जाने वाले समस्त खदानों को शामिल करी हुये, कलक्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान टीचर किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संघलक, संघलनलक, भीमिडी तथा खनिकर्, इंडाजरी मकन, नका राधपुर अटल नगर, जिला - राधपुर (अलीसग) के तार से उपयुक्त सर्वेजरी किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

3. सी.ई.आर. को तहत प्रस्तावित कार्यकाल हेतु काम संभवता का सहमति पत्र एन.ई.आई.ए.ए. अलीसगढ़ में अधिदाय रूप में प्रस्तुत करने की शर्तों के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति की सफल अनुमति की जाती है।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स अहोली पलेन स्टोन माईन (प्री- बी रिलेफर चंद्राकर) को काम-अहोली, तहसील व जिला-महासमुंद के पार्स ऑफ खसरा क्रमांक 1170 में स्थित कर्सी पत्थर (नीच खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, क्षमता-5.136 टन (2.137 घनमीटर) प्रतिवर्ष हेतु शर्तों पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्रतिक्रमण द्वारा रेटक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिक्रमण की दिनांक 22/08/2023 को संख्या 144वीं रेटक में विचार किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा नसीब का अवलोकन किया गया। प्रतिक्रमण द्वारा नोट किया गया कि परिशोधना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/08/2023 के माध्यम से सी.ई.आर. को तहत प्रस्तावित कार्यकाल हेतु काम संभवता अहोली का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिक्रमण द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकृत करने हेतु आवेदक - मेसर्स अहोली पलेन स्टोन माईन (प्री- बी रिलेफर चंद्राकर) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित शिष्टे सबे शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत कार्यवाही की जाएगी।

परिशोधना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. मेसर्स अहोली पलेन स्टोन माईन (प्री- बी मोहन लाल साहु), काम-अहोली, तहसील व जिला-महासमुंद (अधिकार पत्र नसीब क्रमांक 1005)

अनुमति आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एन.आई.ए./ सीजी/ एन.आई.ए./ 61743/2021, दिनांक 12/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एन.आई.ए./ सीजी/ एन.आई.ए./ 418208/2023, दिनांक 08/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित कर्सी पत्थर (नीच खनिज) खदान है। खदान काम-अहोली, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 1408 एवं 1280/1, कुल क्षेत्रफल-0.81 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित संयोजन क्षमता-3,777.84 टन (1.514.1 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एन.ई.ए.सी. अलीसगढ़ के डायन क्रमांक 643, दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रकरण "बी" कोटेनरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2018 में प्रकाशित स्टीपडई एम्स ऑफ रिजर्वेशन (टी.ओ.आर.) ऑफ ई.आई.ए./ई.एन.पी. रिपोर्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज निस्वयम्पि इन्फार्मेट बलीगरीत अफर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्गीत श्रेणी 1(ए) का स्टीपडई टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सटिव) हेतु किया गया है।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी. अलीसगढ़ के डायन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।



बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 43वाँ वार्षिक बैठक दिनांक 28/03/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मोहन लाल साहू, चीफमैनडायर एवं पर्यावरण सलाहकार की रूप में मेसर्स कोम्प्रीजेन्स रिसर्च इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नौराडा, उत्तराखण्ड की ओर से पृथी अंजली कचरे उपस्थापना हेतु। समिति द्वारा नगरी, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. प्रस्तुतीकरण की दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्रॉफ्ट ई.आई.ए रिपोर्ट मेसर्स मेसर्स एसीटीए एन्वायरमेंटल इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नौराडा, उत्तराखण्ड द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स एसीटीए एन्वायरमेंटल इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नौराडा, उत्तराखण्ड द्वारा अग्रिम कार्यवाही से अर्जेंट प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हेतु अगामी कार्यवाही की जाती करने में अग्रसरता व्यक्त की गई। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स कोम्प्रीजेन्स रिसर्च इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नौराडा, उत्तराखण्ड को नियुक्त किया गया। जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को सूचना दी गई। तदनुसार मेसर्स कोम्प्रीजेन्स रिसर्च इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ड्रॉफ्ट ई.आई.ए रिपोर्ट का विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर फाईनल ई.आई.ए रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. धाम संरक्षण का अनुमति प्रदान पत्र - उत्तराखण्ड की संसद में धाम संरक्षण अधिनियम का दिनांक 25/08/2018 का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. वायुमय योजना - जारी प्लान इन्वायरमेंट केनेजमेंट प्लान एन्ड जारी वायुमय प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संसाधक (अग्निजाला), जिला-महासमुद्र की पृ. आदेश क्रमांक 870-3/स.क्रि./टीन-8/2018 रायपुर दिनांक 18/07/2018 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्बोलाय कलेक्टर (अग्निज साखा), जिला-महासमुद्र की आदेश क्रमांक 827/क/स.क्रि./न.क्र./2021 महासमुद्र दिनांक 09/06/2022 की अनुसार अर्जेंट खदान से 500 मीटर की भीतर उपस्थापित 28 खदानें, संख्याएं 22.86 होठेयन है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित पारंपरिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्बोलाय कलेक्टर (अग्निज साखा), जिला-महासमुद्र की आदेश क्रमांक 874/क/ई-मिडिया/स.क्रि./न.क्र./2018 महासमुद्र दिनांक 17/07/2018 द्वारा जारी आदेश पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी पारंपरिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मठ, अस्पताल, स्कूल, दुकान, बाग एवं एसीकट आदि अतिरिक्त क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - एल.ओ.आई. की मोहन लाल साहू के नाम पर है, जो कार्बोलाय कलेक्टर (अग्निज साखा), जिला-महासमुद्र की आदेश क्रमांक 805/क/ई-मिडिया/स.क्रि./न.क्र.80/2018 महासमुद्र दिनांक 20/06/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी फेजल जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक की। तदनुसार संसाधनसह, भूमिहीन तथा अधिनियम, पत्र रायपुर

अटल नगर के नू. प्रमाण क्रमांक 8100/समि 02/स.प.-अनुमिषा./स.प्र. 80/2017 का सचयन अटल नगर दिनांक 07/11/2018 द्वारा जारी पत्र अनुसार एल.ओ.आई. में 8 मही की सेवा वृद्धि कि गई थी। तत्पश्चात् एल.ओ. आई. की सेवा वृद्धि काका न्यायालय, संचालक बीमिडी तथा सचिव, नया सचयन अटल नगर के पुनर्विचार प्रकरण क्रमांक 43/2020 द्वारा जारी शर्तित आदेश दिनांक 28/11/2020 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "अपरोक्ष विवेचना के आधार पर अपील प्रकरण स्वीकार करते हुए जिला कार्यालय (अभिज साख), जिला-महासमुंद्र के पत्र दिनांक 30/08/2018 द्वारा जारी अत्याय पत्र में विहित शर्तों का पालन अपीलकर्ता श्री मोहन लाल साहू, निवासी 342 डी.सी.ए. कॉलोनी, सक्ति मंदिर के पास, सचयन द्वारा कर लिए जाने की स्थिति में जरीलगाड़ साख, अभिज साख विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एक 8-42/2017/12, दिनांक 28/08/2020 के परिधि में जरीलगाड़ सीमा अभिज विभाग, 2018 के नियम 42(3) के तहत का प्रकरण में नियमानुसार अतिरिक्त कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकलन कलेक्टर, जिला महासमुंद्र को अवगतित किया जाता है।" होना बताया गया है।

6. नू-समाधि - पत्रांक क्रमांक 1380/1 की कुलेखन एवं सचयना क्रमांक 1428 की मोहन लाल साहू के नाम पर है। जखनन हेतु नू-समाधी का सहभागी पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. वन विभाग का अनामति प्रमाण पत्र - कार्यालय वन विशेष अधिकारी, जिला-महासमुंद्र के प्रमाण क्रमांक/3428 महासमुंद्र, दिनांक 14/10/2018 से जारी अनामति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदिता क्षेत्र निकटास वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. की दूर है।
11. महासमुंद्र संरक्षणधर्मी की दूरी - निकटास आबादी वाम-बायाली 400 मीटर, सचयन वाम-बायाली 1 कि.मी. एवं अमपाल महासमुंद्र 14.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. एवं राजमार्ग 38 कि.मी. दूर है। महासमुंद्र 1.5 कि.मी., तालाब 1.15 कि.मी., कोबार नाला 280 मीटर एवं नहर 680 मीटर दूर है।
12. परिसंरक्षणधर्मी/जैवविकिषात संवेदनशील क्षेत्र - परिसंरक्षण प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अमपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित डिस्ट्रिक्ट पील्लुटेड एरिया, परिसंरक्षणधर्मी संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविकिषात क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदिता किया है।
13. खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण - जिपेसीजिकल रिजर्व 28,480 टन, माईनेबल रिजर्व 24,041 टन एवं निकलेबल रिजर्व 27,873 टन है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा परटी (खनन के लिए प्रतिवेदिता क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2.882 वर्गमीटर है। खनन क्वॉट मेंखनन विधि से खनन किया जाएगा। खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। सीज क्षेत्र में खनन मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,514 घनमीटर है। क्षेत्र की संघाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खनन की संभवित आयु 10 वर्ष है। स्टोन कटर



का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का चिकनाई किया जाएगा। वर्षाजल प्रसारित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रसारित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रसारित उत्खनन (टन)
प्रथम	3,058.58	चतुर्थ	2,268.00
द्वितीय	2,582.00	पाचम	2,916.00
तृतीय	2,864.18	अष्टम	3,564.00
षष्ठम	3,378.08	नवम	3,304.80
दशम	2,818.00	दशम	3,777.84

14. जल अनुमति — परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की अनुमति बीरोल एवं वाम संसाधन द्वारा टीजन के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत कोन्दल सांस्कृतिक सेंटर अथॉरिटी एवं वाम संसाधन का अनुमति प्राप्त कर प्राप्त किया गया है।
15. वृक्षारोपण कार्य — लीज क्षेत्र की सीमा में बायीं ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 873 गग वृक्षारोपण प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार बायीं ओर के लिए सन्धि 8,303 रुपये, वाम लिफ्ट सेलिंग व बायीं ओर रख-रखाव के लिए सन्धि 88,372 रुपये, बायें के लिए सन्धि 14,325 रुपये एवं लिफ्ट/अधि के लिए सन्धि 80,000 रुपये, इस प्रकार कुल सन्धि 2,00,000 रुपये प्रथम वर्ष हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल सन्धि 8,20,000 रुपये आगामी पांच वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन — लीज क्षेत्र के बायीं ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
17. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

- i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी — मॉनिटरिंग कार्य 9 मार्च 2021 से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 डिस्मीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवितीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर सू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- ii. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एसओ₃ का सामान्य लेवल—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	18	44	60
PM _{2.5}	55	74	100
SO ₂	7	20	80
NO ₂	15	37	80

- iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता— ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दसवीं गवे टेबल अनुसार बलेशाहबास, माहटेएस, सल्फर, कार्बोनेट्स, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक कच्ची का सामान्य लेवल भारतीय मानक से कम है।

↓

दस्तावेज संबंधी अधिकृत व्यक्तियों द्वारा सत्यापन संभव, तथा रामपुर अटल नगर, जिला-राजपुर के पत्र दिनांक 19/09/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. जलकुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

1. मिट्टी जमीन में जो खदान संघालित बन रही है, वह जिला की वेस्ट कोरिडोर है वह अपने जगह में रखे, जहाँ भी वेस्टेज हास्यवीय भूमि में न करे।
2. खदान के बाटे और तार देने की आवश्यकता है। तार घेर नहीं होने के कारण खेती अदि निर रही है। जोड़े के तार द्वारा घेरा जाता है तब जिससे खेती एवं जलवाही को दुर्घटना से बचाया जा सके।
3. खान के सभी लेव में बड़े-बड़े गड्ढे हैं, जिसमें बच्चे स्कूल जैसे समय निर जाते हैं, लेव समाप्त करने के काल बड़े दुर्घटनाएं होती है।

लोक कुनवाई के दौरान लक्ष्य गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रत्यावक की ओर से चर्चित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कथन निम्नानुसार है:-

1. खान के दौरान खपन होने वाले गड्ढे निजैक्ट्स का निस्तारण अनुमोदित परखन योजना के अनुसार ही किया जायेगा, इन्हें खदान क्षेत्र की बाहर किसी भी सार्वजनिक स्थल के हार्ड गिर्ट या हास्यवीय स्थल में डाल नहीं किया जायेगा।
2. खदान का सीमांकन कराकर, चारों ओर पेंडिंग कराकर ही परखन किया जायेगा, खान पंचायत द्वारा जो निर्मात किया जायेगा, उनका पूर्णतः पालन किया जायेगा।
3. गड्ढा में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए प्रतिष्ठित गड्ढा बालकों को लगाया जायेगा एवं गड्ढा बालकों को सतत दिशा निर्देश दिये जायेंगे। बालकों का परिवहन सम्बन्धित से इकरर, परिवहन के सभी नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा। नियमानुसार परिवीभा में ही परिवहन किया जायेगा।

20. कंसल्टर हेतु करीम इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रत्यावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुए कंसल्टर में कुल 4 खदानें आवती है। अब कंसल्टर में शामिल खदानों द्वारा करीम इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। करीम इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान को तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	अर्थ (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	कुल (रुपये)
खदान निर्माण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/चतुर्थ मार्ग से खपन घुल प्रत्यक्ष के निराकरण हेतु जोर सिंक्रलास, तृतीय मार्ग की कुल लम्बाई 500 मीटर	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000

पट्टीय मार्ग के दोनों उपखण्ड (324 भाग) कुआरीपन हेतु	कुआरीपन (50 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	3,670	330	330	330	330
	टी-गार्ड एवं पीसी के एल-एल हेतु राशि	63,300	50,320	50,320	50,320	50,320
	खाद हेतु राशि	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350
	सिंचाई हेतु राशि	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु राशि	1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000	
सड़कों / पट्टीय मार्ग के संभारण हेतु राशि	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	
दोषा वेट-अप हेतु राशि	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	
कुल राशि = 28,87,000	5,47,000	5,10,000	5,10,000	5,10,000	5,10,000	

सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान में परिचालन प्रस्तावक की सहभागिता
विनियोजित होगी—

विवरण	अवधि (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
अवधि निर्धारण हेतु परिचालन के दौरान सड़कों/पट्टीय मार्ग के उपखण्ड कुल उपखण्ड के निर्धारण हेतु उच्च सिंचाई, पट्टीय मार्ग (लम्बाई 78 मीटर)	22,400	22,400	22,400	22,400	22,400
पट्टीय मार्ग (लम्बाई 78 मीटर) में 52 भाग कुआरीपन (50 प्रतिशत जीवन दर) के साथ कुआरीपन, टी-गार्ड, खाद सिंचाई एवं एल- एल (आदि) हेतु राशि	29,000	23,200	23,200	23,200	23,200
इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु राशि	18,200	18,200	18,200	18,200	18,200
सड़कों / पट्टीय मार्ग के संभारण हेतु राशि	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400
दोषा वेट-अप हेतु राशि	6,300	6,300	6,300	6,300	6,300
कुल राशि = 4,09,300	66,300	79,600	79,600	79,600	79,600

21. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वार्षिक उपायों निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.05	2%	0.26	Following activities at Village-Achholi	
			Plantation at Village Pond with fencing	0.348
			Total	0.348

22. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब की होलपल अनुमान कुल 20 नम पीछी को रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में तालाब के किनारे 20 नम पीछे जोड़ित है। होल 60 नम पीछी को रोपण होलस्टर में शामिल कुल 4 खदानी को द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 9 नम पीछी को बुझा रोपण (4 पीछे से 6 पीछे ऊचाई के पीछे – आम, जामुन एवं कटवाल) को लिए प्रति 1,360 रुपये, सिंचाई के लिए प्रति 2,500 रुपये, खाद के लिए प्रति 480 रुपये, पीछे का रकब-रकब आदि के लिए प्रति 4,750 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल प्रति 9,090 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल प्रति 25,800 रुपये हेतु घटकवार खर्च का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपायोन्मय स्थान (खसरा क्रमांक 1823, होलपल 0.42 हेक्टेयर) को संभल में जानकारी प्रस्तुत की गई है।
23. सी.ई.आर. को तहत प्रस्तावित कार्यकरण हेतु धन पंसाधन का सारभूति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
24. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल मात्रा 11,514 घनमीटर है। इसमें से 1,003.6 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को भीना पट्टी 7.5 मीटर मोटाई (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में सीलाकर बुझा रोपण के लिए उपयोग किया जाएगा व क्षेत्र 10810.4 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर स्थल की भूमि (खसरा क्रमांक 805/3 तथा 844, कुल रकबा 0.33 हेक्टेयर) में भंडारित कर संभलित करा जाएगा।
25. ऊपरी मिट्टी को सर्वोपम लीज क्षेत्र को अंदर सीपटी जोन में 1 मीटर की मोटाई तक भण्डारित करने तथा क्षेत्र ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भंडारित कर संभलित करा जाने हेतु, मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्य में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःस्थाप हेतु किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. लीज क्षेत्र में अवशिष्ट कृषि की कटाई स्थान परधिकारी से अनुमति उपरोक्त ही किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

27. परिचोचना से चिन-चिन स्वामी से क्विडिटिव डस्ट डालवैन होना, उन स्वामी पर नियमित जल डिडकाव की व्यवस्था किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. काईमिग जीज डेज की अंदर समय कुआरोपन किये जाने एवं रोडिग वीथे का सलवाईज रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. असीनागड आदात मुल्कीस वीथि के तहत स्वामीय लीनों को रोजनार किये जाने हेतु समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परिचोचना प्रस्तावक द्वारा मिनराल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत काउन्टी मिलर्री द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला से नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. परिचोचना प्रस्तावक द्वारा समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परिचोचना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लखित नहीं है।
33. परिचोचना प्रस्तावक द्वारा समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्वतारोह, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई प्रकल्पन का प्रकल्प लखित नहीं है।
34. लोक सुनवाई के दौरान जो भी आवेग, मुद्दाव या मुद्दे उठाने गये हैं उसके संबंध में परिचोचना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये जवाब एवं जानकारी के अनुसार मितकल्प करने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
35. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के गाईडलाईस के अनुसार क्वेस्टर में सम्मिलित सभी आवेगों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किये जाने एवं समिति के दिना-निर्देश तथा निगरानी में पर्यावरण प्रबंधन योजना का निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने बाबत समय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
36. आवेगित खदान को शामिल कर क्वेस्टर में कुल 4 खदानें हैं। क्वेस्टर हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिचोचना प्रस्तावक की सहभागिता रीकार कर गवाही में प्रदर्शित कनो हुये जानकारी प्रस्तुत किया गया है। साथ ही कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुकूल कवायव जानकारी प्रस्तुत की गई है।
37. क्वेस्टर में आने वाले खदानों के लिए रीकार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु खदान का अक्षांत एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनर्देखित कर प्रस्तुत किया गया है।
38. सी.ई.आर. कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिचोचना प्रस्तावक की सहभागिता, क्वेस्टरी के रक-रखाव एवं

पूजायोग कार्य के प्रतिष्ठान एवं सर्वेक्षण हेतु वि-क्षेत्र समिति (मिपराईटर/प्रतिनिधि, राम संघवास के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसंधारण पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., जॉइन इन्व्हायमेंट मैनेजमेंट प्लान, जॉइन इन्व्हायमेंट मैनेजमेंट प्लान में परिचयका प्रस्तावक की सहायिता, सड़कों के रख-रखाव एवं पूजायोग का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित वि-क्षेत्र समिति से सांघातित कराया जाना आवश्यक है।

29. भारतीय एन.जी.टी., डिस्ट्रिक्ट वेयर, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण विभाग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पत्रित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP to be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (अग्निज सहाय), जिला-महाराष्ट्र के द्वारा जमांक 827/क/सति/न.अ./2021 महाराष्ट्र, दिनांक 08/08/2022 को अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.86 हेक्टर है। आवेदित खदान (ग्राम-अछोली) का रकबा 0.87 हेक्टर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-अछोली) की मिलाकर कुल रकबा 23.73 हेक्टर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/सांघातित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं भारतीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर में जाने वाली खदानों की पर्यावरण प्रतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की संरक्षण हेतु कलेक्टर में जाने वाले सम्मत खदानों को शामिल करते हुए, कलेक्टर हेतु जॉइन इन्व्हायमेंट मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा विनियमित करने हेतु संघातक, संघालमलक, भीमिडी तथा खनिज, इटावारी मजरा, राव रामपुर अटल मगर, जिला - रामपुर (जलसंधारण) के तार से उपयुक्त सर्वेक्षण किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित सर्वेक्षण हेतु राम संघवास का सम्मति पत्र एस.ई.आई.ए.ए., जलसंधारण में अनिवार्य रूप से प्राप्त करने की शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों अनुमति की जाती है।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मैसर्स अछोली ब्लॉक स्टोन कार्बन (प्री.- सी. मोहन लाल साहू) को ग्राम-अछोली, तहसील व जिला-महाराष्ट्र के जमात जमांक 1408 एवं 1280/1 में स्थित पार्सी फार्म (जी.ए. खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.87 हेक्टर, क्षमता-3,777 टन (1,574

घनवीरदु) प्रतिष्ठा हेतु सहाय पर्यावरणीय सौकुति विद् जाने की अनुमति की गई।

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकल्प की दिनांक 23/08/2023 की संमान 148वीं बैठक में विधान किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नसी का अवलोकन किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 08/08/2023 को माध्यम से सीईओआर के तहत प्रस्तावित कार्यकाल हेतु घान पंचायत अधीनी का सहमति का प्रान्त का अनुमति किया गया है।

प्रतिकल्प द्वारा विधान निगरी उपरोक्त कार्यकाली से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदक – मेसर्स अधीनी फ्लोर स्टोन माईन (प्री- सी गेहन लाल साहु) को पर्यावरणीय सौकुति जारी करने का निर्णय किया गया। समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निहित किया गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किया जाने की स्थिति में विधेय कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय सौकुति जारी किया जाए।

12. मेसर्स अधीनी फ्लोर स्टोन माईन (प्री- सी विष्णु साहु, घान-अधीनी, तहसील व जिला-महासमुंद (सकिकालय का नसी क्रमांक 1282)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रयोजन नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 817348/2021, दिनांक 12/03/2021 द्वारा टी.सी.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/417348/2023, दिनांक 08/08/2023 द्वारा पर्यावरणीय सौकुति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (सीम खनिज) खदान है। खदान घान-अधीनी, तहसील व जिला-महासमुंद स्थित खदान क्रमांक 79/2 एवं 1307, ब्लू सेक्टर-1 सेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 8.7382 टन (2.808 घनमीटर) प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. जलसामुद्र के द्वारा क्रमांक 827, दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' सेक्टर का होने के कारण पालत सरकार, पर्यावरण, वन और जलसमु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2013 में प्रस्तावित स्टैण्डर्ड टर्न ऑफ रिक्वेस्ट (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.सी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरींग इन्वायर्समेंट स्कीमिंग ऑफर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित सेमी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु किया गया है।


तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. जलसामुद्र के द्वारा दिनांक 23/03/2023 द्वारा अनुमतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 458वीं बैठक दिनांक 28/03/2023 :

अनुमतिकरण हेतु सी विष्णु प्रसाद साहु, सीनियर इंटर एवं परिवारन सहायकार के रूप में मेसर्स सीनियर-लेवल रिचार्ज इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रिवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से सुधी अधीनी बंधाने उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इकाई ई.आई.ए. रिपोर्ट में सभी केसर्स एसीसीए एनकाउन्टेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा तैयार किया गया था। केसर्स एसीसीए एनकाउन्टेड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा अचरितार्थ कालों में अचरित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदि हेतु आपसी समझौते को जारी रखने में व्यवसाय व्यक्त की गई। तदनुसार परिशोधन प्रस्तावक द्वारा केसर्स कॉन्सीजन्स रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। जिसके संदर्भ में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/10/2022 को सूचना दी गई। तदनुसार केसर्स कॉन्सीजन्स रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इकाई ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed एवं वर्गीकृत) कर फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया।
2. पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्ण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. ग्राम पंचायत का अनामति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संकथ में ग्राम पंचायत अयोली का दिनांक 25/08/2019 का अनामति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना - जारी प्लान इन्फ्लारमेंट कंसेन्ट प्लान एम्ब जारी कंसेन्ट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संकथक (खनिज सारथ), जिला-रायपुर के पृ. डायन क्रमांक 873-2/खलि/टीन-8/2019 रायपुर, दिनांक 15/07/2019 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्थलय कंसेन्टर (खनिज सारथ), जिला-महासमुंद के डायन क्रमांक 828/क/खलि/म.स. /2021 महासमुंद, दिनांक 09/08/2022 के अनुसार अचरित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.82 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्थलय कंसेन्टर (खनिज सारथ), जिला-महासमुंद के डायन क्रमांक 1073/क/ई-मिथि/क. लि./म.स./2018 महासमुंद, दिनांक 17/07/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार पक्का खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे बरिड भविज, मर्याद, अस्पताल, स्कूल, कुल, बांस एवं एनीकट आदि स्थितियित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. भूमि एवं एल.ओ.आई. संबंधी विवरण - भूमि एवं एल.ओ.आई. की विष्णु साहू के नाम पर है, जो कार्थलय कंसेन्टर (खनिज सारथ), जिला-महासमुंद के डायन क्रमांक 386/क/ई-मिथि/खलि/म.स.81/2018 महासमुंद, दिनांक 28/02/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी फेला जारी दिनांक से 8 माह की अवधि तक थी। तदनुसार एल.ओ.आई. की फेला वृद्धि बाबत म्याकालय, सहायक सीमिडी तथा खनिकर्ण, तथा रायपुर अटल नगर के पुनर्विधान प्रकरण क्रमांक 44/2020 द्वारा जारी पत्रित अचरित दिनांक 25/11/2020 की प्री प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील प्रकरण स्वीकार करते हुए, जिला कार्थलय (खनिज सारथ), जिला-महासमुंद के पत्र दिनांक 28/02/2018 द्वारा जारी अनाम पत्र में निर्दिष्ट कर्तों का पालन अपीलकर्ता की विष्णु साहू, निवास ग्राम अयोली तहसील व जिला महासमुंद द्वारा कर लिष्ट जाने की स्थिति में फलीसगढ़ शासन, खनिज सारथ विभाग द्वारा जारी



अधिसूचना क्रमांक एफ 8-42/2012/12, दिनांक 28/08/2020 के परिच्छेद में जलीयसम्पद गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(3) के तहत उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अधिन कार्यावाही करने हेतु अधिनित समवायि प्रदान करने हुए प्रकरण कारोबदार, जिला महासमुंद्र की प्रस्तावित किया जात है।" होना बताया गया है।

8. वन विभाग का अनायित प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला-महासमुंद्र के द्वारा क्रमांक/मा.वि./2010 महासमुंद्र, दिनांक 23/07/2018 में जारी अनायित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निम्नोक्त वन क्षेत्र की सीमा से 8 कि.मी. दूर है।
9. महासमुंद्र संरचनाओं की दूरी - निम्नोक्त आबादी घाम-अबादी 1 कि.मी., लखुल घाम-अबादी 1.5 कि.मी. एवं अमरगल किराडी 8.20 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5 कि.मी. एवं राजमार्ग 18.70 कि.मी. दूर है। ऊंचाई तल 10 मीटर, महानदी 750 मीटर, तालाब 850 मीटर, खोखार नाला 150 मीटर एवं नाला 535 मीटर दूर है।
10. पारिस्थितीकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - पारिस्थितीय प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित सिटिकली पील्युटेड एरिया, पारिस्थितीकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना अधिनित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जिओलोजिकल रिजर्व 1,44,000 टन, माईनेबल रिजर्व 88,898 टन एवं निकलरेबल रिजर्व 58,881 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए अधिनित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,381 वर्गमीटर है। लीज कास्ट मनुकल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 3 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल गांठ 18,917 घनमीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संरक्षित अवधि 10 वर्ष है। स्टोन कटर का उपयोग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विखरवाय किया जाएगा। वर्षावर प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	8,480.00	षष्ठम	8,642.00
द्वितीय	8,078.24	सप्तम	8,220.80
तृतीय	5,508.00	अष्टम	6,739.20
चतुर्थ	6,480.00	नवम	8,091.20
पंचम	8,091.20	दशम	8,648.48

12. जल आपूर्ति - पारिस्थितीय हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति घाम संरक्षित द्वारा टैंकर के माध्यम से किया जाएगा। इस बाध्य घाम संरक्षित का अनायित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
13. वृक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 872 मग वृक्षारोपण प्रस्तावित है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार पीछों के लिए राशि 7,362 सार्पे, डेन निक कमिंस व पीछों के रख-रखाव के लिए राशि 85,808 सार्पे, खाद के लिए राशि 18,800 सार्पे एवं सिंचाई आदि के लिए राशि 80,000 सार्पे,



इस प्रकार कुल राशि 2,10,000 रुपये व्यय की हेतु एवं 188-व्यय हेतु कुल राशि 8,32,000 रुपये आगामी वार की हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में जाखनन - सीज क्षेत्र की घड़ी क्षेत्र 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में जाखनन कार्य नहीं किया गया है।

15. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विस्तारण -

i. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - निम्नलिखित कार्य 8 मार्च 2021 से 18 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर साहरी जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. निम्नलिखित परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ_x का मान्यन लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	18	44	80
PM ₁₀	55	74	100
SO ₂	7	20	80
NO _x	15	37	80

iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये लेवल अनुसार क्लोरोफिलस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, अमोनिया एवं अन्य रासायनिक तत्वों का मान्यन लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय ध्वनि स्तर-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	48.5	62.5	75
Night L _{eq}	38.5	49.5	70

जो एअर क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. जल निम्नलिखित कार्य के संचालन हेतु अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य 01 अक्टूबर 2022 से 18 नवम्बर 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 7 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थानों पर साहरी जल गुणवत्ता तथा 10 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

vi. अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य के परिणामों अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ_x का मान्यन लेवल-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	20	46	80
PM ₁₀	58	75	100

SO ₂	7	20	80
NO ₂	15	37	80

16. अतिरिक्त नॉइसलेवल कार्यों के परिणामी अनुमान परिवेशीय शब्दि स्तर—

Equivalent Noise level	Noise level - dB (A)		CPCB Standard dB (A)
	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	
Day L _{eq}	48.4	62.3	75
Night L _{eq}	38.4	49.8	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है। नॉइसलेवल कार्य तथा अतिरिक्त नॉइसलेवल कार्यों के परिणाम तुलनात्मक रूप से समान पाये गये।

16. पी.सी.यू. की गणना— भारी वाहनों / मल्टीएक्सेल हेवी वाहनों को सम्बन्धित कार्यों द्वारा दृशिक अवधान लिफ्ट अनुगत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 425.50 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं की/सी अनुपात (A/C ratio) 0.213 है। प्रस्तावित परिवर्धन उद्योगों 80 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। वायुमयान कुल 515.50 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं की/सी अनुपात (A/C ratio) 0.260 होगी। निम्नार के उद्योगों से सी-मटेरियल/कोकस्टोक के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैपेसिटी समस्त निर्धारित मानक (Very Good) से नीचेर है।
16. जी.एल.सी. की गणना — जी.एल.सी. की गणना प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र में पी.एम₁₀ का अधिकतम क्यूमेन्टिव जी.एल.सी. 79.78 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ तथा पी.एम_{2.5} का अधिकतम क्यूमेन्टिव जी.एल.सी. 47.27 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ होगी। जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।
16. लोक सुनवाई दिनांक 05/08/2022 अपरान्ह 12:00 बजे स्थान — ग्राम पंचायत माल, ग्राम-अधोली, तहसील एवं जिला-महासमुद्र में लग्गन हुई। लोक सुनवाई प्रस्तावित सड़क सफिद, पार्किंगगड्घ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया सचपुर अटल नगर, जिला-सचपुर के वज दिनांक 19/09/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।
17. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न मुद्दाम/विचार प्रस्तुत किये गये हैं—

- निजी जमीन में जो सड़क संवर्धित कर रहे हैं, वह जिल्ला भी वेस्ट मटेरियल है वह अपने जगह में रखें, कहीं भी वेस्टेज सामाजिक भूमि में न डालें।
- सड़क के पारी ओर वार पीरे की आवश्यकता है। वार घेरा नहीं होने की कारण सड़की अदि गिर रही हैं। लोहे के वार द्वारा घेरा सड़क जादू लिखारी धानीयों एवं जानवरों की दुर्घटना से बचाया जा सके।
- ग्राम के सभी रोड में बड़े-बड़े गड्घे हैं, जिल्ले बर्षे लड्डु जाले सड़क गिर जाये हैं, लेज सड़क वाहनों के कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में पर्यावरण प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसल्टेंट का कठन निम्नानुसार है—


- ग्राम के दौरान लग्गन होने वाले मड्डन निवेस्टक का निराकरण अनुमेदित पररक्षण योजना के अनुसार ही किया जायेगा, इन्हें सड़क क्षेत्र के बाहर किया भी सामाजिक स्थल के इर्द गिर्द या सामाजिक स्थल में डाल नहीं किया जायगा।

- a. खदान का सीमांकन कराकर, खरी और बेसिंग कायम ही रखना तथा खदानों का संयोजन द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा, उसका पूर्णतः पालन किया जाएगा।
- b. खदान में होने वाली घुसटनेवालों से बचने के लिए प्रतिष्ठित वाहन चालकों को लगाया जाएगा एवं वाहन चालकों को सतत विश्व निर्देश दिए जाएंगे। चालकों का परिवहन तात्कालिक से इन्फ्रान्स्ट्रक्चर परिवहन के सभी नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। नियन्त्रण गतिशीलता में ही परिवहन किया जाएगा।

18. **कालस्टेड हेतु कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मेनेजमेंट प्लान** – परिशोधन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुए कालस्टेड में कुल 4 खदानें आती हैं। अतः कालस्टेड में शामिल खदानों द्वारा कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मेनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:-

विवरण	इकाय (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
इन्फ्रान्स्ट्रक्चरल मेनेजमेंट हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/घाटों मार्ग से उत्पन्न हुए उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु प्रत्येक कि.मी. पर, पट्टीय मार्ग की कुल लम्बाई 500 मीटर	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000	1,44,000
पट्टीय मार्ग के दोषों का निरीक्षण (30 प्रतिशत जीवन दर) हेतु सति	3,000	300	300	300	300
पट्टीय मार्ग के दोषों का निरीक्षण (30% मार्ग) हेतु सति	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
कालस्टेड हेतु सति	8,350	8,350	8,350	8,350	8,350
सिंचाई हेतु सति	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
इन्फ्रास्ट्रक्चरल मेनेजमेंट हेतु सति	1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000	1,17,000
सड़कों / पट्टीय मार्ग के संभालन हेतु सति	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
ईलेक्ट्रिकल-अप हेतु सति	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
कुल सति = 23,87,000	5,47,000	5,15,000	5,15,000	5,15,000	5,15,000

कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चरल मेनेजमेंट प्लान में परिशोधन प्रस्तावक की स्थापित निम्नानुसार होगी:-



विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रमुख निवेशन हेतु परिवहन के दौरान लकड़ी/पट्टन मार्ग से उत्पन्न कुल उत्सर्जन के निषेधन हेतु जल डिवाइसर, धूलिक मार्ग (लम्बाई 118 मीटर)	33,500	33,500	33,500	33,500	33,500
पट्टन मार्ग (लम्बाई 118 मीटर) में 70 नग वृक्षारोपण (50 प्रतिशत जीवन वृक्ष के साथ वृक्षारोपण, ट्री-बार्ड, खाद सिंचाई एवं पत्र-सहाय आदि) हेतु राशि	41,200	34,800	34,800	34,800	34,800
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग हेतु राशि	27,200	27,200	27,200	27,200	27,200
लकड़ी / पट्टन मार्ग के संभालन हेतु राशि	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000
होम सेक-अप हेतु राशि	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300
कुल राशि = 8,24,800	1,27,200	1,18,600	1,18,600	1,18,600	1,18,600

19. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समस्त विस्तार से पर्यावरण सम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20.01	3%	0.40	Following activities at Village-Aacholi	
			Plantation at Village Pond with fencing	0.400
			Total	0.400

20. सी.ई.आर. के अंतर्गत लालाब के क्षेत्रफल अनुसार कुल 70 नग पौधों को रोपण किया जा सकता है, वर्तमान में लालाब के सिंचने 20 नग पौधे उद्विष्ट हैं। बीच 50 नग पौधों को रोपण कलक्टर से समिल कुल 4 खदानों के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। जिसके तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल 12 नग पौधों को वृक्षारोपण (4 पीट से 5 पीट ऊंचाई के पौधे – आम, जामुन एवं कटहल) के लिए राशि 1,800 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 4,000 रुपये, खाद के लिए राशि 800 रुपये, बीसिंग तथा पत्र-सहाय आदि के लिए राशि 8,400 रुपये, इस प्रकार



इसमें वर्ष में कुल राशि 12,800 रुपये तथा आगामी 4 वर्षों में कुल राशि 38,800 रुपये हेतु धारकजन राश का विलयन प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पश्चाद्योक्त स्थान (खसरा क्रमांक 1823, क्षेत्रफल 0.42 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

21. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यकाल हेतु राश पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
22. लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 3 मीटर है तथा कुल गहराई 18.817 फीटमीटर है। इसमें से 1.178 फीटमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज मोटाई 7.5 मीटर की मोटाई (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में पीलावन वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जाएगा व शेष 18.739 फीटमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के अंदर उत्खनन स्थान अनुसार रखा जाएगा। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर रखा की भूमि (खसरा क्रमांक 484 एवं 1583, कुल क्षेत्र 0.18 हेक्टेयर) में संवर्धित कर संबंधित रखा जाएगा।
23. कार्योत्तर कार्यकालन अधिनियम जल संरक्षण संयम महाराष्ट्र, जिला-महाराष्ट्र के अधिनियम 10/10/2002 द्वारा जारी अनुरोधित प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित भूमि महानदी से लगभग 252 मीटर एवं कोठार नाला 80 मीटर की दूरी पर स्थित है, जो की स्वतः निरीक्षण एवं प्राप्त संयम के अनुसार कभी भी प्रस्तावित नहीं हुआ है का उल्लेख है।
24. ऊपरी मिट्टी को सर्वोत्तम लीज क्षेत्र के अंदर सीकरी जोन में 1 मीटर की मोटाई तक संवर्धित करने तथा शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर संवर्धित कर संबंधित रखा जाने हेतु मिट्टी का दुुरुपयोग न करने, विलयन न करने एवं अन्य कार्य में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःसंग्रह हेतु किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्लुइडिफ आस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल विश्लेषण की व्यवस्था किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर उत्खन वृक्षारोपण किये जाने एवं सेवित पौधों का सार्वजनिक रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. उत्सर्जन आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय जीवों को संरक्षण किये जाने हेतु सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rules) के तहत बाउन्ड्री मिलाई द्वारा सीमांकन कर कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/स्थान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

1. कार्यालय बजेटर (अग्निज बांध) जिला-महासमुद्र के इकाय क्रमांक 828/क/खलि/म.सं./2021 महासमुद्र, दिनांक 09/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित 28 खदानें, क्षेत्रफल 22.82 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-अधोली) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-अधोली) को मिलाकर कुल रकबा 23.82 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की दूरी में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान सी-1 श्रेणी की मानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, जल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (जमा संशोधित) के प्रावधानों एवं मानकीय एच. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार बजेटर में आने वाली खदानों की उपलब्ध परिसिधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की लोकेशन हेतु बजेटर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करती हुई, बजेटर हेतु बॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संचालक, संचालनालय, सीनिकी तथा खनिकन, इटावली खनन, तथा रामपुर अटल नगर, जिला - रामपुर (असम) के राज से सम्बन्धित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।
3. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र एन.ई.आई.ए.ए. प्रतीकनम 1 में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त अनुज्ञा की जाती है।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से आवेदक - मेसर्स अधोली फ्लैट स्टोन माईन (प्रो.- श्री विष्णु साहू) को ग्राम-अधोली, तहसील 8 जिला-महासमुद्र के खदान क्रमांक 79/2 एवं 1307 में स्थित सही बजेटर (बीम अग्निज) खदान, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टेयर, क्षमता-8.738 टन (3.808 घनमीटर) प्रतीक हेतु शर्त पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुज्ञा की गई।

अधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर अधिकरण की दिनांक 22/08/2023 को संलग्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। अधिकरण द्वारा शर्तों का अवलोकन किया गया। अधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परिशोधन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/08/2022 के माध्यम से सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु ग्राम पंचायत अधोली का सहमति पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

अधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुज्ञा को स्वीकार करती हुई आवेदक - मेसर्स अधोली फ्लैट स्टोन माईन (प्रो.- श्री विष्णु साहू) को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय किया गया। समिति द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत निर्दिष्ट किये गये शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विधिवत कार्यवाही की जाएगी।

परिशोधन प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

11. मेसर्स गोपी लाईन स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री विवेक चन्दावन), ग्राम-गोपी, तहसील-बुरुद, जिला-धमतरी (अधिसूचना का प्रतीक क्रमांक 1711)

लीनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजित नम्बर - एसआईए/ गोपी/ एसआईए/ 218700/2021, दिनांक 18/08/2021 द्वारा टी.जी.आर हेतु आवेदन किया गया था।

संस्थान में प्रयोजन नम्बर - एनआईए/ सीडी/ एनआईएन/ 268418/2022 दिनांक 12/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाइनल ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

अवकाश का विवरण - यह प्रस्तावित पुनः कचरा (नीच खनिज) खदान है। खदान द्वारा-नौली, लक्ष्मील-कुकर, जिला-अमराठी सिता खसरा क्रमांक 1033/1, 1035, 1043, 1053/1, 1054/1, 1054/2, 1055, 1058/1, 1058/2, 1057, 1058, 1091, 1092/1, 1092/2, 1092/3, 1093, 1094, 1095, 1098, 1070, 1076, 1077, 1078 एवं 1087, कुल क्षेत्रफल-4.88 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवंटित अवकाश क्षमता-58,871.88 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एन.ई.ए.सी, अलीसमूह के द्वारा क्रमांक 1321, दिनांक 28/09/2021 द्वारा प्रकल्प 'बी' कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2018 में प्रकृतिगत स्टैमडॉक एम्स ऑफ रिसेस (टीओआर) को ई.आई.ए./ई.एन.सी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट/एक्टिविटीज रिक्वायर्स इन्वायरीट क्लीयरेंस अन्धक ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में संशोधित सेन्टी 100 का स्टैमडॉक टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टीओआर जारी किया गया है।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एन.ई.ए.सी, अलीसमूह के द्वारा दिनांक 29/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बीठकों का विवरण -

(अ) समिति की 437वीं बैठक दिनांक 30/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रोमन्ड कन्डाकर, प्रोपटरीटोर एवं पर्यावरण रक्षाकार के काम में मेम्बरों की एक एम सीलुशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री हरीश शिवाजपूरीन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति के संज्ञान में यह तथ्य आया कि प्रस्तुत फाइनल ई.आई.ए. अवेदन में खसरा क्रमांक 1098 का उल्लेख नहीं किया गया है। इस संकेत में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष फॉर्म-1 में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाइन में ए.डी.एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा अन्तगम्य सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधना प्रस्तावक को फॉर्म-1 में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाइन में ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् सशित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरान्त आगामी सर्वेवाही की जाएगी।

तदनुसार एन.ई.ए.सी, अलीसमूह के द्वारा दिनांक 18/01/2023 के परिशिष्ट में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 30/01/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

(ब) समिति की 438वीं बैठक दिनांक 08/02/2023:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुई कि परिशोधना प्रस्तावक को फॉर्म-1 में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाइन में ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने के पश्चात् सशित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत गया है।



समिति द्वारा तालमय सर्वसम्मति से निर्णय किया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में जारी हुई अधिसूचनाओं एवं सम्बन्धित न्यायिक आदेशों / दस्तावेजों सहित प्रस्तुतीकरण दिखे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

समानुसार परियोजना प्रस्तावक को एल.ओ.आई., उत्तीर्णपत्र को ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 28/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रोहित कन्हाकर, प्रोपराईटर एवं पर्यावरण सलाहकार को रूप में पेशों में एक एम सी/यूएन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री सुरेश विद्यादरदीन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नती, प्रस्तुत आदेशों का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न विधि हुई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. पत्र संशोधन का अनावृत्त प्रमाण पत्र — राजस्व एवं उत्तर के मंत्रालय में पत्र संशोधन पेशी का दिनांक 03/12/2020 का अनावृत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. राजस्व बीजक — उत्तरी पत्तन एरॉन विधु कंपनी बलोजर पत्तन विधु इन्फ्रास्ट्रक्चर्स मैनेजमेंट पत्तन प्रस्तुत किया गया है, जो जमि अधिकारी, जिला-उत्तर उत्तर उत्तर के ज्ञापन क्रमांक 182/समिज/उत्तर/उ.प./2021-22 क्रमांक, दिनांक 10/08/2021 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्मेल कलेक्टर (समिज साखा), जिला-उत्तरी के ज्ञापन क्रमांक 448/समिज/स.सि./2022 दमती, दिनांक 21/02/2022 के अनुसार आदेशित खदान को 500 मीटर की भीतर अवस्थित 6 खदानें, क्षेत्रफल 10.77 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्मेल कलेक्टर (समिज साखा), जिला-उत्तरी के ज्ञापन क्रमांक 713/समिज/उ.प./2021 दमती, दिनांक 10/08/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुस्तकालय, एम.एच.टी. एवं जल आपूर्ति आदि प्रभावित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण — एल.ओ.आई. की रोहित कन्हाकर के नाम पर है जो कार्मेल कलेक्टर (समिज साखा), जिला-उत्तरी के ज्ञापन क्रमांक 580/समिज/पत्तन/उत्तर/उत्तर/2020-21 दमती, दिनांक 25/08/2021 द्वारा जारी की गई, जिसकी कैंपा जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक की। एका एल.ओ.आई. में टॉकन बुद्धि की जितने कार्मेल कलेक्टर (समिज साखा), जिला-उत्तरी के ज्ञापन क्रमांक 714/समिज/पत्तन/उत्तर/उत्तर/2020-21 दमती, दिनांक 10/08/2021 द्वारा संशोधित किया गया। तत्पश्चात् एल.ओ.आई. की कैंपा बुद्धि कबल न्यायालय, संशोधक भीमिनी तथा समिजमें ग्या तत्पश्चात् उत्तर नगर को पुनर्निर्माण प्रकरण क्रमांक 72/2023 द्वारा जारी परिसर आदेश दिनांक 16/02/2023 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उत्तरीक निर्माण के अन्तर्गत पुनर्निर्माण प्रकरण स्वीकार नहीं हुए, यह निर्दिष्ट किया जाता है कि उत्तीर्णपत्र प्राप्त समिज निम्न, 2018 के निम्न



8203] परन्तु के तहत एक प्रकरण में सर्वोच्च स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अधिरिक्त समयावधि प्रदान करती हुए प्रकरण कार्यकर्ता, जिला प्रशासी को प्रस्तावित किया जाता है।" होना बताया गया है।

7. भू-स्वामित्व – भूमि खाना क्रमांक 1033/1 तथा 1035 की सुवेन्द बन्दोखन एवं वीथ भूमि आवेदक के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की जाँच प्रस्तुत की गई है।
9. वन विभाग का अनुमति प्रमाण पत्र – सहायक वनसंरक्षक/सहायक वनसंरक्षक, जिला-प्रशासी के द्वारा क्रमांक/मा.वि./जी/1118 वनसंरक्षक 27/02/2021 की जाँच अनुमति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र की सीमा से 30 कि.मी. की दूर है।
10. महासमुद्र संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवासीय घान-पोली 600 मीटर, स्कूल घान-पोली 1.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 कि.मी. एवं राजमार्ग 10 कि.मी. दूर है। महानदी 2 कि.मी. एवं बीकनी नाला 50 मीटर दूर है।
11. परिस्वच्छितीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिस्वच्छितीय में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र, परिस्वच्छितीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिशोधित किया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिखोलीखनन रिजर्व 22,41,000 टन, माईनिंग रिजर्व 13,34,100 टन एवं रिक्वायर्ड रिजर्व 12,87,400 टन है। सीध की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिशोधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 13,014.50 वर्गमीटर है। खनन साइट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 18.5 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1.5 मीटर एवं बाज 28,107.50 वर्गमीटर है। वीथ की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 20 वर्ष से अधिक है। सीध क्षेत्र में ऊपर स्थित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक ड्रम से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल स्वॉमिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का विकल्प जाएगा। सर्वेक्षण प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	41,504.90	षष्ठम	65,719.79
द्वितीय	52,747.35	सप्तम	68,871.60
तृतीय	54,757.80	अष्टम	63,995.83
चतुर्थ	55,435.38	नवम	48,547.43
पंचम	55,668.50	दशम	55,774.39

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति घान पंचायत के सदस्य से की जाएगी। इस बाबत घान पंचायत का अनुमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

14. **पूजारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चाली और 7.5 मीटर की पट्टी में 3,300 नम पूजारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमान पौधों के लिए राशि 2,17,800 रुपये, कंसिंग के लिए राशि 4,20,000 रुपये, खाद के लिए राशि 24,800 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव आदि के लिए राशि 2,88,000 रुपये, इस प्रकार कुल राशि 9,28,600 रुपये प्रदान की हेतु एवं रख-रखाव हेतु कुल राशि 9,80,800 रुपये आवसी राश करी हेतु पर्यवेक्षक नाम का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

15. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उलखनन** – लीज क्षेत्र के चाली और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उलखनन कार्य नहीं किया गया है।

16. **नैर माइनिंग क्षेत्र** – लीज क्षेत्र में 243.98 वर्गमीटर क्षेत्र को खोले होने को कारण नैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है, जिसका जलसंधि अनुमेयित माइनिंग पत्रण में किया गया है।

17. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विवरण-**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – भौतिकीय कार्य 15 अक्टूबर 2021 से 14 जनवरी 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतराल 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर खनि सार मापन, 2 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के जल में दूषित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **भौतिकीय परिवर्तनों के अनुसार पीएम, एसडी, एनडी, का मान्यता लेवल-**

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM ₁₀	18.4	33.3	80
PM _{2.5}	43.8	82.4	100
SO ₂	7.8	15.8	80
NO ₂	9.9	32.3	80

iii. **परिषेचना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता-** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दशमि मने टेबल अनुसार कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लोड, आर्सेनिक एवं अन्य रासायनिक तत्वों का मान्यता लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय श्रुति स्तर-**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	40.7	54.5	75
Night L _{eq}	38.3	48.0	70

जो जल क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **वी.सी.यू. की मान्यता-** चाली बाहरी / मस्टीएलाल डीपी बाहरी की स्थापित कनरी हूपे ट्रिपिक अवधान रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्गीकरण में 87.8 वी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं वी/सी अनुपात (AVC ratio) 0.40 है। प्रस्तावित परिषेचना उपरांत 84 वी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल

प्लान प्रस्तुत किया गया है। बीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित है—

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टों मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल सिंक्रलाय, एम.डी.आर रोड में (किनवारी से कटौली) 1.5 कि.मी.	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000
एम.डी.आर रोड (किनवारी से कटौली) से दोनों तरफ (7,000 वर्ग मी.) कुशासेवन हेतु	5,00,000	50,000	50,000	50,000	50,000
फॉसिल हेतु	18,80,000	—	—	—	—
बीज, खाद एवं एम— सहाय हेतु	7,00,000	7,00,000	7,00,000	7,00,000	7,00,000
इन्फ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग (किंगडोम)	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000	1,80,000
सड़कों / पट्टों मार्ग से उत्पन्न धूल	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000
एम्प्रीस प्रदूषण मार्ग में कुशासेवन (2.5 कि.मी. तक)	1,00,000	30,000	30,000	—	—
कुल राशि = 98,50,000	38,70,000	14,60,000	14,60,000	14,30,000	14,30,000

बीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान में परिवर्धनात्मक प्रसाधक की सहभागिता निम्नानुसार होगी—

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़कों/पट्टों मार्ग से उत्पन्न धूल उत्सर्जन को नियंत्रण हेतु जल सिंक्रलाय, एम.डी.आर रोड में (किनवारी से कटौली) 514 मीटर	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
एम.डी.आर रोड कुशासेवन (90 प्रतिशत जीवन)	1,25,000	12,500	12,500	12,500	12,500

संरक्षित रखा जाएगा। तत्पश्चात् द्वितीय वर्ष में अर्जित 21,803.12 घनमीटर अवशेष मिट्टी को उपरोक्त वर्ष के वार्षिक रिपोर्ट को पुनःमूल्यांकन हेतु उपयोग किया जाएगा।

24. लीज क्षेत्र के घाते और (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में) कोई भी उत्खनन का कार्य नहीं किया गया है और अधिकांश में भी कोई उत्खनन का कार्य नहीं किया जाने बावजूत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. अवशेष मिट्टी को लीज के प्रतिबंधित क्षेत्र (7.5 मीटर) में फेंककर पुनर्गोपन के लिए उपयोग किया जाएगा एवं विस्तृत न करने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. एक्सप्लोसिव लाइसेंस धारक अधिकृत विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बावजूत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. माइनिंग लीज क्षेत्र के अंदर गणन पुनर्गोपन किये जाने एवं संरक्षित सीमा का सतहखंडन रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बावजूत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बावजूत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. अवशेषनक आवर्त पुनर्वास नीति के तहत स्वामीय लेनों को रोजगार दिये जाने हेतु सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. क्लस्टर में जाने वाले खदान के लिए रीपार कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान हेतु खदान का अक्षांश एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते दृष्टे पुनर्निश्चित कर प्रस्तुत किया गया है।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विस्तृत इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विस्तृत सतत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.जा. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उत्खनन का प्रकरण लंबित नहीं है।
33. आवंटित खदान को सन्निहित कर क्लस्टर में कुल 7 खदानें हैं। साथ ही कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्य हेतु अनुबंध करारना जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
34. संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के माइस्टलाईस के अनुसार क्लस्टर में सम्मिलित सभी आवंटकों के द्वारा पर्यावरण समिती का गठन किये जाने एवं समिती के दिशा-निर्देश तथा निगरानी में पर्यावरण प्रबंधन योजना का निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने बावजूत सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

35. किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह वास्तुशिल्प जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
36. परियोजना की जिल-जिल स्थलों से पर्यावरणिक आदत संरक्षण होना, उन स्थलों पर नियमित जल विद्यमान की जायदा किये जाने बाबत समय पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
37. समिति का मत है कि जी.ई.आर., सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान, सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सरकारी के एड-एडवांस एवं क्लस्टरिंग कार्य के भीतरिन एवं पर्यवेक्षण हेतु वि-ज्तीय समिति (डोनर/आईटी/प्रतिनिधि, ग्राम संघमत के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जलसंधारण पर्यवेक्षण संस्थान स्थल के पर्यवेक्षक/प्रतिनिधि) सहित किया जाना आवश्यक है। साथ ही जी.ई.आर., सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान, सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सरकारी के एड-एडवांस एवं क्लस्टरिंग का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत सहित वि-ज्तीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
38. भारतीय एन.जी.टी., डिग्रीजल वेव, नई दिल्ली द्वारा सर्वोद पर्यवेक्षण विस्तार भारत सरकार, पर्यवेक्षण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अनुसंधान एक्सप्लोरेशन नं. 188 जीक 2018 एन अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार किसी उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यलय कलेक्टर (खनिज सखा), जिला-जगतरी के द्वारा क्रमांक 448/खनिज/ख.सि./2022 जगतरी, दिनांक 21/02/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 10.77 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-बीजी) का क्षेत्रफल 4.88 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-बीजी) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 15.75 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघारित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की बानी गयी।
2. भारत सरकार, पर्यवेक्षण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं भारतीय एन. जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार कलक्टर में आने वाली खदानों की पर्यावरण गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथाम हेतु कलक्टर में आने वाले स्वस्त खदानों को शामिल करते हुए, कलक्टर हेतु सीएम इन्फ्रास्ट्रक्चरल मैनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित बनाने हेतु संघालय, संघालयलय, सीमित तथा खनिज, इच्छाशी भवन, नया रायपुर अटल

कार, जिला - रायपुर (अलीसगढ़) के तहत से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया जा रहा।

3. एच.ई.ए.सी., अलीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतिकरण के दौरान जारी हुई कठिन जानकारी/दस्तावेजों/अभिलेखों (सारांश क्रमांक 29 से 38 तक) को एच.ई. आई.ए.सी., अलीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की तारीखें अखीर पर्यावरणीय स्वीकृति की सार्वजनिक अनुमति की जाती है।
4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदनक - मेसर्स गोपी लार्ड्स स्टोन कारी (प्री- बी रेवेन्ड चन्दाकर) को धान-गोली, तहसील-कुमुद, जिला-रायपुर के खसरा क्रमांक 1033/1, 1035, 1042, 1053/1, 1054/1, 1054/2, 1055, 1056/1, 1056/2, 1057, 1058, 1059, 1062/1, 1062/2, 1062/3, 1063, 1064, 1065, 1066, 1070, 1076, 1077, 1078 एवं 1087 में स्थित कुल पक्कर (पीस अमिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-4.98 हेक्टर, समतल-58.871.00 टन प्रतिवर्ष हेतु सार्वजनिक स्वीकृति दिए जाने की अनुमति की गई।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त इकरण पर प्रधिकरण की दिनांक 22/05/2023 को संपन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा जारी का अवलोकन किया गया। प्रधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 29/04/2023 के मध्यम से निम्न जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है-

1. आवेदित खदान को शामिल कर ब्लॉक में कुल 7 खदानें हैं। साथ ही सीमाएं इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान की तहत किये जाने वाले कार्य हेतु अनुबंध बनाकर जानकारी प्रस्तुत किया गया है।
2. संयुक्त पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के अनुपालन के लिए पर्यावरण को नाई-इलाईत की अनुसार वातावरण में स्थापित सभी आवेदकों के द्वारा पर्यावरण समिति का गठन किये जाने एवं समिति के विश्व-निर्देश तथा नियंत्रण में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण का निर्धारित कार्य पूर्ण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
3. किसी भी प्रकार का दूषित जल कर प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
4. परियोजना से जिन-जिन स्थलों में पर्यावरणिक अस्त-उत्साहीन होगा, उन स्थलों पर निर्धारित जल विद्यमान की व्यवस्था किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

प्रधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करती हुई आवेदनक - मेसर्स गोपी लार्ड्स स्टोन कारी (प्री- बी रेवेन्ड चन्दाकर) को निम्न अधिलिखित तारीखें अखीर पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय किया गया-

1. खदान के संघालन के समय निकलता गोली नाला को किसी भी प्रकार की अति न ही, इसकी सम्पूर्ण आवेदकी परियोजना प्रस्तावक की रहेगी।



2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा नीसपी नाला एवं अन्य निकटवर्ती जल निकायों के संरक्षण एवं संयोजन हेतु उचित कदम उठाया जाए तथा उचित पालन सुनिश्चित किया जाए।

समिति द्वारा निर्धारित शर्तों के अंतर्गत निर्दिष्ट दिनों पर शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाए। पालन नहीं किये जाने की स्थिति में विहित कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को शर्तों का निरन्तर पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए।

12. मेसर्स बंगोटी एन्ड कंपनी लाईन स्टोन माइनिंग कार्पोरेशन (प्रा.) लीडिंग प्रवाह (पुष्पा), जल-बंगोटी, लहसील-सुम्डा, जिला-सन्तुजा (साधारण का गणती क्रमांक 1810)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/सीजी/एसआईएन/01808/2021, दिनांक 15/03/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजन नम्बर - एसआईए/सीजी/एसआईए/418884/2021, दिनांक 09/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पर्यावरण ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित पुनः प्रवाह (पीन खनिज) खदान है। खदान जल-बंगोटी, लहसील-सुम्डा, जिला-सन्तुजा स्थित खदान क्रमांक 25/38 एवं 25/03, कुल क्षेत्रफल- 1.234 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्पादन क्षमता-3,078.56 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.आई.ए.सी. प्रतीकण्ड के ज्ञापन दिनांक 11/06/2021 द्वारा प्रकल्प 'बी' कोटेमरी का होने के कारण भारत सरकार, पार्लियामेंट, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रस्तावित सौंपडाई टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टी.ओ.आर) सीन ई.आई.ए./ई.एम.सी. रिपोर्ट पर कोलेक्टर/एक्टिविटीज सिम्पलिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में बर्णित सेवी 1(1) का सौंपडाई टी.ओ.आर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.आई.ए.सी. प्रतीकण्ड के ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण में उल्लिखित होकर दिनांक 29/03/2023 के अध्यापन से सूचना दी गयी है कि ऑनलाइन आवेदन किये जाने के दौरान तकनीकी त्रुटि होने से आवेदन में मेसर्स बंगोटी लाईन स्टोन के स्थान पर मेसर्स बंगोटी एन्ड कंपनी लाईन स्टोन का उल्लेख होने के कारण आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही ऑनलाइन नवीन आवेदन किये जाने पर प्राथमिकता के आधार पर आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार किये गए सार्वजनिक सुनवाई के परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आवेदित प्रकरण को डि-रिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुमति की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (या संशोधित) के तहत पालन करने हुए पुनः आवेदन करने की अनुमति की गई।

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकल्प की दिनांक 22/08/2023 को संख्या 459वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नारी/पानकारी/समावेश का अवलोकन किया गया। प्रतिकल्प द्वारा विचार विमर्श सचिवालय सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदन की डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय किया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रकरण में प्रस्ताव डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परिशोधना प्रस्तावक को यह सूचना दिया जाता है कि यह भवन सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाइन्स को अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परिशोधना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स चंगोरी एवं कर्ल लाईन स्टोन क्वारी गार्डन (प्री- सी अटिच गार्डन, राम-चंगोरी, तहसील-सुम्डा, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नारी क्रमांक 1784)

ऑनलाइन आवेदन - पूर्व में प्रोजेक्ट नम्बर - एलआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 81088/ 2021, दिनांक 30/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रोजेक्ट नम्बर - एलआईए/ सीजी/ एनआईएन/ 817409/ 2023, दिनांक 09/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए गार्डनर ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित घना पत्थर (ग्रीन ब्लिन्ड) खदान है। खदान राम-चंगोरी, तहसील-सुम्डा, जिला-सरगुजा स्थित खदान क्रमांक 25/24, कुल क्षेत्रफल-1.374 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-15,438 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एल.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 28/09/2021 द्वारा प्रकरण 'सी' सैटेपरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2019 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्न ऑफ़ रिफरेंस (टी.ओ.आर) और ई.आई.ए./ई.ए.सी रिपोर्ट और प्रोसेक्शन/एस्टीमेटिंग निष्काशित इन्सायरमेंट क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेग्रे 1(ए) का स्टैण्डर्ड टी.ओ.आर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एल.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ को ज्ञापन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(38) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023

परिशोधना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण में उपस्थित होकर दिनांक 29/03/2023 की मध्यम से सूचना दी गयी है कि ऑनलाइन आवेदन किये जाने के दौरान तकनीकी त्रुटि होने से आवेदन में मेसर्स चंगोरी लाईन स्टोन की खदान पर मेसर्स चंगोरी एम्ब कर्ल लाईन स्टोन का उल्लेख होने के कारण आवेदन को खपस किये जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही ऑनलाइन नवीन आवेदन किये जाने पर प्रत्यक्षता को आधार पर आगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निलस्त किये जाने की अनुमति की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2008 (यथा संशोधित) के तहत प्रारंभ करने हुए पुरा आवेदन करने की अनुमति की गई।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण या प्रतिकरण की दिनांक 22/08/2023 को संलग्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा नगरी/जानकारी/दस्तावेज का अद्यतन किया गया। प्रतिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदन को डि-लिस्ट / निलस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव की वर्तमान में प्राप्त प्रारंभ में संभवतः डि-लिस्ट / निलस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह मान्य सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाइन्स की अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तत्पुनः सूचित किया जाए।

14. मेसर्स चंनोरी एन्ड कर्नो लाईन स्टोन मार्टनिंग कंसल्टर (प्री- बी ट्रिलेन्ड कुमार मिश्र), राम-कर्न, तहसील-सुम्ना, जिला-सतलुजा (सचिवालय का नगरी क्रमांक 1807)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रयोजित नम्बर - एम.आई.ए./सीजी/एम.आई.ए./ 81828/2021, दिनांक 18/03/2021 द्वारा टी.जी.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रयोजित नम्बर - एम.आई.ए./ सीजी/ एम.आई.ए./ 818738/ 2023, दिनांक 09/03/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए नगरीय ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित पुरा पथ (भीम खनिज) खदान है। खदान राम-कर्न, तहसील-सुम्ना, जिला-सतलुजा स्थित खसरा क्रमांक 832 एवं 834, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-11.876 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एम.आई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 11/08/2021 द्वारा प्रकरण 'बी' कटेगरी का होने की कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैम्पड टर्न ऑफ सिनेस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एन.पी, रिपोर्ट और प्रॉजेक्ट्स/एक्टिविटीज निस्कारण इन्फार्मेट क्लीयरेंस अफर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेमी 1(ए) का स्टैम्पड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तत्पुनः परियोजना प्रस्तावक को एम.आई.ए.सी, छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतिकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतिकरण में उपस्थित होकर दिनांक 29/03/2023 को प्रारंभ से सूचना दी गई है कि ऑनलाईन आवेदन किये जाने के दौरान तकनीकी त्रुटि होने से आवेदन में मेसर्स चंनोरी एन्ड कर्नो लाईन स्टोन के स्थान पर मेसर्स चंनोरी एन्ड

करी जाईम स्टोन का उद्देश्य होने के कारण आवेदन को वापस किया जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही ऑनलाईन नवीन आवेदन किये जाने पर प्राथमिकता को आधार पर अगामी आवेदित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से परिषदीय प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए आवेदित प्रस्ताव को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुमति की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2008 (यात्रा संबंधित) के तहत वापस करने हुए हुए आवेदन करने की अनुमति की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रस्ताव पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2023 को संख्या 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नली/अनकली/दस्तावेज का अनावरण किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वापस में प्राप्त प्रत्येक में पत्रावली डि-लिस्ट / निरस्त किया जाता है तथा परिषदीय प्रस्तावक को यह सुझाव दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2008 (यात्रा संबंधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाइन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परिषदीय प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

13. मेगार्ड कंपनी एम्ब करी जाईम स्टोन माईनिंग क्लस्टर (सी-बीपीडी कति पुनर्), धाम-करी, लहसील-सुम्डा, जिला-सन्तुजा (सचिवालय का नली क्रमांक 1700)

ऑनलाईन आवेदन - पूर्व में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एसआईएन/ 03784/2021, दिनांक 09/08/2021 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वापस में प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एसआईएन/ 417341/2023, दिनांक 09/02/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रॉपोज़ ई. आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित पुनर् प्रायत (वीन खनिज) खदान है। खदान धाम-करी, लहसील-सुम्डा, जिला-सन्तुजा निम्न खसरा क्रमांक 879/1, कुल क्षेत्रफल-1 हेक्टर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-10,217.28 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. ललीसगढ़ के डायन दिनांक 28/08/2021 द्वारा प्रस्ताव 'बी' कोटेयरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसू. 2015 में प्रस्तावित स्टैण्डर्ड करी ऑफ़ निशरेज (टी.ओ.आर) करी ई.आई.ए./ई.एन.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एस्टेब्लिशमेंट निव्वारणिंग इन्वॉयसमेंट रसीयनेस अफ़र ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित कंपनी (ए) का स्टैण्डर्ड टी.ओ.आर (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदनुसार परिषदीय प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. ललीसगढ़ के डायन दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 47वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुसूचीकरण में उल्लिखित होकर दिनांक 29/03/2023 की मध्यम से सूचना दी गयी है कि ऑनलाईन आवेदन किये जाने के दौरान तकनीकी त्रुटि होने से आवेदन में गैरवैध कार्य लाइन स्टोन को स्थान पर गैरवैध कंपनी एम्ब कार्य लाइन स्टोन का उल्लेख होने के कारण आवेदन को वापस किये जाने का अनुसूची किया गया। साथ ही ऑनलाईन नवीन आवेदन किये जाने पर प्राथमिकता से अथवा नए आगामी आवेदित होकर में समय प्रदान करने हेतु अनुसूची पत्र प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा विद्यमान विनर्श उपरोक्त कार्यसम्पत्ति से परियोजना प्रस्तावक को अनुसूची को स्वीकार करते हुए आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निलस्त किये जाने की अनुमति की गई तथा ईआईए, नोटिफिकेशन 2008 (यथा संशोधित) के तहत चलान करती हुए पुनः आवेदन करने की अनुमति की गई।

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकल्प की दिनांक 22/09/2023 को संख्या 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नसी/जानकारी/दस्तावेज का आवेदन किया गया। प्रतिकल्प द्वारा विचार विनर्श उपरोक्त कार्यसम्पत्ति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए आवेदन को डि-लिस्ट / निलस्त करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रस्ताव को वर्तमान में प्राप्त प्रकरण में पथावत डि-लिस्ट / निलस्त किया जाता है तथा परियोजना प्रस्तावक को यह सूचना दिया जाता है कि वह भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना, 2008 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी गाईडलाइन्स के अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

14. गैरवैध एवं गैरवैध नसी (सी- श्री परमाणु कार्य, मुद्दीवार लाइन स्टोन कारी), ग्राम-मुद्दीवार, तहसील-बलीदाबाजार, जिला-बलीदाबाजार-महााराष्ट्र (अविद्यमान का नसी क्रमांक 2307)

ऑनलाईन आवेदन - उपरोक्त कार्य - एम्बआईए/ सीडी/ एम्बआईए/ 418085/2023 दिनांक 19/03/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संशोधित नया प्रकरण (गैरवैध) प्रदान है। स्थान ग्राम-मुद्दीवार, तहसील-बलीदाबाजार, जिला-बलीदाबाजार-महाराष्ट्र स्थित खसरा क्रमांक-264(घाटी), 265(घाटी), 272(घाटी), 281/1(घाटी), 287, 270/1, 270/2, 271/1, 288/1, 288/2, 273/1, 273/2, 273/3 एवं 273/4, कुल क्षेत्रफल-1.079 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित प्रकरण संख्या-46,807.47 टन प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एम्बआईएकी, उपरोक्त कार्य को प्रदान दिनांक 23/03/2023 द्वारा अनुसूचीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(क) समिति की 487वीं बैठक दिनांक 29/03/2023

अनुसूचीकरण हेतु श्री परमाणु कार्य, ओपनआईए उपस्थित हुए। समिति द्वारा गयी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- a. पूर्व में कुछ प्रकार छद्म नाम अर्थात्-264(गार्ट), 266(गार्ट), 272(गार्ट), 261/1(गार्ट), 267, 270/1, 270/2, 271/1, 268/1, 268/2, 273/1, 273/2, 273/3 एवं 273/4, कुल क्षेत्रफल-1.076 हेक्टेयर, क्षमता-47,511, 27 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण संरक्षण निर्देशन प्रधिकरण, जिला-बलीदाबाजार-भाटाघरा द्वारा दिनांक 23/01/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 23/01/2023 तक वैध है।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18/01/2021 अनुसार:-

"GA. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 22/01/2024 तक वैध होगी।

- b. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्रवाही की जानकारी कोटेशन क्रम में प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकत्रित संबंधित कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

क. निर्दिष्ट शर्तानुसार नूतनीकरण नहीं किया गया है।

- ख. कार्यालय कलेक्टर (प्रतिष्ठ संस्था), जिला-बलीदाबाजार-भाटाघरा के द्वारा अर्थात् 837/न.अ./सीन-8/ख.म./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 10/10/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार विगत वर्षों में किये गये प्रखणन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
2018-19	8,200
2019-20	7,100
2020-21	12,750
2021-22	28,900

समिति का मत है कि दिनांक 04/04/2022 से किए गए प्रखणन की वार्षिक मात्रा की जानकारी प्रतिष्ठ विभाग से प्राप्तित करवाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. छान बंधावत का अनावर्तित प्रमाण पत्र - प्रखणन के संबंध में छान बंधावत भद्रमाली का दिनांक 28/12/2022 का अनावर्तित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

1. **उत्खनन योजना** - सर्वोच्च शीशु क्वारी प्लान एजीय सिव पाइप क्लीयर प्लान सिव इन्फ्रास्ट्रक्चर केनेलमेन्ट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो समुदाय-संबंधित (S&D) संसाधन, नीतिगत तथा खनिकर्त, नया समुदाय अटल मरुत की पु. डायन क्र. 8428/खनि 02/ना.प.अनुमोदन/न.अ.08/2021(3) नया समुदाय दिनांक 18/12/2021 द्वारा अनुमोदित है।
2. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख), जिला-बलीदाबाजार-नाटायात के डायन क्रमांक 218/ख.सि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 02/03/2022 अनुसार आवंटित खदान की 500 मीटर की मीटर अवधिगत 4 खदानें, क्षेत्रफल 1,088.53 हेक्टर है।
3. **200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं** - कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख), जिला-बलीदाबाजार-नाटायात के डायन क्रमांक 218/ख.सि./2022 बलीदाबाजार, दिनांक 02/03/2022 द्वारा जारी डायन क्र. अनुसार खदान खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरुत, पु. नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एयरपोर्ट क्षेत्र एवं जल संपूर्ण आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
4. **भूमि एवं लीज का विवरण** - भूमि एवं लीज केसर्स उम्र मटेरियल सख, श्री. -श्री परमाणु वर्क के नाम पर है। लीज क्षेत्र 30 वर्षों अवधि दिनांक 01/02/2018 से 31/01/2048 तक की अवधि हेतु है।
5. **डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट** - वर्ष 2018 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
6. **वन विभाग का अनुमोदित प्रमाण पत्र** - लीज सीमा में निकटतम वन क्षेत्र की सार्वजनिक दूरी संबंधी जानकारी, वन विभाग से जारी अनुमोदित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
7. **सखपूर्व संरचनाओं की दूरी** - निकटतम खाना-पानी 300 मीटर एवं स्कूल खान-पानी 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि. मी. दूर है। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र से राजमार्ग एवं प्रधानमंत्री सख सख योजना/सुखकी सख सख योजना की अनुमोदित निर्मित सख से दूरी के संबंध में खनिज विभाग से प्रमाणित क्लर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
8. **परिधि/क्षेत्र/क्षेत्र/क्षेत्र/क्षेत्र/क्षेत्र** - परिधिगत प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय खदान, अंतर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय प्रमुख निबंधन बोर्ड द्वारा घोषित डिस्ट्रिक्ट पोस्टुटेड एरिया, परिधि/क्षेत्र/क्षेत्र/क्षेत्र/क्षेत्र या घोषित क्षेत्र/क्षेत्र/क्षेत्र/क्षेत्र/क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
9. **खनन संयंत्र एवं खनन का विवरण** - डिस्ट्रीक्ट/खनिज रिजर्व 5,04,833 टन, माईनेबल रिजर्व 2,87,087 टन एवं निकलहेबल रिजर्व 2,72,733 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा मरुती (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,853.87 वर्गमीटर है। खनन क्लर सभी मरुती/खनिज विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 30 मीटर है। लीज क्षेत्र में खनन मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की सार्वजनिक आयु 8 वर्ष है। जल टैंगर से डिजिटिंग एवं खनिज किया जाता है। लीज क्षेत्र में खनन खनिज नहीं है एवं खनिज में

इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंक्रायल किया जाता है। वर्षाजल प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	48,887.47
द्वितीय	34,965.00
तृतीय	30,818.76
चतुर्थ	33,127.50
पंचम	32,752.50

12. **जल आपूर्ति** - परिवहन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति संबंधी एवं अनुमति संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
13. **कुआरीयन कार्य** - सीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की घट्टी में 700 लन कुआरीयन किया जाएगा।
14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा घट्टी में उत्खनन** - सीज क्षेत्र की चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा घट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,893.87 घनमीटर क्षेत्र है, जिसमें से कुछ भाग लगभग 8 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख अनुमोदित खोरी प्लान में नहीं किया गया है। प्रतिक्रियित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा घट्टी में उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों का उल्लंघन है। अतः परिवहन प्रस्तावक को विस्तृत विवेकानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाए। साथ ही उक्त का उल्लेख अनुमोदित खोरी प्लान में काले हुए संशोधित अनुमोदित खोरी प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा ग्रीन बेल्ट गाइडिंग प्रोसेचर हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक 5(1)(b) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार साईन सीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सीमा क्षेत्र में कुआरीयन किया जाना आवश्यक है।

16. मानवीय एन.जी.टी., डिमिन्शन क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा सखीद पर्यावरण विस्तृत भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अभिजनल एडिशनल नं. 188 ऑर 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को चरित अदेश में कुछ रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है:-

- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.


b) if a cluster or an individual lease area exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सख्त), जिला-बलीदासजल-भारतपुरा के द्वारा अणक 218/ख.लि./2022 बलीदासजल, दिनांक 02/03/2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की सीमा अवस्थित 4 खदानें, क्षेत्रफल 1,069.53 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-मुडीवार) का एका 1,079 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-मुडीवार) की मिलावन कुल एका 1,070.809 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संश्लिष्ट खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का कमतर निर्मित होने से कारण यह खदान 'सी' श्रेणी की मानी गयी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबंधन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तथा रायपुर अटल नगर से संवाये जाने हेतु यह लेख किया जाए।
3. साईन लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़े सेपटी ज़ोन के कुछ भाग में किये गये उपखनन के कारण इस क्षेत्र के उपघारी उपायी Remedial Measures के संकाय में तथा लीज क्षेत्र के अंदर नाईनिंग डिवाइजनों के कारण उत्पन्न प्रदूषण निराकरण हेतु आवश्यक उपायी तथा पुनारोपण आदि के लिये समुचित उपायी को क्रियान्वित करने बाबत संचालक, संचालनालय, भीमिडी तथा खनिज एवं पर्यावरण को प्रति पट्टुवानी हेतु खनीसमय पर्यावरण संरक्षण मंडल, तथा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (अलीसमय) को लेख किया जाए।
4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़े सीमा पट्टी में अति उपखनन किया जाना पादे जाने पर जीव उपरोक्त निवमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भीमिडी तथा खनिज एवं पर्यावरण को प्रति पट्टुवानी हेतु खनीसमय पर्यावरण संरक्षण मंडल, तथा रायपुर अटल नगर को निवमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु लेख किया जाए।
5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से प्रकल्प 'सी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित सौम्यदर्भ टर्मों ऑफ रिस्कीस (टीओआर) वीन ई.आई.ए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरीड इन्वायर्समेंट स्टीपरेस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेरी 1(ए) का एटीचड ईओआर (लोक मुनवाई सहित) वीन सील नाईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिनिश्चिटीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई—

- i. Project proponent shall inform SEIA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit compliance report of previous environmental clearance from Integrated Regional Office, MoEF&CC Report.
- iii. Project proponent shall submit production detail from 01/04/2022 to till date from the mining department.
- iv. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

- v. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- vi. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- viii. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- ix. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- x. Project proponent shall submit the copy of panchnams and photographs of every monitoring station.
- xi. Project proponent shall submit the NDC from DFO forest department mentioning distance between mine lease boundary to forest boundary.
- xii. Project proponent shall submit certificate regarding distance from lease area to state highway & PMGSY/ MDSY road.
- xiii. Project proponent shall submit source of water requirement and its NDC for usage of water from competent authority.
- xiv. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xv. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xvi. Project proponent shall submit layout map earmarking 7.5 meter of mine lease periphery & previously mined out area in safety zone, calculation of mined out area and remedial measures for development of greenbelt in 7.5 meter wide all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. Project proponent shall submit the revised mining plan & remedial measures for mining activity carried out in the past in safety zone.
- xvii. Project proponent shall complete the restoration of 7.5 meter width of mine lease periphery & do plantation during the current year incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xviii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.



प्रतिकरन द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिकरन की दिनांक 23/08/2023 को संपन्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकरन द्वारा नली का अवलोकन किया गया। प्रतिकरन द्वारा विचार विषय उपरोक्त सर्वसाभ्यति की स्थिति की अनुशांता को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार टर्न ऑफ रेकॉरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक चुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि-

- (1) (i) माईन लीज क्षेत्र के चारी और 7.5 मीटर चौड़े सेकटी जॉन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी चपाचौ (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग विन्यासकारी के कारण उत्पन्न इंधन निबंधन हेतु आवश्यक चपाचौ तथा कृशरीयन आदि के लिये समुचित चपाचौ बाबत संघालक, संघालनलय, भीमिडी तथा खनिजम, इटावली भवन, नया रावपुर अटल नगर, जिला - रावपुर (झरीखनड) को पत्र लिख किया जाए।
- (ii) प्रतिबन्धित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी में अर्ध उत्खनन किया जाना चारे जाने पर परियोजना इसायक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कारीवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालनलय, भीमिडी तथा खनिजम को पत्र लेख किया जाए।
- (iii) माईन लीज क्षेत्र के चारी और 7.5 मीटर चौड़े सेकटी जॉन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन से पर्यावरण की स्थिति होने के कारण उल्टीसायड पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रावपुर अटल नगर को नियमानुसार आवश्यक कारीवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
- (2) पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का फलन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कारीलय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंडलय, नया रावपुर अटल नगर को भेजने जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

परियोजना इसायक को टर्न ऑफ रेकॉरेन्स (टी.ओ.आर.) (लोक चुनवाई सहित) जारी किया जाए। साथ ही संघालक, संघालनलय, भीमिडी तथा खनिजम, इटावली भवन, नया रावपुर अटल नगर एवं उल्टीसायड पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रावपुर अटल नगर तथा एकीकृत क्षेत्रीय कारीलय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंडलय, नया रावपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

17. केसर्त अरुण मिशरल (प्रे)- की उत्खन सिद्ध कुसीनार लाईन स्टीन क्वारी, घाल-कुसीनार, ताहरील-वीराणड, जिला-राजनंदराण (संभलन में जिला-वीरनड-फुईखदान-गणडई) (सफिकलय का नली क्रमांक 2308)

अंनलाईन आवेदन - प्रसोजल नंबर - एलआईए/ सीसी/ एनआईएन/ 418092/2023, दिनांक 14/02/2023 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है।

इसायक का विवरण - यह प्रस्तावित चुन नखर (गोल खनिज) खदान है। खदान घाल-कुसीनार, ताहरील-वीराणड, जिला-राजनंदराण (संभलन में जिला-वीरनड-फुईखदान-गणडई) स्थित खसत क्रमांक - 28/1, 29, 29, 30/2 एवं 30/1, कुल क्षेत्रफल-1.502 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-75,000 टन (30,000 फनमीटर) प्रतिवर्ष है।

सदस्यता परीक्षाका प्रत्यायन को एल.ओ.ओ.सी. प्रवर्तिकाएं के द्वारा दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 457वीं बैठक दिनांक 29/03/2023:

प्रस्तुतीकरण हेतु की खोजों पर प्रस्तुत, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा मसौदा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान की पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. दाम संशोधन का अनापत्ति प्रमाण पत्र - प्रस्ताव की संशोधन में दाम संशोधन प्रमाणिका का दिनांक 08/07/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उखड़न योजना - इसकी प्लान एलॉग किंग इन्फ्रामार्केट मैनेजमेंट प्लान एवम् इसकी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (स.स.) संचालनालय, नौमिडी तथा खनिज, नया रायपुर अटल नगर के द्वारा क्र. 2218/खनि 02/म.प.स. अनुसंधान/न.क्र.08/2019(2) नया रायपुर, दिनांक 28/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 800 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि राजा), जिला-खैराबाद-सुईखदान-गन्नाई के द्वारा क्रमांक 12/ख.सि. 02/2023 राजनांदगांव, दिनांक 08/01/2023 अनुमान अर्पित खदान में 800 मीटर की परिधि में 3 खदानें, क्षेत्रफल 4.182 हेक्टर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (खनि राजा), जिला-खैराबाद-सुईखदान-गन्नाई के द्वारा क्रमांक 12/ख.सि. 02/2023 राजनांदगांव, दिनांक 08/01/2023 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुमान उक्त खदान में 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मस्जिद, पुल, नदी, रेल जंक्शन, अस्पताल, स्कूल, एनिकाई बंध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.ओ.सी का विवरण - एल.ओ.ओ.सी. मेसर्स अक्षय मिनरल्स के नाम पर है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनि राजा), जिला-राजनांदगांव के द्वारा क्रमांक 208/ख.सि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 25/02/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 5 वर्ष हेतु वैध थी। संचालक, संचालनालय नौमिडी तथा खनिज, नया रायपुर अटल नगर के द्वारा क्रमांक 1822/खनि 02/म.प.स. -अनुमि. /न.क्र.08/2019(4) नया रायपुर, दिनांक 08/03/2023 द्वारा जारी पत्र अनुसार "अखीसलद गौन खनिज निधन, 2015 में जारी संशोधित अधिसूचना दिनांक 28/08/2020 (प्रकाशन दिनांक 30/08/2020) के नियम 42 के उप-नियम (5) परन्तु के तहत संचालक को प्रस्ताव अधिकार का उपयोग करते हुए, प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति अर्पित जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया जाता है।" का प्रालोक है।
7. भू-स्वामित्व - भूमि श्रीमती कुमारी सिद्ध के नाम पर है। उखड़न हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

16. एक्सप्लोसिव का कार्य (ई.जी.एल.एस. द्वारा अधिकृत डिस्कोवरी लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने वाला कार्य (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. माइनिंग जीवित क्षेत्र के अंदर सामान्य वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सतहईवस रेट (Survival rate) 80 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाला कार्य (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बायन्ट्री निस्कार द्वारा वीथरिंग का कार्य सुनिश्चित किये जाने वाला कार्य (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
19. छत्तीसगढ़ अर्बन पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु कार्य (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने वाला कार्य (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्य (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
22. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्य (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिनियम का.आ. 89(अ), दिनांक 14/09/2017 के अंतर्गत कोई उपलक्षण का प्रकरण लंबित नहीं है।
23. भारतीय एन.जी.टी., जिनमल बैंक, नई दिल्ली द्वारा ब्लॉक फॉर्मेट विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अपेक्षित सुविधाएं नं. 188 और 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को लंबित आवेदन में मुझ एवं मेरे निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where over it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

1. कार्यलय कलेक्टर (सूनि शाखा), जिला-बीरगढ़-सुईखदान-बगडई के द्वारा अनांक 12/सूनि. 82/2023 राजनांदगांव, दिनांक 03/01/2023 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 3 खदानें, क्षेत्रफल 4.162 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम-सुनीघार) का रकबा 1.888 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-सुनीघार) को मिलाकर कुल रकबा 6.051 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से प्रस्ताव 'बी' संशोधनी का होने के अलावा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोसेचर/एक्टिविटीज रिक्वायर्ड इम्प्लायमेंट कंडीशनेस अन्धर ई.आई.ए. नॉटिफिकेशन, 2006 में उल्लिखित सेमी 1(2) का स्टैंडर्ड टीओआर (जोकि सुधार सहित) कोन कोन माईनिंग प्रोसेचर सेटु विन उल्लिखित टीओआर से साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई-

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C, Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit top soil management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- viii. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- ix. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- x. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xi. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्रतिक्रमा द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिक्रमा की दिनांक 22/05/2023 को संयम 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा नतीजा का अवलोकन किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कुल खदान की 200 मीटर की गहिराई में कोई भी कार्बोनेट क्षेत्र नहीं पाया गया, ऐसा जांचने, नहर, बंध, एम्बेड, गड्ढा, स्तूप, अस्पताल, बाटर सभ्राई परियोजना, मंदिर, कस्बे, गुफाएँ, बाघट, कार्बोनेट खदान इत्यादि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है अथवा नहीं? की संकेत में जानकारी हेतु कार्बोनेट कलेक्टर खनिज सार, जिला-बेमेतल में आवेदन किया गया है। सविधि का मत है कि कुल प्रमाण पत्र माईन्स इंजिनियर रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

6. गू-साभित - गूनि जारा जमाकें 591/1, 591/2, 591/3, 591/4, 597, 598/1, 598/2, 598/3, 598/4, 599, 601, 600/1, 600/3, 603, 604/1, 609/2, 612, 614/1, 614/2, 616 एवं 617 बीघा की रकम गड्ढा एवं लेन खदान आवेदन के नाम पर है। परखनन हेतु गूनि खानी का सार्वजनिक पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. एल.जी.आई का विवरण - एल.जी.आई की दस्तावेज प्रकृत के नाम पर है। एल. जी.आई कार्बोनेट कलेक्टर खनिज सार, जिला-बेमेतल के प्रमाण जमाकें 608/खनि. लिपि./20178 बेमेतल, दिनांक 23/08/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 8 महीने हेतु थी। एल.जी.आई की किरा वृद्धि बाबत नयावलायत संचालक भीमिडी तथा खनिज, नया रायपुर अदालत नगर के पुनरीक्षण प्रकरण जमाकें 27/2018 द्वारा जारी पत्रित आवेदन दिनांक 27/04/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "सर्वोच्च विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण स्वीकार करते हुए, अधिसूचना दिनांक 28/08/2020 (अलीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 30/08/2020) के अनुसार अलीसगढ़ नीम खनिज नियम, 2018 के नियम 42(5) पारनु के तहत कुल प्रकरण में पर्याप्त स्वीकृति प्राप्त होने उपरंत परखनन पट्टा स्वीकृति के लिए निचानुसार कार्यवाही करने हेतु अतिरिक्त सहाय्यिकी प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला-बेमेतल को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. पत्र विवरण का अनामति प्रमाण पत्र - कार्बोनेट संयुक्त वनस्पतसधिकारी, बेमेतल के प्रमाण जमाकें/400, दिनांक 17/04/2018 द्वारा जारी अनामति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. महापर्वत संरचनाओं की दूरी - निकटतम खाबादी घाम-बेलखला 810 मीटर, स्तूप घाम-बेलखला 810 मीटर एवं अस्पताल घाम-बेलखला 810 मीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राजमार्ग 23 कि.मी. दूर है। खालन नदी 150 मीटर दूर है।
11. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, वन्यजीव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किरिखली पील्डुवेड सुरिघ, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
12. खनन संघदा एवं खनन का विवरण - जियोलाजिकल रिजर्व 89,400 घनमीटर एवं माईन्स रिजर्व 13,085 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर छोड़ी लीज पट्टी (परखनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,045 वर्गमीटर है। मिट्टी के

भण्डारण हेतु 3,284 वर्गमीटर क्षेत्र को गैर मॉडर्निंग क्षेत्र रखा गया है। औपम काल्ट मैन्सुअल डिग्री को उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। बीच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र को गीला इंट मिर्ल हेतु गहरा स्थापित नहीं किया जाएगा। खदान की स्थापित आयु 21 वर्ष है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंचन किया जाएगा। अनुसंधित खानी प्लान अनुसार वर्षानुक्रम प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	2,500
द्वितीय	2,500
तृतीय	2,500
चतुर्थ	2,500
पंचम	2,500

13. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्रोत एवं अनुमति संबंधी जानकारी/प्रस्तावित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
14. गैर मॉडर्निंग क्षेत्र - सी-स्टेटिमल हेतु 3,284 वर्गमीटर क्षेत्र एवं कच्चे इंट के भण्डारण हेतु 3,500 वर्गमीटर क्षेत्र क्षेत्र को अर्थात् कुल प्रकल्प कुल 6,784 वर्गमीटर क्षेत्र को लीज क्षेत्र में गैर मॉडर्निंग क्षेत्र रखा गया है।
15. वृक्षांतपन कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में कच्चे और 1 मीटर की गहराई में 400 वन वृक्षांतपन किया जाना प्रस्तावित है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वेबसाईन डाटा कालिखान का कार्य 01 दिसम्बर 2022 से 28 जनवरी 2023 तक किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 08/12/2022 को सूचना दी गई थी।
17. कच्चे इंटों को पकाने के लिए लीज क्षेत्र में लगी हुई सीमित क्षमता रखा चदु के लीज में स्थित चिमनी का प्रयोग किया जाने बावजू क्षमता रखा चदु सफलता पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का भी सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा उत्खनित मिट्टी से बनाये गये कच्चे इंटों को पकाने के लिए उनकी पत्नी क्षमता रखा चदु के लीज में स्थित चिमनी का प्रयोग किया जाएगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा आवेदित खदान की लीज सीमा में लगी हुई की अधिमित उपकरण एवं क्षमता रखा चदु के खदान लीज क्षेत्र को ले-आउट प्लान में दर्शाते हुए को.एम.एल. साईल प्रस्तुत किया गया है।
19. भारतीय एन.डी.टी., डिस्ट्रिक्ट वेब, नई दिल्ली द्वारा सर्वेड पार्लेव विस्ड भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ऑरिजिनल पुलिसेशन नं. 188 डी.सी. 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/08/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by

SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

- b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

लक्षित द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यसम्पत्ति से निम्नानुसार निर्मित किया गया:-

1. कार्यालय कोयलाखण्ड खनिज संचार, जिला-बेलास की प्रमाण प्रमाण 151 / खनि. सि.पि./2022 बेलास, दिनांक 31/05/2022 की अनुमान आवेदित खदान से 500 मीटर की मीटर अवधिगत 5 खदानें, क्षेत्रफल 11,049 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (प्रान-बेलासखण्ड) का क्षेत्र 4.47 हेक्टेयर है। इस प्रमाण आवेदित खदान (प्रान-बेलासखण्ड) की मिलाकर कुल क्षेत्र 15,519 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संघर्षित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक का खण्ड निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की गयी।
2. लक्षित द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यसम्पत्ति से प्रमाण 'बी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैंडर्ड टर्न ऑफ रिफ्रेस (टीआरओ) और ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट और कोयलाखण्ड/एनटीसीएन विस्तारित प्रमाणपरिचय करियरस अपर ईआईए, नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीआरओ (लोक सुनवाई सहित) नीचे नीचे वर्द्धनित कोयलाखण्ड सेटु निम्न अतिरिक्त टीआरओ के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई:-

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit the certificate from Mining Department regarding important structure (Bridge, Anicut, Temple, Dam, Canal etc.) within 200 meter radius from the proposed mine.
- iii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.
- iv. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NDC for usage of water from competent authority.
- v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panorama and photographs of every monitoring station.

- x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to the project before any Court of Law in India.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.
- xii. Project proponent shall undertake plantation & incorporate in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 1 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xiv. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.
- xv. Project proponent shall submit CER proposals of plantation with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रधिकरण की दिनांक 22/08/2023 को संयुक्त 120वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा नसी का अवलोकन किया गया। प्रधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्मति से समिति की अनुमति को स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार ठरनी जीक रेवेन्यू (टी.जी.आर.) (लोक चुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परिपक्वता प्रस्तावक को ठरनी जीक रेवेन्यू (टी.जी.आर.) (लोक चुनवाई सहित) जारी किया जाए।

13. मेसर्स बेरलाकला डिवल अर्ब कले क्वारी (प्री- बी अभिनीत उपस्थाय), ग्राम-बेरलाकला, तहसील-बेरला, जिला-बेनेतल (अधिकारक का नसी क्रमांक 2117) ऑनलाईन आवेदन – प्रोजेक्ट नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एसआईए/ 81229/2022, दिनांक 27/07/2022 द्वारा टी.जी.आर. हेतु आवेदन किया गया है।
- प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (ग्रीन खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बेरलाकला, तहसील-बेरला, जिला-बेनेतल, मिट्टी खदान क्रमांक 814/3, 815, 838/1, 838/2, 840, 841/1, 841/2, 841/3, 844, 878, 895/3, 895/5 एवं 895/11, कुल क्षेत्रफल-2.2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की उपरोक्त उत्खनन क्षमता – 3,380 घनमीटर प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष है।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., अलीगढ़ के ज्ञान दिनांक 03/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 424वीं बैठक दिनांक 18/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु की अनिरीत उपस्थान, प्रोपर्टाईट उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। प्रस्तुतीकरण के दौरान परिशोधना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित लीज क्षेत्र में केवल मिट्टी परखनन का कार्य किया जाएगा एवं किन्हीं स्थापित नहीं की जाएगी। इस संबंध में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष चर्च में त्रुटि सुधार करने हेतु ऑनलाईन में ए.डी.एस. जारी करने का अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधना प्रस्तावक को चर्च में त्रुटि सुधार करने एवं किन्हीं को हटाते हुए संशोधित अनुमोदित माइनिंग प्लान ऑनलाईन में प्रस्तुत करने हेतु ए.डी.एस. (Additional Document Shortcoming) जारी करने की परवाह कठित जानकारी / दस्तावेज प्राप्त होने तक अपनाई कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., अलीगढ़ के ज्ञान दिनांक 04/01/2023 को परिशोधन में परिशोधना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 02/02/2023 को जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 430वीं बैठक दिनांक 09/02/2023:

परिशोधना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित लीज क्षेत्र में केवल मिट्टी परखनन का कार्य किने जाने बाबत किन्हीं को हटाते हुए संशोधित अनुमोदित माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परिशोधना प्रस्तावक को तत्सम सुधारित जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिवे जाने हेतु निर्दिष्ट किया जाए।

तदनुसार परिशोधना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., अलीगढ़ के ज्ञान दिनांक 24/03/2023 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ग) समिति की 437वीं बैठक दिनांक 29/03/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु की अनिरीत उपस्थान, प्रोपर्टाईट उपस्थित हुए। समिति द्वारा सभी प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण- इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. खान संघर्ष का अन्वयित प्रमाण पत्र - परखनन के संबंध में धान संघर्षत वेरताकला का दिनांक 02/11/2020 का अन्वयित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. परखनन योजना - भीडिसईड जारी प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो एम संचालक (स.प्रशा.) जिला-बिलासपुर के ज्ञान क्रमांक 848/ सनि/ मिट्टी ए.पी./2022 बिलासपुर, दिनांक 13/08/2022 द्वारा अनुमोदित है। तत्पश्चात एम संचालक (स.प्रशा.) जिला-बिलासपुर के ज्ञान क्रमांक 2538/ सनि/ मिट्टी

३.सी./2022 बिलासपुर, दिनांक 29/12/2022 अनुसार पूर्व में अनुमोदित उत्खनन योजना में दिने गटे विस्ती के खदान पर कच्चे ईंटों के बजाए तथा कच्चे ईंटों को खदानों के लिए लीज क्षेत्र से लगी हुई लीजुक्त अन्य लीज में निष्ठा विस्ती का प्रयोग विवेक जाने कच्चे संशोधित अनुमोदित माइनिंग प्लान जारी किया गया है।

4. 500 मीटर की परिधि में निष्ठा खदान – कार्यालय कलेक्टर खनिज सार्व, जिला-बेमेतरा के डायन क्रमांक 164/खनि.सिधि/2018 बेमेतरा, दिनांक 30/07/2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 8 खदानें, क्षेत्रफल 11.048 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विद्यमान खदान को लीज सीमा से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों से 500 मीटर के भीतर अन्य खदान हैं अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिवर्तों के बीच दूरी उस मजदूत खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिवार से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनिटीस मिश्रण क्षेत्र में विद्यमान खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर जाने वाले सभी खदानों को शामिल करना होगा तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर जाने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को नहीं तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए।
5. 200 मीटर की परिधि में निष्ठा सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर खनिज सार्व, जिला-बेमेतरा के डायन क्रमांक 153/खनि.सिधि/2022 बेमेतरा, दिनांक 31/08/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में 2 खदानें होने का उल्लेख है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे पुल, रेल लाईन, नहर, बांध, एनीकट, मरु, मजदू, अस्पताल, बाजार, सफाई परियोजना, मंदिर, परिवार, कुलुहावा, माघट, सार्वजनिक स्थल इत्यादि परिभाषित क्षेत्र निर्मित नहीं है अथवा नहीं के संकाय में जागरूकता हेतु कार्यालय कलेक्टर खनिज सार्व, जिला-बेमेतरा में अवेदन किया गया है। समिति का मत है कि उक्त प्रमाण पत्र फाइनल ई.आई.ए. रिपोर्ट को सत्य प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
6. एल.ओ.आई. संबंधी विवरण – एल.ओ.आई. श्री अनिनीत तपस्यारा के नाम पर है। एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज सार्व), जिला-बेमेतरा के पु. डायन क्रमांक 687/खनि. सिधि/2018 बेमेतरा, दिनांक 29/08/2018 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 6 महीने हेतु की थी। तटीय संघालक, संघालनलय भीमिती तथा खनिज, तथा रामपुर अटल नगर के डायन क्रमांक 3381/खनि.सिधि/स.प.-अनुमि.सिधि/स.स. 50/2017 अटल नगर, दिनांक 29/08/2018 द्वारा जारी पत्र अनुसार एल.ओ.आई. की वैधता दिनांक 30/08/2018 तक की गई थी। तपस्यारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत न्यायालय संघालक भीमिती तथा खनिज, तथा रामपुर अटल नगर के पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 28/2018 द्वारा जारी पत्रित आवेदन दिनांक 27/04/2022 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरीक्षण प्रकरण लीजार कर्तरी हुई, अधिसूचना दिनांक 28/08/2020

(उत्तरीसंगम राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 30/08/2020) के अनुसार उत्तरीसंगम नदी खनिज निष्पन्न, 2018 के नियम 42(5) परन्तु के तहत उक्त प्रकल्प में पर्यावरण नवीकृति प्राप्त होने पर्यन्त उत्खनन पट्टा नवीकृति के लिए नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु अधिलेख समावाहक प्रदान करने हेतु उत्खनन कलेक्टर, जिला-बेमेतल को प्रस्तावित किया जाता है।" होना बताया गया है।

7. भू-सूचक - भूमि खसता क्रमांक 815, 839/1, 841/1 बीलारी ब्लू उपखण्ड एवं गेज खसता अक्टोकर के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2018 की डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. जल विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय संयुक्त जलमन्त्रालयकी, बेमेतल को जलन क्रमांक/202, दिनांक 17/04/2018 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
10. महासूची संरचनाओं की दूरी - निकटतम आबादी घाट-बेमेतलकल 500 मीटर, स्कूल घाट-बेमेतलकल 730 मीटर कि.मी. एवं जलघाट मुड़ेली 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8 कि.मी. दूर है। घाटन नदी 750 मीटर दूर है।
11. पर्यावरण/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की पर्ये में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संघीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिष्टली पील्सुटेड एरिया, पर्यावरण/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना अधिवेदित किया है।
12. खान खोदा एवं खान का विवरण - विघोर्णितखल रिजर्व 42,344 घनमीटर एवं नदीखल रिजर्व 33,839 घनमीटर है। लीज की 1 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए अधिवेदित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 872 वर्गमीटर है। खान करस्ट मंगुजल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 2 मीटर है। क्षेत्र की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर है। लीज क्षेत्र के नीचे ईट निर्माण हेतु भट्टा स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। खान की संभावित आयु 11 वर्ष है। खदान में जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का निष्कास किया जाएगा। अनुमोदित क्वारी प्लान अनुसार वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
प्रथम	1,380
द्वितीय	1,380
तृतीय	1,380
चतुर्थ	1,380
पंचम	1,380

13. जल आयुर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आयुर्ति स्रोत एवं आयुर्ति संबंधी जानकारी/प्रस्तावक प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. गैर माइनिंग क्षेत्र – गै-नोटिफाइड हेतु 897 वर्गमीटर क्षेत्र, कच्चे ईंट के उत्पादन हेतु 2,187 वर्गमीटर क्षेत्र एवं गडक हेतु 408 वर्गमीटर क्षेत्र को अर्थात् इस प्रकार कुल 3,188 वर्गमीटर क्षेत्र को लीज क्षेत्र में गैर माइनिंग क्षेत्र रखा गया है।
15. कुआरीयण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में घाटी ओर 1 मीटर की पट्टी में 380 म3 कुआरीयण किया जाना प्रस्तावित है।
16. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बेसलाइन डाटा सर्वेक्षण का कार्य 01 दिसम्बर 2022 से 28 जनवरी 2023 तक किया गया। पत्र के संख्या में दिनांक 08/12/2022 को सूचना दी गई थी।
17. कच्चे ईंटों को पकाने के लिए लीज क्षेत्र में लगी हुई स्वीकृत बीमती किरान बाला उपस्थान के लीज में स्थित विन्ही का उपयोग किया जाने वाला बीमती किरान बाला उपस्थान सङ्गति पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस कारण का भी सत्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके द्वारा पर्यवेक्षित मिट्टी से बनाये गये कच्चे ईंटों को पकाने के लिए उनकी माता बीमती किरान बाला के लीज में स्थित विन्ही का उपयोग किया जाएगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अर्जेंटिड खदान की लीज सीमा में लगी हुई की टखारन गडक एवं बीमती किरान बाला उपस्थान के खदान लीज क्षेत्र को से-आउट प्लान में दर्शाते हुए जी.एम.एल. आईन प्रस्तुत किया गया है।
19. मानवीय एन.डी.टी., डिभिजल क्षेत्र, नई दिल्ली द्वारा सर्वेड पारसेड विस्तृत माता सरकार, सर्वेक्षण, प्ल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (अतिरिक्त एन.डी.टी. नं. 188 डी.क 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पत्रित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
 - a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP to made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्वह किया गया:-

1. सर्वेक्षण कलेक्टर सविन साधा, जिला-बैतार के द्वारा क्रमांक 184/सवि. सिनि/2018 बैतार, दिनांक 30/07/2018 के अनुसार अर्जेंटिड खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें, क्षेत्रफल 11,048 हेक्टेयर हैं। अर्जेंटिड खदान (ग्राम-बेरावाकला) का क्षेत्र 2.2 हेक्टेयर है। इस प्रकार अर्जेंटिड खदान (ग्राम-बेरावाकला) को मिलाकर कुल क्षेत्र 13,249 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संश्लिखित खदानों का कुल क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर से अधिक का बलस्ट निर्मित होने के कारण यह खदान 'बी' श्रेणी की गयी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपर्युक्त सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी' श्रेणी का होने के कारण भारत सरकार, सर्वेक्षण, प्ल और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिचरिस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोसेज्/एक्टिविटीज रिक्वायर्ड इन्वायर्नमेंट क्लीयरेंस अन्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का

सौंदाई टीओआन (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अधिसूचित टीओआन के साथ जारी किये जाने की अनुमति की गई-

- i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- ii. Project proponent shall submit the certificate from Mining Department regarding important structure (Bridge, Aicut, Temple, Dam, Canal etc.) within 200 meter radius from the proposed mine.
- iii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines as defined in EIA notification from mining department and accordingly EIA study shall be carried out incorporating the mines included in cluster.
- iv. Project proponent shall submit the details of water requirement along with its source and shall also submit a copy of NOC for usage of water from competent authority.
- v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- x. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.06.2017.
- xii. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 1 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 80% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xiii. Project proponent shall submit the details of plantation undertaken during the current year & shall submit the details of proposed plantation incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost, maintenance cost for atleast 5 years and the details alongwith photographs in the EIA report.

- iv. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

प्रतिकल्प द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रतिकल्प की दिनांक 22/08/2023 को संयुक्त 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नतीजा का अंशोक्तन किया गया। प्रतिकल्प द्वारा विचार विमर्श सुपरीषत सर्वसम्मति से समिति की अनुमोक्षा को स्वीकार करती हुई उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परिचालन प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेंस (टी.ओ.आर.) (लोक सुनवाई सहित) जारी किया जाए।

एनम्बल आवंटन क्रमांक-3 नाम परीक्षण हेतु प्राप्त आवंटन के संकाय में निर्णय लिया जाता।

1. मेसर्स कर्मीन कोल इन्टरनैशियल प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम-गरीश, तहसील-मसुरी, जिला-बिलासपुर

ऑनलाईन आवंटन – प्रयोजन क्रमांक – एनआईए / सीसी / सीएमआईएन / 299548/2023 दिनांक 21/04/2023। मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल डेवेलपमेंट (इन्फ्रस्ट्रक्चर) प्राइवेट लिमिटेड को जारी पार्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स कर्मीन कोल इन्टरनैशियल प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर पार्यावरण (Transfer) लिपे जाने हेतु आवंटन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. उपरोक्त ग्राम-गरीश, तहसील-मसुरी, जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 401/8, 401/3, 409/7, 409/15, 409/1, 409/4, 409/3, 404/4, 401/2, 403/1, 409/2, 409/8, 409/8, 401/4, 403/2, 403, 401/1, 404/1, 409/1 एवं अन्य, कुल क्षेत्रफल 13.82 एकड़, कोल बीडरी क्षमता-0.88 मिलियन टन प्रतिवर्ष की है।
2. पूर्व में एनआईआईएन, प्रयोजन क्रमांक 545, दिनांक 22/07/2013 द्वारा ग्राम-गरीश, तहसील-मसुरी, जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 401/8, 401/3, 409/7, 409/15, 409/1, 409/4, 409/3, 404/4, 401/2, 403/1, 409/2, 409/8, 409/8, 401/4, 403/2, 403, 401/1, 404/1, 409/1 एवं अन्य, कुल क्षेत्रफल 12 एकड़, कोल बीडरी क्षमता-0.88 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल डेवेलपमेंट (इन्फ्रस्ट्रक्चर) प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पार्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. प्रयोजन क्रमांक पार्यावरण संरक्षण संकाय, नया मसुरी अटल नगर द्वारा कोल बीडरी क्षमता-0.88 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु सम्पत्ति नवीनीकरण दिनांक 07/01/2021 को मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल डेवेलपमेंट (इन्फ्रस्ट्रक्चर) लिमिटेड के नाम से जारी की गई है, जो दिनांक 31/01/2024 तक की अवधि हेतु वैध है।
4. मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल डेवेलपमेंट (इन्फ्रस्ट्रक्चर) प्राइवेट लिमिटेड को जारी पार्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स कर्मीन कोल इन्टरनैशियल प्राइवेट लिमिटेड

के नाम पर हस्ताक्षर किये जाने बाबत मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनेफिटिएशन (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का अनाधिकृत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

- d. मेसर्स कलिंग कोल इन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पूर्व में मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनेफिटिएशन (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड को जारी पार्यावरणीय स्वीकृति में अधिसूचित शर्तों का पालन किये जाने बाबत सत्यापन पत्र (Notarise undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
- e. मेसर्स कलिंग कोल इन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड का निगमन का प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- f. मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनेफिटिएशन (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड का निगमन का प्रमाण पत्र (Certificate of Incorporation) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- g. मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनेफिटिएशन (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स कलिंग कोल इन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किये गये विजनेस ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट की प्रति प्रस्तुत की गई है।
- h. मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनेफिटिएशन (इन्डिया) प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स कलिंग कोल इन्टरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी बोर्ड ऑफ निरीक्षकों की प्रति प्रेषित की गई है।

प्रतिकरण द्वारा बैंक में विचार – उपरोक्त प्रमाण पत्र प्रतिकरण की दिनांक 22/08/2023 को संख्या 145वीं बैंक में विचार किया गया। प्रतिकरण द्वारा कलिंग/इन्टरप्राइजेस का अधिसूचना किया गया। प्रतिकरण द्वारा विचार निम्न उपरोक्त सर्वाधिकारी से निर्णय लिया गया कि परिशोधना प्रस्तावक को वर्तमान में स्थापित इन्टरप्राइजेस हेतु उत्तीर्णगद्द पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर द्वारा जारी सम्पत्ति शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की विस्तृत जानकारी उत्तीर्णगद्द पर्यावरण संरक्षण मंडल से प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने की उम्मीद आगामी कार्यावली की जाएगी।

परिशोधना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए। साथ ही उत्तीर्णगद्द पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए।

2. मेसर्स हिन्दमाल्टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड, राम-बिरगढ़नी, लहरील-बलीदा, जिला-जांजगीर-बांग

ऑनलाइन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / सीएफआईएन / 200000 / 2023, दिनांक 21/04/2023। मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनेफिटिएशन (इन्डिया) लिमिटेड को जारी पार्यावरणीय स्वीकृति को मेसर्स हिन्दमाल्टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर नावांतरित (Transfer) किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण –

1. एचएम राम-बिरगढ़नी, लहरील-बलीदा, जिला-जांजगीर बांग स्थित ससरा क्रमांक 29/2, 32/3-8, 38/4, 38/5, 38/6 एवं 40/1, जूल संवत् 10 एचए, कोल बोर्डरी क्षमता-0.99 मिलियन टन प्रतिवर्ष (प्युट ऑफ कोल) की है।

1. मेसर्स गणराशि वेदना एंड मित्राएल लाईन स्टोन लाईन (प्री- बी पीएम चेंड जॉन), ग्राम-तालपुर, तहसील-सहसपुर लोहावा, जिला-कबीरवाग (राधिकावाग का पत्ती क्रमांक 1812)

आवेदन - पूर्व में प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीडी / एसआईएन / 182949 / 2021, दिनांक 13/01/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया था। परीक्षण में पर्यावरण प्रभावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में केवल वृद्धि किये जाने हेतु दिनांक 20/04/2023 को अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

असाव का विवरण -

1. असाव ग्राम-तालपुर, तहसील-सहसपुर लोहावा, जिला-कबीरवाग के असाव क्रमांक 41/1, 41/3, 43/5, 43/8, 43/9 एवं 43/10 में विद्या पूरा असाव (बीज खनिज) असाव, कुल क्षेत्रफल-1.457 हेक्टेयर, असाव - 33,750 टन प्रतिवर्ष की है।
2. एसआईआईएए, कालीमगढ़ के असाव क्रमांक 579, दिनांक 25/06/2021 द्वारा ग्राम-तालपुर, तहसील-सहसपुर लोहावा, जिला-कबीरवाग के असाव क्रमांक 41/1, 41/3, 43/5, 43/8, 43/9 एवं 43/10 में विद्या पूरा असाव (बीज खनिज) असाव, कुल क्षेत्रफल-1.457 हेक्टेयर, असाव - 33,750 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।
3. परीक्षण प्रभावक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है-

"मेरे बीज खनिज पूरा असाव असाव जो ग्राम-तालपुर, तहसील-सहसपुरलोहावा, जिला-कबीरवाग के असाव क्रमांक 41/1,41/3, 43/5, 43/8, 43/9 एवं 43/10, कुल असाव 1.457 हेक्टेयर को लिए पर्यावरण स्वीकृति जारी दिनांक से 3 वर्ष के लिए प्रदान की गई थी तथा उल्लेख क्र - 3 में उल्लेख किया गया था कि कंपनी जॉन के गूदे हुए भाग को पुनःअसाव करने के असाव लीज की पर्यावरण स्वीकृति की अवधि में वृद्धि की जाएगी। मेरे द्वारा कंपनी जॉन पर पुनःअसाव का कार्य कर लिया गया है तथा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन तथा अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन जमा किया गया।

अस पर्यावरण स्वीकृति की अवधि बंद लीज अवधि तक लागू करने हेतु अनुरोध किया गया है।"

प्रतिक्रमा द्वारा बैठक में विचार - एजेन्डा प्रकरण का प्रतिक्रमा की दिनांक 22/05/2023 को संख्या 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा नसी/समावेज का असावकन किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा विचार दिनांक उपरोक्त स्वीकृति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि-

1. लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में पूर्व से संघटित भाग को पुनःसंघटित कर कुआरेपन का कार्य पूर्ण करने हेतु खनिज विभाग से मुक्ति कराकर प्रतिवेदन सहित जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
2. लीज क्षेत्र की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में किन्हे सभे कुआरेपन की डिपेंडिंग परीटोराफा प्रस्तुत की जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने परतंत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परिशीलन प्रस्तावक को उदात्तुमान सूचित किया जाए।

एरीन्डा आरटम क्रमांक-5

परिशीलन प्रस्तावक द्वारा प्रेषित उचित जानकारी/दस्तावेज/पत्र प्राप्त करनेकी में अवलोकन परचातु विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्देश किया जाता।

1. मेरवा मोहनददा लाईन स्टोन क्वारी (डी- सीमती विनीत राव), राम-मोहनददा, तहसील-फारीवा, जिला-मुंगेरी (सकियलय का नस्ती क्रमांक 2118)

डीनलाईन आवेदन - इन्वेजल नम्बर - एमआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 288881 / 2022, दिनांक 27 / 07 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संघटित कृत पत्थर (लीज खनिज) खदान है। राम-मोहनददा, तहसील-फारीवा, जिला-मुंगेरी स्थित खरवा क्रमांक 852, 853 एवं 854, कुल क्षेत्रफल-0.482 हेक्टेयर है। खदान की आवेदित परखणन क्षमता-4,700 टन प्रतिवर्ष है।

उदात्तुमान परिशीलन प्रस्तावक को एलआईसी, कालीसंगर के इापन दिनांक 09 / 11 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकी का विवरण -

(अ) समिति की 434वीं बैठक दिनांक 18 / 11 / 2022

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री वीरक कुमार राव, अधिकृत इतिमिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण-

1. पूर्व में कृत पत्थर (लीज खनिज) खदान खरवा क्रमांक 852, 853 एवं 854, कुल क्षेत्रफल - 0.482 हेक्टेयर, क्षमता - 5,025 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण कनादात निर्माण इतिकरण, जिला-मुंगेरी द्वारा दिनांक 01 / 08 / 2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से 5 वर्ष की अवधि तक थी।

परिशीलन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, रान और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिनियम दिनांक 18 / 01 / 2021 अनुसार-

"3A. Notwithstanding anything contained in this Notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of

Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this Notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid."

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की किरा जारी दिनांक से दिनांक 30/09/2023 तक वैध होगी।

- a. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रास्तुतिकरण के दौरान बताया गया कि पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संस्थान, रायपुर में आवेदन दिनांक 17/11/2022 को किया गया है, जो आज दिनांक तक उपलब्ध है। साथ ही पूर्ण में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर में आवेदन दिनांक 17/11/2022 को किया जाना बताया गया है। अतः समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संस्थान, वन रायपुर अटल नगर में प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- b. निर्धारित सार्वजनिक 200 वन वृक्षारोपण किया गया है।
- c. कार्यालय कलेक्टर (अग्नि सार्वज), जिला-मुंगेली के द्वारा क्रमांक/1388/अग्नि.02/2021 मुंगेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार दिनांक वर्ष में किरा गये वनछनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)
दिनांक 01/06/2017 से 31/03/2018 तक	1100
2018-19	985
2019-20	1055
2020-21	2010

- a. कार्यालय कलेक्टर (अग्नि सार्वज), जिला-मुंगेली के द्वारा क्रमांक/805/अग्नि.02/2022 मुंगेली, दिनांक 18/11/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार 2021-22 में किरा गये वनछनन की मात्रा 2180 टन है।
2. घास पेंचवटा का अनापत्ति प्रमाण पत्र - वनछनन के संकेत में घास पेंचवटा सौहार्दक का दिनांक 18/11/2022 का अनापत्ति प्रमाण पत्र 5 वर्ष हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस संकेत में समिति का मत है कि प्रस्तुत घास पेंचवटा के अनापत्ति प्रमाण पत्र की किरा अभियान में सम्मत्ता हो चुकी है। अतः वनछनन के संकेत में घास पेंचवटा का अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही नैतिक एवं दिनांक सहित) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. वनछनन योजना - किरा प्लान एलान विधि किरा कलेक्टर प्लान एलान इन्फार्मेशन मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (अग्नि

प्रशासन), जिला-बलीदासबाजार-भारतपुरा के ज्ञान क्रमांक 2284/स.सि./सीए-1/2018 बलीदासबाजार, दिनांक 17/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।

4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा) जिला-मुनेली के ज्ञान क्रमांक 714/स.सि-02/2022-23 मुनेली, दिनांक 26/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर से नीचे अवस्थित 5 खदानों, क्षेत्रफल 3.757 हेक्टेयर है, इनकी अवस्थित 500 मीटर से नीचे अवस्थित 1 अन्य सोलोमाईट खदान, क्षेत्रफल 4.87 हेक्टेयर है, जिसे दिनांक 29/07/2020 को एस.ओ.आई. जारी किया गया है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित कार्वेजिनिक क्षेत्र/संरचनाएं - कार्यालय कलेक्टर (अग्निज शाखा), जिला-मुनेली के ज्ञान क्रमांक 1369/स.सि-03/2020 मुनेली, दिनांक 26/07/2021 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार एक खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी कार्वेजिनिक क्षेत्र जैसे खेदि, खसिद, मल्ल, अमरनास, म्हुल, पुल, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, बांध एवं जल अपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. भूमि एवं सीज का विवरण - भूमि आवेदक के नाम पर है। पूर्व में सीज की रमेश कुनेजा के नाम पर थी। सीज क्षेत्र 5 एरर अर्थात् दिनांक 08/07/2010 से 07/07/2015 तक की अवधि हेतु रद्द थी। सीज क्षेत्र का इलाहाबाद दिनांक 12/03/2013 को सीजित किया गया के नाम पर किया गया। एलाहाबाद सीज क्षेत्र 25 एरर अर्थात् दिनांक 08/07/2015 से 07/07/2040 तक निरस्तित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. इन विधान का अनाधरित प्रमाण पत्र - कार्यालय जनाभ्युदयधरणी, जिलासपुर जनाभ्युदय, जिला-जिलासपुर के ज्ञान क्रमांक/स.सि./777 जिलासपुर, दिनांक 23/01/2010 से जारी अनाधरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. महाखनून संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवेदी खान-मोहनदा 300 मीटर, म्हुल खान-मोहनदा 875 मीटर, एवं अमरनास खान-खानां 1.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 430 मीटर एवं राजमार्ग 38.2 कि.मी. दूर है। विधानवा नदी 1.7 कि.मी., बीरनी नाला 3.75 कि.मी., तालाब 300 मीटर एवं खर 6.1 कि.मी. दूर है।
10. पारिस्थितिकीय/जैववैविध्यता सर्वेक्षणों का क्षेत्र - पारिस्थितिकीय प्रस्तावक द्वारा 18 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान निरक्षण बोर्ड द्वारा घोषित जैववैविध्यता पील्लुटेड एरिया, पारिस्थितिकीय सर्वेक्षणों का क्षेत्र या घोषित जैववैविध्यता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिबंधित किया है।
11. खान संघदा एवं खान का विवरण - अनुमोदित जारी प्लान के अनुसार जिगोलीजिकल रिजर्व 1,54,850 टन (81,860 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 58,074 टन (23,228 घनमीटर) है। खान में जिगोलीजिकल रिजर्व 1,48,292 टन (88,517 घनमीटर), माईनेबल रिजर्व 50,134 टन (20,083 घनमीटर) क्षेत्र है। सीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 1,960 वर्गमीटर है। खान कास्ट सेमी मैकानाइज्ड सिमि से उत्खनन

दिखा जाता है। जलखनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 1.5 मीटर है। लीज क्षेत्र में अपनी गिट्टी की गहराई 0.5 मीटर तथा कुल मात्रा 800 घनमीटर की, जिसे पूर्व से ही उल्लिखित किया जा चुका है। बीच की लंबाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 3.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 25 वर्ष है। लीज क्षेत्र में खदान स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। लीज क्षेत्र से डिजिटल एवं कंट्रोल सॉल्यूटिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का सिंकवर्क किया जाता है। वर्षावन प्रस्तावित जलखनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित जलखनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित जलखनन (टन)
प्रथम	5,700	षष्ठम	4,700
द्वितीय	4,700	सप्तम	4,700
तृतीय	4,700	अष्टम	4,700
चतुर्थ	4,700	नवम	4,700
पंचम	4,700	दशम	4,700

12. **जल आपूर्ति** - परिवहन हेतु आवश्यक जल की मात्रा 2.75 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति सीधे तौर पर ग्राम पंचायत के माध्यम से की जायेगी। इस संबंध में ग्राम पंचायत सीक्रेटरी का अनुरोध प्रमाण पत्र एवं सेंट्रल वाटरबोर्ड की अर्जीपिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
13. **कुशासोधन कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की गट्टी में 200 मम कुशासोधन किया गया है। परिवहन प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम वर्ष (रुपये)	द्वितीय वर्ष (रुपये)	तृतीय वर्ष (रुपये)	चतुर्थ वर्ष (रुपये)	पंचम वर्ष (रुपये)
प्रदूषण नियंत्रण हेतु परिवहन के दौरान सड़क/चट्टी बनाने से उत्पन्न हुए जलखनन के नियंत्रण हेतु जल सिंकवर्क	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
खदान के लिए खान हेतु रजिस्ट्रेशन	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
खदान का-उभरी (200 मम) कुशासोधन के लिए रखा-रखा हेतु रजिस्ट्रेशन	1,75,000	1,75,000	1,75,000	1,75,000	1,75,000
कुल रजि = 11,80,000	2,30,000	2,30,000	2,30,000	2,30,000	2,30,000

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा गट्टी में जलखनन - प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवहन प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा गट्टी का कुल क्षेत्रफल 1,800 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से वर्तमान आवेदक को लीज जारी होने से पूर्व से ही 875 वर्गमीटर क्षेत्र 10 मीटर की गहराई तक उल्लिखित है, जिसका उल्लेख अनुमतिपत्र जारी पत्र में किया

का है। प्रतिमीटर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी में जलक प्रदान किया जाने पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक को विस्तृत नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्वारण, इन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीच कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई है। शर्तें क्रमांक 5(1)(3) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माइन लीज क्षेत्र की अंदर 7.5 मीटर चौड़े वनस्पति जौन में पुनरोपवन किया जाना आवश्यक है।

16. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से शर्तें उद्योग निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
22.43	2%	0.448	Following activities at Government Middle School Village- Mohbhatta	
			Installation of UV water filter and its AMC	0.30
			Running water arrangement in Mitt	0.17
				0.47

17. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Mandopal) का सहयोग पर प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक की सहयोग अथवा प्रस्तुत सी.ई.आर. कार्य के अतिरिक्त प्रस्तावित स्कूल में अलग अलग एवं पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का भी प्रस्ताव शामिल करते हुए सी.ई.आर. कार्य का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

18. बंदूक बलस्टिन का कार्य विस्फोटक लाइसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत गारंटी पर (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

19. परिचोजना से दिन-दिन स्वलों से ग्युजिटिव डस्ट कालर्जन होना, उन स्वलों का नियमित जस डिपोजन की व्यवस्था किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
20. ग्युजिटिव लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर राखन कृषारीयन किये जाने एवं उल्लेख पौधों का 50 प्रतिशत जीवन दर सुनिश्चित किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
21. परिचोजना प्रस्तावक द्वारा मिनेरल कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बायन्टी डिप्लरी द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. परिचोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, खंडर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल सिकायों के संरक्षण एवं संरक्षण किये जाने बाबत राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. जलसिंचन अधिनियम पुनर्गठन नीति के तहत स्थानीय लोगों को संलग्न किये जाने हेतु राज्य पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परिचोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परिचोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकल्प दायर के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
25. परिचोजना प्रस्तावक द्वारा अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.अ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकल्प लंबित नहीं है।

समिति द्वारा उल्लेख कार्यसूचि से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कृषारीय क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नया राधपुर अटल नगर से पूर्व में जारी न्यायालयीय खीकृती का प्रकल्प प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय खीकृति के शर्तों के अनुरूप निर्धारित शर्तानुसार किये गये कृषारीयन के पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधों के नाम का उल्लेख किया जाकर खीकृतीपत्र सहीत जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
3. प्रकल्पन के संबंध में धान पंचायत का प्रकल्पन अन्तर्गत प्रमाण पत्र (आर्कैवली केतक एवं दिनांक सहीत) प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तुत खीकृती, प्रस्ताव की अतिरिक्त सक्षमता अनुसार प्रस्तावित क्कूल में आर्कैवली, पर्यावरण संबंधी पुस्तकों का भी प्रस्ताव सहीत क्कले पूर्व खीकृती, कार्य का प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. ग्युजिटिव लीज क्षेत्र के शरी और 7.5 मीटर चौड़े खीकृती क्षेत्र के कुछ भाग में किये गये उल्लंघन के कारण इस क्षेत्र के उपकारी उपार्थी (Remedial Measures) के संबंध में लक्ष लीज क्षेत्र के अंदर ग्युजिटिव क्कियाकलायों के कारण उल्लंघन प्रकल्पन के निवेदन हेतु आवश्यक उपार्थी क्कले कृषारीयन अदि के किये समुचित उपार्थी बाबत संघालक, संघालनालय, नीमिरी तथा सनिकन, इशाकली भवन, नया राधपुर अटल नगर, जिला - राधपुर (प्रतीकण) को पत्र लेख किया जाए।

8. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा चट्टी में अर्थात् उत्खनन कार्य जाने पर निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संघालक, संघालनकार, भीमिडी तथा खनिजन एवं पर्यावरण को हानि पहुंचाने हेतु जलतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर को निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संज्ञा किया जाए।

उपरोक्त उचित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., जलतीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 को परिशोधन में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/01/2023 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 448वीं बैठक दिनांक 24/01/2023।

समिति द्वारा नयी, प्रस्तुत जानकारी का अद्यतनन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति आई गई:-

1. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त वन प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में परिशोधन प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त किये जाने हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर में दिनांक 17/11/2022 को तथा क्षेत्रीय कार्यालय, जलतीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिसासपुर में दिनांक 17/11/2022 को अपेदन किया गया है। साथ ही एस.ई.ए.सी., जलतीसगढ़ ज्ञापन दिनांक 09/01/2023 के अधिन में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुरोध पत्र लिखा गया है। परिशोधन प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रामाणिक पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत एस.ई.ए.सी./एस.ई.आई.ए.सी., जलतीसगढ़ में प्रस्तुत किये जाने संबंध पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार निर्धारित शर्तानुसार किये गये पुनरावेदन के पीछे में संख्यांकन (Numbering) एवं पीछे के नाम का उल्लेख किया जाकर फोटोप्राक उचित जानकारी प्रस्तुत की गई है।
3. उत्खनन के संबंध में दाम पंचायत मीटिंग्स का दिनांक 16/11/2009 का अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस संबंध में परिशोधन प्रस्तावक का कहना है कि दिनांक 16/11/2009 को जारी पंचायत प्रस्ताव में लिखी गई शर्तों के अनुसार पंचायत प्रस्ताव प्रति के 1 वर्ष के भीतर खनिज विभाग से लीज स्वीकृत करना अनिवार्य था। पंचायत प्रस्ताव में दी गई उक्त शर्तों के अनुसार ही खनिज विभाग से 08/07/2010 को 1 वर्ष के भीतर लीज अनुमति कक्षा लिया गया था। अतः उक्त पंचायत प्रस्ताव प्रामाणिक है।
4. परिशोधन प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कक्षा में आलमिड, पर्यावरण संबंधी पुनरावेदन का भी प्रमाण शामिल करके नूने सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार संशोधित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-



Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
22.43	2%	0.448	Following activities at Government Middle School Village- Mohbhatta	
			Installation of UV water filter and its AMC	0.30
			Running water arrangement in toilet	0.17
			Books related to Environment Conservation and Amins for Books	0.10
				0.57

सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहयोग यह प्रस्तुत किया गया है।

5. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं पुनःसंरचना कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-सदस्यीय समिति (प्रोफेसर्/प्रतिनिधि, राज. संघदाता के सदस्य/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या जल संसाधन पर्यवेक्षण संस्थान मण्डल के सदस्य/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं पुनःसंरचना का कार्य पूर्ण करने के उपरांत गठित त्रि-सदस्यीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

6. माननीय एन.डी.डी., डिस्ट्रिक्ट बेच, नई दिल्ली द्वारा सर्वोच्च पर्यावरण विभाग भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 188 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पत्रित आदेश से मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय किया गया-

1. सर्वोच्च कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) द्वारा मुंबई के इलाक 214/सुप्री-02/2002-23 मुंबई, दिनांक 28/09/2002 के अनुसार आवंटित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 5 खदानें (कुल प्लॉट क्षेत्रफल 3.750 हेक्टेयर है, इनके अतिरिक्त 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 अन्य कोलेक्टोरी खदान, क्षेत्रफल 4.27 हेक्टेयर है, जिसे दिनांक 29/07/2006 को एन.डी.आई. जारी किया गया है। आवंटित खदान (राज-मोहनपुर) का क्षेत्रफल 0.482

कुल कॉन्क्रीट (टिएएचसी) क्षमता—1,00,000 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष के टी.ओ.आर हेतु आवंटन किया गया है। परियोजना का कुल निविदाएं रुपये 12.5 करोड़ होती।

एआईएसी, जलवायु के ज्ञान क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा प्रकरण सी-1 कंटेनर का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अक्टूबर, 2018 में प्रकाशित नोटिफिकेशन लोक ऑफ रिजर्वेशन (टीओआर) पीएन ईआईए/ईएचसी, रिपोर्ट और प्रोसेक्यूट/एक्टिविटीज रिजर्वेशन इन्फार्मेट क्लीयरेन्स अफ्टर ईआईए, नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेमी 3(2) कंठिकल फटिलरईजर्स हेतु नोटिफिकेशन (लोक कुनवाई सहित) जारी किया गया है।

तदनुसार वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 28/07/2022 के माध्यम से जारी टी.ओ.आर. के कुछ बिन्दुओं में स्पष्टीकरण हेतु पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

S.No.	Conditions	Clarification
1.	It has been asked by SEAC Chhattisgarh to conduct Hearing for the project.	The project is in a notified industrial area. The notified area has been established before 2008. Public Therefore, the project being located in a notified industrial area, the project is exempted from Public Hearing as per clause 7 (i)-(ii) of EIA notification 2008 & OM J-11011/321/2018-IA, 8(1) dated 27.04.2018.
2.	Condition No. (i) Project Proponent shall inform Chhattisgarh Before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.	According to the Office Memorandum, dated 28th August 2017 issued by MOEF&CC is enclosed, it is stated that the baseline data used for the preparation of EIA/EMP reports may be collected at any stage, irrespective of the request for TOR or the issue thereof. However, the baseline data should not be older than 3 years. So, in line with this OM, M/s Tulsī Phosphate has already conducted the monitoring for the period (1st Dec 2021 to 28th Feb, 2022). The monitoring test reports will be submitted along with the submission of EIA report.

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 425वीं बैठक दिनांक 21/08/2022:

समिति द्वारा नसी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न निर्णय पार्य गई:-

- परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी गई जलवायु स्पष्टीकरण के बिन्दु क्रमांक 1 के परिच्छेद में समिति के संज्ञान में वह उद्योग द्वारा कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक J-11011/321/2018-IA(8), दिनांक 27/04/2018 के अनुसार "The exemption from public consultation, as provided under para 7(i) II State (31)(30) of the EIA Notification, 2008, shall not be applicable to the following projects or activities (located within the industrial estates / parks) listed as under" में 5 (a) का उल्लेख नहीं है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत Government of India Ministry of MSME, State Industrial Profile of Chhattisgarh 2015-16 के सारणी क्रमांक-8 के हिंदु क्रमांक-37 में Industrial Area, Birkoni, Mahasamund का उल्लेख है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत लीड वेस्टर्स की तुलसी फीमबेल्डस लिमिटेड, बिल्डिंग-1 औद्योगिक क्षेत्र के नाम का है। लीड वीड 88 वर्षी अवधि दिनांक 28/10/2010 से 24/10/2009 तक की अवधि हेतु का है।
4. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिका संशोधन एवं परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह स्पष्ट होता है कि एनईएसी, भारतीयगढ़ के क्षमता क्रमांक 732 दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में लोक सुनवाई की आवश्यकता नहीं है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी नई उपरोक्त स्पष्टीकरण के हिंदु क्रमांक 2 की परिधि में खण्डों के संज्ञान में यह स्पष्ट आया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिका संशोधन क्रमांक J-11013/410005-14-873(Part), दिनांक 28/08/2017 के अनुबन्ध (iv) The baseline data used for preparation of EM/EMP reports may be collected at any stage, irrespective of the request for TOR or the issue thereof. However, such a baseline data and the public consultation should not be older than 3 years, at the time of submission of the proposal, for grant of Environmental Clearance, as per ToRs prescribed." का उल्लेख है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में ही वेबसाइट काटा करीबान का कार्य 1 दिसम्बर, 2021 से 28 सितम्बर, 2022 के नाम किया गया है। उक्त वेबसाइट काटा की अवधि को 83 वर्ष पूर्व नहीं हुए है। उक्त ई.आई.ए. रिपोर्ट तैयार किए जाने हेतु उक्त वेबसाइट काटा का उपयोग करने की अनुमति प्रदान किये जाने एवं तदनुसार नहीं उक्त अधिका संशोधन (विना लोक सुनवाई) जारी करने का अनुरोध किया गया।

खण्डों द्वारा विचार विचार उक्त संदर्भों से निर्णय किया गया कि पूर्व में एनई.एसी, भारतीयगढ़ के क्षमता क्रमांक 732 दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में निम्न संतोषन किये जाने की अनुमति की गई-

उक्त की-1 संदर्भों का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित सौंपई उक्त अधिका संशोधन (टी.ओ.आर.) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज विवरणित इन्फार्मलिट क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में उचित केनी 5(ए) संशोधन परटीसईजर्स हेतु सौंपई टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) निम्न अधिका संशोधन विन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुमति की गई

की स्थान पर

उक्त की-1 संदर्भों का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित सौंपई उक्त अधिका संशोधन (टी.ओ.आर.) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज विवरणित इन्फार्मलिट क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में उचित केनी 5(ए) संशोधन परटीसईजर्स एवं भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिका

सेक्टर/उप क्षेत्र क्रमांक J-11011/021/0016-IA-III। दिनांक 27/04/2018 द्वारा Exemption from Public Consultation for the projects/activities located within the Industrial Estates/Parks हेतु स्टैंडर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) विना अधिलेख विन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुमति दी गई।

पदा पार।

एस.ई.ए.सी. एलसीएमए के द्वारा क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टीओआर की अन्य शर्तें सहायता रहींगी।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रधिकरण की दिनांक 11/11/2022 को संलग्न 132वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा मस्ती का अदालत/अनुमति किया गया। प्रधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:-

1. घाम- बिरखोनी, तहसील व जिला-महासमुंद में बिरखोनी औद्योगिक क्षेत्र को एक अधिनियमित किया गया है, इस संकेत में आवश्यक जानकारी/दस्तावेज पर्यटन विभाग से प्राप्त किया जाना है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में वेबसाईन साइट कलेक्शन 1 दिसम्बर, 2021 से 28 फरवरी, 2022 के मध्य किये जाने की सूचना दी गई है जल्दा नहीं के संकेत में परियोजना प्रस्तावक से जानकारी संग्रहित करना आवश्यक है।

प्रधिकरण द्वारा तत्काल कार्यवाही से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. घाम-बिरखोनी, तहसील व जिला-महासमुंद में बिरखोनी औद्योगिक क्षेत्र का अधिनियमित किया गया है? के संकेत में उद्योग संचालन, पर्यटन मन्त्र, रायपुर एवं अधिव्य एवं पर्यटन विभाग, मंडल, महानदी नगर से जानकारी संग्रहित करने हेतु पत्र संकेत किया जाए।
2. पूर्व में वेबसाईन साइट कलेक्शन 1 दिसम्बर, 2021 से 28 फरवरी, 2022 के मध्य किये जाने की सूचना दी गई है जल्दा नहीं के संकेत में परियोजना प्रस्तावक को पत्र संकेत किया जाए।

एस.ई.आई.ए.ए. एलसीएमए के द्वारा दिनांक 16/12/2022 से परियोजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जानकारी/दस्तावेज दिनांक 30/12/2022 एवं 24/04/2023 को प्रस्तुत किया गया है।

प्रधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्रधिकरण की दिनांक 22/05/2023 को संलग्न 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्रधिकरण द्वारा मस्ती/दस्तावेज/पत्र का अदालत/अनुमति किया गया। प्रधिकरण द्वारा नोट किया गया कि:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एलसीएमए स्टेट इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा क्रमांक सीएसआईसीसी/नू-अर्जेंट/22/8891 रायपुर, दिनांक 07/12/2022 द्वारा जारी पत्र में (1) औद्योगिक क्षेत्र बिरखोनी, जिला-महासमुंद की स्थापना की योजना - पत्र में उपलब्ध अधिलेखों के अनुसार कार्यालय कलेक्टर, जिला महासमुंद के पत्र क्रमांक 351/विद्यमान/सा. /22, दिनांक 09-10-2022 को औद्योगिक क्षेत्र बिरखोनी, जिला-महासमुंद की स्थापना हेतु कुल 98.42 हेक्टर सार्वजनिक भूमि के उपलब्ध हेतु अनुमति/कार्यवाही करने का संकेत है। (2) भूमि का उपलब्ध - विधायित्व भूमि का अधिपति महाप्रबंधक, जिला बामन एवं उद्योग क्षेत्र, महासमुंद के

मंजूर हो गई है।
का उल्लेख है।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ओ.एम. दिनांक 28/08/2017 अनुसार "The baseline data used for preparation of EIA/EMP reports may be collected at any stage, irrespective of the request for ToR or the issue thereof. However, such a baseline data and the public consultation should not be older than 3 years, at the time of submission of the proposal, for grant of Environmental Clearance, as per ToR's prescribed." के तहत परियोजना प्रस्तावक द्वारा बेसलाइन डाटा संग्रहण का कार्य दिनांक 01/12/2021 से 28/02/2022 को करवा लिया जाना बतारा गया है।

प्रतिक्रमा द्वारा विचार विमर्श करवाते सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में एन.ई.ए.सी., प्रतीकण्ड के प्रपन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. में निम्न संशोधन किये जाने की अनुमति की गई:-

"प्रकल्प बी-1 कोटेनरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्न ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरींग इन्वायरीमेंट क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेमी 5(ए) कमिन्सल परटीकलैजर्स हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुमति की गई-

के अन्तर्गत

"प्रकल्प बी-1 कोटेनरी का होने के कारण भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्न ऑफ रिफरेंस (टीओआर) और ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स/एक्टिविटीज रिक्वायरींग इन्वायरीमेंट क्लीयरेंस अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित सेमी 5(ए) कमिन्सल परटीकलैजर्स एवं भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अतिरिक्त नोटिफिकेशन क्रमांक J-11011/321/2018-IA,IA2), दिनांक 27/04/2018 द्वारा Exemption from Public Consultation for the projects/activities located within the Industrial Estates/Parks हेतु स्टैण्डर्ड टीओआर (निम्न लोक सुनवाई) निम्न अतिरिक्त बिन्दुओं सहित जारी किए जाने की अनुमति की गई-

बड़ा जल।

एन.ई.ए.सी., प्रतीकण्ड के प्रपन क्रमांक 732, दिनांक 17/08/2022 द्वारा जारी टी.ओ.आर. की अन्य शर्तें पढाया रहेगी।

परियोजना प्रस्तावक को टी.ओ.आर. में संशोधन जारी किया जाए।

नेहरू नगरपालिका आचरण एम्ब स्टील, धान-पारी, ताहनील व जिला-बागमती को जारी टी.ओ.आर. को वापस (Withdraw) लिए जाने हेतु प्रयास आचरण को संबंध में निर्णय लिया जाना।

- 1. नेहरू नगरपालिका आचरण एम्ब स्टील, धान-पारी, ताहनील व जिला-बागमती (सचिवालय की नशी क्रमांक 794)

आवेदन - पूर्व में प्रयोजित नम्बर - एन.आई.ए./ सी.पी./ आई.एन.पी./ 34242/2018, दिनांक 08/04/2018 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया था। वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी टी.ओ.आर. को वापस (Withdraw) लिए जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा धान-पारी, ताहनील व जिला-बागमती जिला कार्यालय क्रमांक 22/1, 22/2, 22/18, 22/16, 22/12, एवं 22/17, कुल क्षेत्रफल - 8.878 हेक्टेयर में प्रस्तावित इस्पात कर्मशाला सिंग सीसीएम (12 टन शुष्क 4 नए) (एम.एस. सिमेंट) क्षमता - 1,70,258 टन प्रतिवर्ष एवं सी-सीएम स्टील प्रोडक्शन क्षमता - 1,57,048 टन प्रतिवर्ष (सिलिंग मिल (यू ग्रीट पावर) क्षमता - 78,808 टन प्रतिवर्ष एवं सिलिंग मिल (यू सी-ग्रीटिंग कर्नेल) क्षमता - 78,808 टन प्रतिवर्ष) के पर्यावरणीय स्वीकृति प्रयास करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का विनिर्देशन स्वरूप 25 कार्यद्वारा होगा।

एन.आई.ए.सी. कार्यालय के द्वारा क्रमांक 548, दिनांक 27/07/2018 द्वारा प्रकल्प को-1 कोटेनरी का होने के कारण भूगत सूचना को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संचालक, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2018 में प्रस्तावित स्टीमडर्ट एम्ब ऑफ सिमेंट (टी.ओ.आर.) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. सिमेंट और प्रोडक्शन/एकत्रीयिटीज निस्कायन इन्फार्मेट ब्लोवरेल अन्धर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित कंपनी अर्थात् मेटालर्जिकल इन्डस्ट्रीज (केरल एम्ब नीम-केरल) हेतु स्टीमडर्ट टी.ओ.आर. (लोक सुनवाई सहित) जारी किया गया है।

वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा जारी टी.ओ.आर. को वापस (Withdraw) लिए जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रतिक्रमा द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकल्प पर प्रतिक्रमा की दिनांक 22/06/2023 को सचयन 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा नशी/दस्तावेज/पत्र का अवलोकन किया गया। प्रतिक्रमा द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है-

"With reference to above cited TOR issued to our proposed steel project proposed at Village - Pal, Tahsil and District- Bagmati (CG), we wish to submit that we have decided not to implement the above project, and have signed agreement with M/s. Maa Manaa Iron and Power Private Limited for sale of the same land, on which they have proposed to setup a sponge iron plant.

Therefore we herewith wish to submit that we are not going ahead with preparation of EIA and herewith surrendering the TOR issued to our project. Thus herewith request you to kindly allow us to surrender the TOR."

प्रतिकल्प द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्भूति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रेषित अनुसूचित पत्र को परिसर में प्रकृतिकला के अन्तर्गत पर उपयुक्त अनुसूचित किये जाने हेतु प्रकल्प को एच.ई.ए.सी., जलसिमापत्र के तहत प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एच.ई.ए.सी., जलसिमापत्र को तदनुसार सुधित किया जाए।

एजेन्डा अक्टोम क्रमांक-3

राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिकल्प (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, चण्डी द्वारा प्रेषित पत्र को संकेत में निर्णय लिया जाय।

राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रतिकल्प (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), कार्यालय परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, चण्डी के आगमन दिनांक 24/04/2023 द्वारा "Development of Sergi-Basarnahli Section from Km.42+800 to Km.89+500 of NH- 130CD under Raipur-Visakhapatnam under Raipur-Visakhapatnam Economic Corridor in the State of Chhattisgarh on HAM mode Environment Clearance of Stone Mine used for construction of Government project (Bharatmala) - Reg." को संकेत में पत्र प्रेषित किया गया है।

प्रतिकल्प द्वारा संकेत में विचार - उपरोक्त प्रकल्प पर प्रतिकल्प की दिनांक 22/04/2023 को संकेत 149वीं संकेत में विचार किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नसी/दस्तावेज/पत्र का जलसिमापत्र किया गया। प्रतिकल्प द्वारा नोट किया गया कि पत्र में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार है-

"Development of Six lane Sergi-Basarnahli Section of NH-130 CD road from Km. 42+800 to Km 89+500 under Raipur-Visakhapatnam Bharatmala Pariyojna has been awarded to Concessionaire M/s Raipur-Visakhapatnam CG-3 Highways Limited & appointed date was declared on 09 01 2023. Presently the work is under progress.

Concessionaire vide letter dt.14.01.2023 has informed that they have has applied for environment clearance for minor minerals (stones) vide application No.424308, 424430, 424447 & 424484 dt 05.04.2023 for village Dhanbuda, Teh - Magartod & application No.424598, 424651, 424688 & 424712 dt 05.04.2023 for vil-Gondalanala, The-Nagri.

In view of the above, as the said Bharatmala project is highly prestigious project of Govt. of India & is being monitored by higher Authority at various level, therefore it is requested to do the needful action for environment clearance for minor mineral (stones) at the earliest so that project will be completed on schedule time."

प्रतिकल्प द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त सर्वसम्भूति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पत्र को जलसिमापत्र किये जाने हेतु प्रकल्प को एच.ई.ए.सी., जलसिमापत्र के तहत प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एच.ई.ए.सी., जलसिमापत्र को तदनुसार सुधित किया जाए।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-8

छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंडलास, महानदी भवन, गढ़ा रायपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 29/04/2015 में संशोधन के संबंध में निर्णय लिया जाना।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंडलास, महानदी भवन, गढ़ा रायपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 29/04/2015 में संशोधन के संबंध में नोटिफिकेशन के माध्यम से विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंडलास, महानदी भवन, गढ़ा रायपुर को ड्रायन क्रमांक एफ 1-15/2015/32 गढ़ा रायपुर, दिनांक 29/04/2015 द्वारा आदेश जारी किया गया है। उक्त जारी आदेश के पैर 5 को अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाले आवेदन-पत्रों की प्राथमिक दृष्टादि हेतु परीक्षण शुल्क की दर निर्धारित की गई है। उक्त जारी आदेश का संशोधन आज दिनांक तक नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ की पहली चाली (मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखण्ड, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदनों के परीक्षण शुल्क की दरों का निर्धारण किया गया है।

उपरोक्त के अनुक्रम में लेख है कि टी.ओ.आर, पर्यावरणीय स्वीकृति, टी.ओ.आर / पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन, टी.ओ.आर / पर्यावरणीय स्वीकृति में किराया वृद्धि, आदि प्रकल्पों के कार्यावली के लिए कर्मचारियों को मुफ्तदान किये जाने के तहत एवं भर्ती तथा अन्यत्र एवं सदस्यों के बैठक की पीछ और यात्रा-भरती आदि के खर्च के भुगतान हेतु छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंडलास, महानदी भवन, गढ़ा रायपुर द्वारा जारी आदेश दिनांक 29/04/2015 में निर्धारित परीक्षण शुल्क की समीक्षापत्रों संशोधन करने जाने बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार - उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 22/05/2023 को संयुक्त 148वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरोक्त कार्यसमिति से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ से प्राप्त प्रस्ताव को आगामी कार्यावली किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंडलास, महानदी भवन, गढ़ा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेन्डा आइटम क्रमांक-9

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की बैठकों में अनुपस्थित परिशोधना प्रस्तावकों को प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त करने के संबंध में निर्णय लिया जाना।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ से राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की बैठकों में अनुपस्थित परिशोधना प्रस्तावकों को प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त करने के संबंध में नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के बैठकों में यह संज्ञान में लाया गया कि अनुपस्थित परिशोधना प्रस्तावकों को ऑनलाईन पोर्टल से

डि-लिस्ट/निरस्त करने के संबंध में कोई भी आवेदन एसई/आईएए/एसईएसी, उत्तीर्णता के स्तर से जारी नहीं हुआ है। उक्त के संबंध में निम्न प्रक्रिया प्रस्तुत है—

“जो परियोजना प्रस्तावक को बार अनुपरीक्षण हेतु अनुपस्थित रहने वाली तीसरी बार की बैठक में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक के ऑनलाइन आवेदन को पोर्टल से डि-लिस्ट/निरस्त करने का निर्णय एसई/एसी, उत्तीर्णता द्वारा लिया जाएगा”

उक्त प्रस्ताव को—

1. ई-नेट के माध्यम से जारी एसईएसी, उत्तीर्णता के सदस्यों को भेजकर सुझाव/आपत्ति लिया जाए।
2. सम्बन्धित सुझाव/आपत्ति को शामिल कर अगस्त एसईएसी, उत्तीर्णता द्वारा अनुपरीक्षण पर्याप्त एसई/आईएए, उत्तीर्णता को प्रस्तुत किया जाए।

प्रतिक्रिया द्वारा बैठक में विचार — उपरोक्त प्रकरण पर प्रतिक्रिया की दिनांक 22/06/2023 को संलग्न 143वीं बैठक में विचार किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रतिक्रिया द्वारा विचार दिनांक उपरोक्त सर्वसम्पत्ति से उत्तीर्ण प्रस्ताव हेतु आवेदन पत्रित करते हुए पत्रिका पोर्टल में उपलब्ध किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

एवम्बा आवेदन क्रमांक—10

अगस्त महोत्सव की अनुपति से अन्य विषय।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग, नई दिल्ली के अधिकारी नेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के संकेत में।

भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु विभाग, नई दिल्ली के अधिकारी नेमोरेण्डम दिनांक 28/04/2023 के पैरा 4 अनुसार “The matter has been examined in the Ministry and accordingly it has been decided that all valid ECs issued by DEIAA shall be reappraised through SEAC/SEIAA in compliance to the order of the Hon'ble NGT in O.A.142 of 2022. In view of above, it is hereby directed that all concerned SEACs shall re-appraise the ECs issued by DEIAAs between 15.01.2016 and 13.09.2016 (including both dates) and all fresh ECs in this regard shall be granted only by SEIAAs based on such appraisal. The exercise shall be completed within a time period of one year from the date of issue of this OM. DEIAAs shall transfer all such files where ECs have been granted to concerned SEIAA within a time period of one month from issue of this OM. The State Government may assess the existing workload of SEAC(s) and accordingly, send proposals for constitution of additional SEAC for a specified period to deal with such additional workload.” हेतु जारी किया गया है।

प्रतिकरण द्वारा बैठक में विचार - प्रतिकरण को जल्द एवं सदस्यों द्वारा दिनांक 22/06/2023 को संघन 145वीं बैठक में उक्त अधिका मेमोरियल का अद्यतन किया गया। अधिका मेमोरियल में दिए गये प्रस्ताव जनकविवी एवं जादेवी से प्रतिकरण अलग हुई।

बैठक अन्तर्गत प्रश्न को साथ संघन हुई।

(आर.पी. सिन्हा)
सदस्य-राशि

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्रधिकरण, छत्तीसगढ़

(देवाशीष दास)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन
प्रधिकरण, छत्तीसगढ़

(श्री. शैलेश सिन्हा)
सदस्य

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रधिकरण, छत्तीसगढ़